बिन्दु से सिन्धु तक

जल संरक्षण के रास्ते

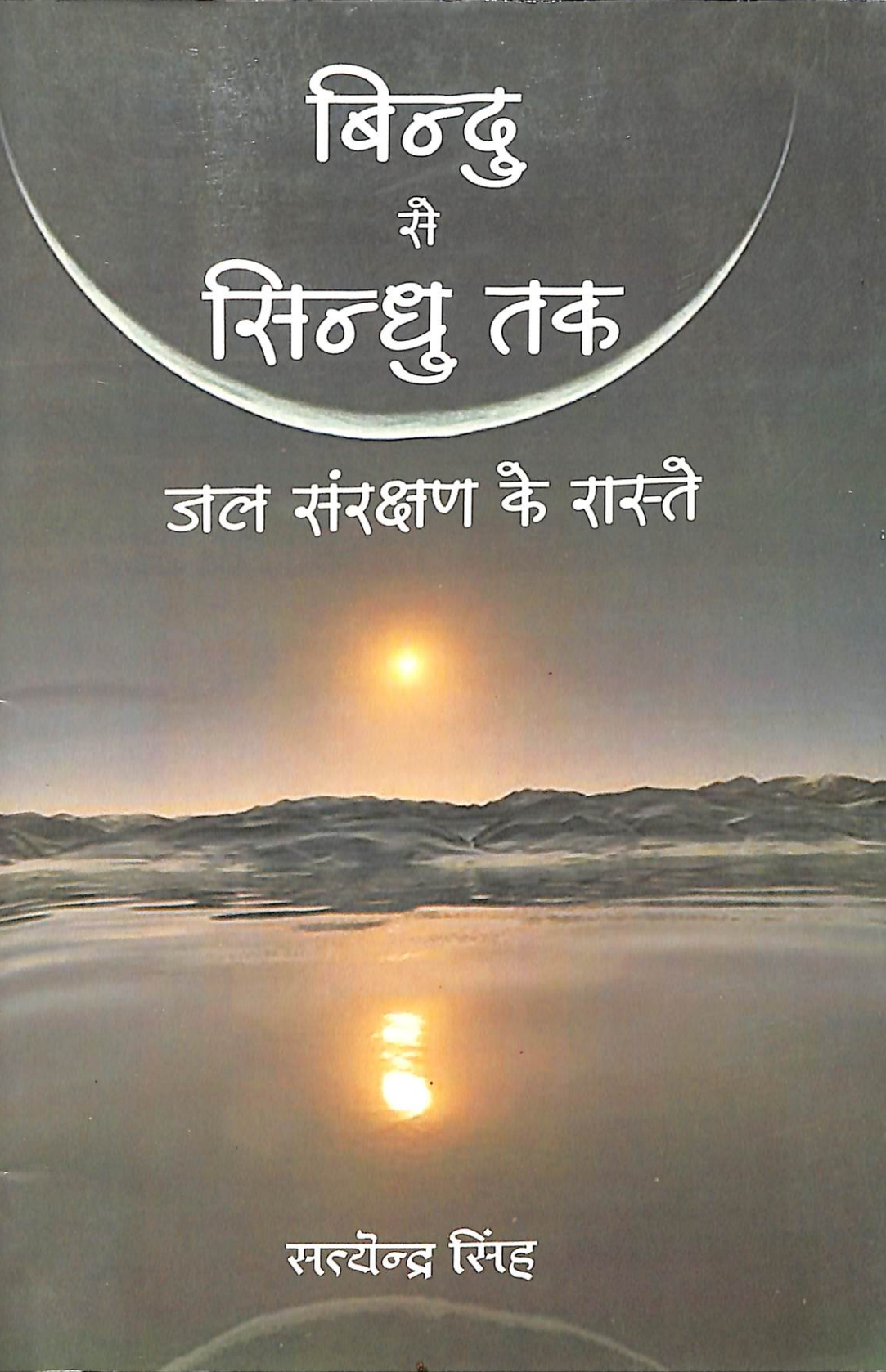

सत्येन्द्र सिंह

बिन्दु से सिन्धु तक

जल संरक्षण के रास्ते

सत्येन्द्र सिंह

तरुण भारत संघ

प्रथम संस्करण
रामनवमी-2009

प्रकाशक
तरुण भारत संघ
भीकमपुरा किशोरी, वाया-थानागाजी
जिला : अलवर-301 022
राजस्थान
फोन : 01465-225043
0141-2393178 (जयपुर)
ई-मेल watermantbs@yahoo.com

मार्गदर्शक
प्रो. एम.एस. राठौड़

सहयोग-संपादन
ज्ञानेन्द्रसिंह रावत

रूपांकन एवं मुद्रण
कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

मूल्य
75/-

समर्पण

उनको जिन्होंने जल-संरक्षण के पुनीत कार्य को करने में अपनी श्रम-शक्ति और संपूर्ण ऊर्जा को लगाया एवं उन बुद्धिजीवियों को जिन्होंने तरुण भारत संघ के साथ सहयोग करते हुए इस हेतु अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर समाज को जागृत करने में महती भूमिका का निर्वहन किया, को सादर समर्पित।

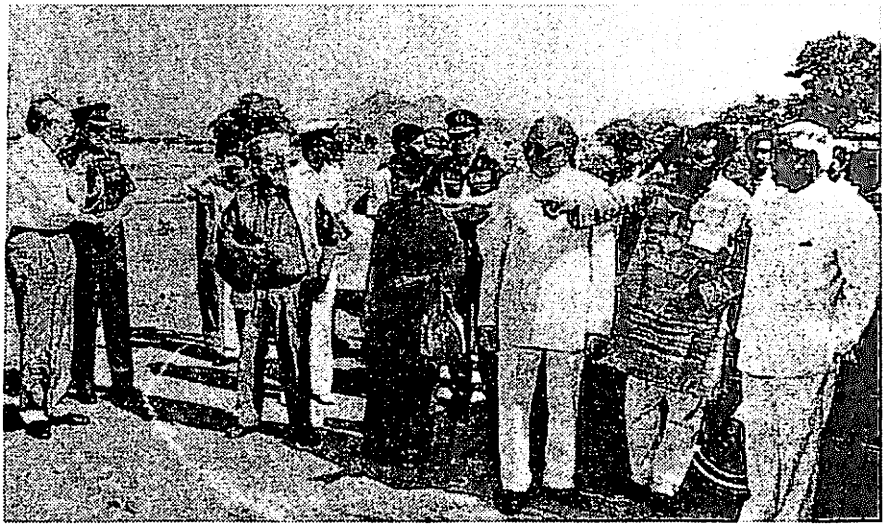

पुनर्जीवित अरवरी नदी को निहारते महामहिम एवं अन्य अतिथिगण

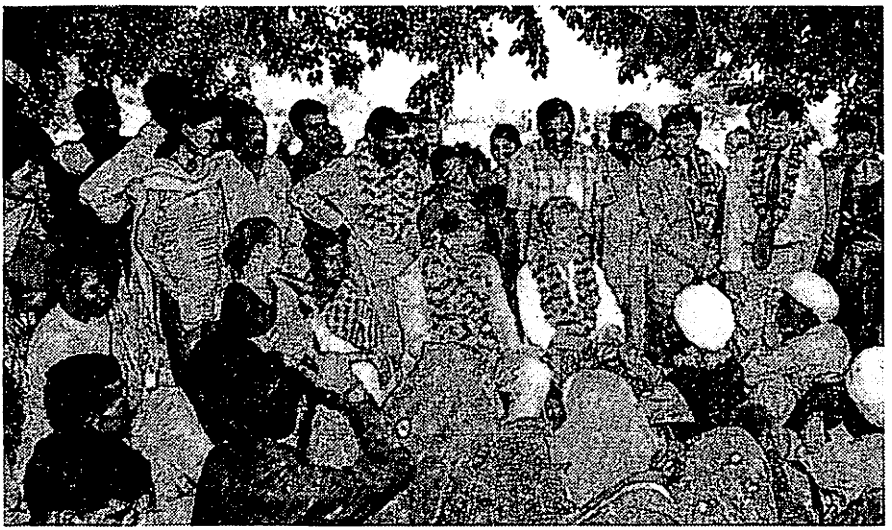

ब्रिटेन के राजकुमार प्रिन्स चार्ल्स के अरवरी जल ग्रहण क्षेत्र के
गांव भांवता-कोल्याला में ग्रामीणों से बातचीत करते हुए

बिन्दु से सिन्धु तक : एक नजर

तरुण भारत संघ द्वारा जल संरक्षण के कार्य अकाल की विभीषिका में सन् 1986 में राजस्थान के अलवर जिले की तहसील थानागाजी के ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हुए थे। तब थानागाजी का क्षेत्र सरकारी आंकड़ों में डार्कजोन घोषित किया हुआ था। पानी का मोल उस समय गोपालपुरा के लोगों से अधिक कोई नहीं जानता था क्योंकि गांव में पानी का एकमात्र साधन कुआं था जो प्यासे गांव को पानी पिलाने में असमर्थ दिखाई देता था। फिर भी प्यासे गांव को पानी पिलाने की अपनी भरसक कोशिश करता था। पानी के अभाव में ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन कर गये थे। ऐसा ही हाल क्षेत्र के अन्य गांवों का था।

गांव में जो भी मौजूद लोग थे, उनके साथ बातचीत से मालूम हुआ कि अगर किसी प्रकार गांव में जोहड़ बन जाए तो गांव में पानी का अकाल कभी नहीं पड़ेगा। ऐसा लोगों का विश्वास था। तरुण भारत संघ ने कभी पानी का काम नहीं किया था। न ही उसे कोई अनुभव था कि पानी के लिए जोहड़ बनाने से अकाल की छाया जाती रहेगी। लेकिन गांव के विश्वास में दृढ़ता थी। उसी आशा और विश्वास को बनाये रखने के लिए पहले-पहल गोपालपुरा में मेवालों का मिट्टी का छोटा बांध बनाने के प्रयास किये जाने लगे जिसे गांव की बोली में जोहड़ भी कहते हैं। जोहड़ बनाने का कार्य 1 अक्टूबर, 1986 से शुरू हुआ और मार्च 1987 तक कार्य पूरा हुआ।

सन् 1987 के मानसून की पहली बरसात का पानी जोहड़ में आने से ग्रामवासी खुश नजर आए। उनके विश्वास का ही फल था कि गोपालपुरा का पानी गोपालपुरा में रुका। चाहे उस पानी को संजोने के कारण गांव और सरकार के बीच अपने-अपने अधिकार की लड़ाई क्यों न लड़ी गई हो। पानी को देख तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को भी विश्वास हुआ कि गांव की जानकारी और विश्वास से जल संरक्षण का कार्य हुआ है जिससे गांव के लोग खुश हैं। ग्रामीणों का ज्ञान अकाल की विभीषिका को कम करने में जरूर सक्षम होगा।

गोपालपुरा का काम अकाल प्रभावित गांवों के लिए उदाहरण बना। क्षेत्र के गांवों से जोहड़ बनाने की मांग उठने लगी। तरुण भारत संघ कार्यालय भीकमपुरा में अपने-अपने गांव में जोहड़ बनाने के लिए ग्रामवासी आने लगे थे। संस्था के पास साधन बहुत ही सीमित थे। लेकिन ऐसे में ग्रामवासियों को एक आश्वासन देना भी जरूरी था। ग्रामीणों से कहते कि जैसे ही कुछ साधन होते हैं तो श्रमदान व सहयोग से काम करेंगे। ग्रामवासी पूर्ण विश्वास के साथ अपने गांव को लौटते थे।

तरुण भारत संघ ने अपने स्तर से अकाल प्रभावित क्षेत्र को देख-समझ कर अनुदात्री संस्थाओं से, व्यक्तियों से सम्पर्क किया जिससे कुछ अनुदात्री संस्थाएं आगे आईं। संस्थाओं की ओर से जल संरक्षण के कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। ग्रामवासियों की सहभागिता से जल संरक्षण कार्य शुरू किये गये। अकाल में जोहड़ निर्माण कार्य एक प्रकार से अकाल राहत के रूप में ही था। लेकिन उसने गांव के विश्वास को पूरा किया था। संस्था के कार्यकर्ताओं ने भी अपने कार्य का एक सरसरी नजर में मूल्यांकन किया। मूल्यांकन में पाया कि जोहड़ के एक ही काम से ग्रामीण समाज में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते दिखाई दिये।

सबसे पहले गांव के अपने प्रयासों से पानी की उपलब्धता हुई। पानी होने से भूजल-स्तर ऊपर आया जिससे खेती और पेयजल की समस्या का समाधान हुआ। गांव में पानी होने से शहरों में मजदूरी के लिए गये लोग वापिस गांव की ओर लौटे और अपने खेती कार्य में लगे। गांव में पानी होने से रिश्तेदारियों में गांव के लोगों का मान-सम्मान बढ़ा। गांव की जमीन की कीमत बढ़ी। गांव में उधारी 'लेनदारी-देनदारी' भी बढ़ी जिससे ग्रामवासियों के जीवन-स्तर में सुधार होने लगा। गांव के सामलाती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति भी ग्रामवासी जागरूक हुए। उन्होंने अपने गांव की साझा सम्पत्ति जंगल व गोचर भूमि को बचाने के प्रयास किये। बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। यह सब क्षेत्र में कार्य करते हुए और लोगों के विचारों को सुनने से एहसास होता था जिससे संस्था के कार्यकर्ताओं का कार्य करने के लिए मनोबल बढ़ा और दिशा मिलती गई।

तरुण भारत संघ ने 1986 से 2008 तक लगभग 8600 छोटे-बड़े जल संरक्षण के कार्य किये जिससे क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति लोगों की सोच बनी। सूखी नदियां सजल होने लगीं। ग्रामवासियों के चेहरे की लाली बता देती कि गांव में पानी के काम से गांव और ग्रामवासियों का चेहरा बदला है।

तरुण भारत संघ के लिए गोपालपुरा का काम जल संरक्षण की दिशा में एक बिन्दु बना जिससे आगे के रास्ते बनते गये। गांव के जल संरक्षण कार्य ने तरुण भारत संघ को पानी का काम करने वाली संस्था बना दिया। कार्यकर्ताओं को वाटर मैन की उपाधि से राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। जैसे-जैसे पानी आगे चलता गया, पीछे-पीछे तरुण भारत संघ भी चलता गया। 'पानी' शब्द में जीवन दिखता है, खुशहाली चमकती है तो संघर्ष भी पीछे नहीं रहता। तरुण भारत संघ का पानी-संरक्षण कार्य करते हुए संघर्षरत रहना जरूरी हो गया था। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनती गईं कि पानी के पीछे-पीछे चलते गये। जहां-जहां पानी के बीच रुकावटें देखीं वहीं संघर्ष करना शुरू कर दिया। सभी को ऐसा लगता था कि तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता एक प्रकार से लड़ाकू-झगड़ालू हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस! पानी की आवाज को पहचान

कर उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास जरूर किये जाते रहे हैं । चाहे उसमें किसी प्रकार की बाधाएं क्यों न आई हों। सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया ।

पानी संरक्षण के लिए गांव के आम आदमी में सहयोगी भाव को बढ़ाया, गांव के पानी पर सिंचाई विभाग, मत्स्य विभाग की हकदारी का विरोध किया । राज्य की जलनीति, देश की जलनीति को भारतीय जल-दर्शन के अनुसार जनता के अनुकूल बनवाने के लिए प्रयास किये । जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर भारत के सभी जीवधारियों का समान हक है। उसे भारत सरकार द्वारा सम्पत्ति घोषित किये जाने के कारण विरोध में तरुण भारत संघ ने आवाज उठाई। भारत के जल दर्शन के लिए पूरे देश में जल यात्रा के माध्यम से जल दर्शन को देखा-समझा । जल संरक्षण के लिए जल साक्षरता अभियान चलाया । जल संरक्षण के लिए देश के प्रबुद्धजनों से सतत संवाद बनाये रखा। चर्चा, बैठक, शिविर, सम्मेलन, सेमिनार के द्वारा जन जागृति के कार्यक्रम किये । सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं में जाकर जल संरक्षण पर विशेष संवाद हुए। जल संरक्षण के लिए पठन-सामग्री तैयार की गई । फिल्म, पोस्टर, पर्चे आदि समय-समय पर तैयार किये । जल संरक्षण कार्य के अनुभवों को संकलित कर दस्तावेज तैयार किये गये।

देश में जल के निजीकरण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा जल संसाधनों पर बढ़ते कब्जे का राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया। जल दोहन करने वाले उद्योगों के खिलाफ आन्दोलन किये । जल प्रदूषण, नदी प्रदूषण, बड़े बांध, नदी जोड़ परियोजना का विरोध किया । नदियों के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को अवरुद्ध करने वाली सरकारें व उद्यमियों के विरोध में सत्याग्रह किये। विकास के नाम पर प्राकृतिक जलधाराओं को रोकने पर तथा नदी के किनारे तटबंध बनाने की परियोजनाओं के लिए तरुण भारत संघ संघर्षरत है । जल संरक्षण के लिए सत्याग्रह के साथ-साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। जल संरक्षण की लड़ाई में राज सत्ता, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, शासन-प्रशासन तंत्र, विकासकर्ता और उद्योगपतियों से सीधी तर्कसंगत, नीतिगत संवैधानिक मूल्यों के लिए अहिंसात्मक तरीके अपनाते हुए संघर्षशील भावना से आगे बढ़ते गये ।

सन् 1986 में तरुण भारत संघ ने गोपालपुरा गांव में एक छोटे से जोहड़ द्वारा जल संरक्षण कार्य शुरू किया था जिसे एक बिन्दु रूप में देखना-समझना ही श्रेयस्कर रहेगा । जैसे-जैसे समय बीतता गया, पानी का रूप-स्वरूप भी बदलता दिखाई दिया । पानी के कार्य करते-करते जो रास्ता दिखाई दिया उसी पर चलते गये। सन् 2009 आते-आते पानी के पीछे-पीछे गंगा सागर तक जा पहुंचे। जल संरक्षण के कार्य ने तरुण भारत संघ को नई सोच, नई दिशा, नई शक्ति के साथ नये मार्गों पर संघर्ष के साथ चलना सिखाया जिससे तरुण भारत संघ का जल संरक्षण कार्य एक प्रकार से बिन्दु से सिन्धु तक जा पहुंचा। ❑

अनुक्रमणिका

1.	अकाल और जोहड़	1
2.	जल संरक्षण कार्यों के प्रभाव का अध्ययन	5
3.	अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र में पावड़ी परियोजना	10
4.	दुनिया की नज़र में जल संरक्षण के कार्य	14
5.	अकाल मुक्ति के प्रयास	16
6.	जल संरक्षण के लिए संघर्ष	18
7.	जल नीति के कार्य	24
8.	राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन	29
9.	गांव की झोपड़ी से संसद् तक संवाद	33
10.	जल साक्षरता	34
11.	जल संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार के साथ संवाद	37
12.	यमुना सत्याग्रह	42
13.	नदी संरक्षण सत्याग्रह 2008	45
14.	गंगा संरक्षण अभियान	50
15.	जल-विवाद	68
16.	अतिथियों द्वारा जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन	

अकाल और जोहड़

तरुण भारत संघ ने सन् 1986 में जल संरक्षण का काम शुरू किया था। अपने कार्यक्षेत्र विशेष की प्राथमिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए, ग्राम गोपालपुरा में मेवालों के बांध पर कार्य आरम्भ किया जिसे गांव की बोली में 'जोहड़' कहते हैं। सर्वप्रथम 'कासा' की मदद से मिट्टी का कार्य किया। उस समय बस ! इतनी सी जानकारी थी कि इस प्रकार के कार्य से पानी का संरक्षण किया जा रहा है। राजस्थान में अकाल था, राजस्थान में ही क्या, पूरा देश ही अकाल की चपेट में था। राजस्थान में तो हर पांचवें साल अकाल की स्थिति प्रकृतिप्रदत्त होती रहती है। क्योंकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं कि अकाल आ धमकता है। उसमें आदमी अपनी मजबूरी जाहिर करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हां, अगर मन में विश्वास हो तो अकाल की मार को कम अवश्य किया जा सकता है। यह अनुभव गोपालपुरा के जोहड़ निर्माण के बाद जरूर हुए। गोपालपुरा के जोहड़ से अकाल संकट का ही एहसास नहीं हुआ, बल्कि सरकारी तंत्र की मानसिकता का भी पता चला। प्राकृतिक रूप से आने वाले अकाल को बढ़ाने में सरकार का किस प्रकार से सहयोग होता है। यह सब अनुभव गोपालपुरा के छोटे से काम से हुए।

गोपालपुरा के लोग अपने जीवन के लिए प्राकृतिक रूप से बरसने वाले पानी को रोक कर अकाल की मार को कम करने का सपना तो देखते थे। मन में इच्छा थी और विश्वास भी कि जोहड़ के निर्माण से अकाल का प्रकोप जरूर कम होगा। लेकिन साधन के अभाव में गरीब आदमी बेबसी का शिकार होता है। ऐसी ही बेबसी गोपालपुरा वासियों की 1986 में थी। गांव का युवावर्ग पेट की आग को बुझाने के लिए शहरों में गया हुआ था। वहां कठिन से कठिन परिश्रम कर चार पैसे बचाता और घर वालों के लिए भेजता। उस पर जितना हो पा रहा था, वह अपने शरीर श्रम से भरपूर दिन-रात मेहनत करता। फिर भी समस्या मुंह फैलाए खड़ी थी।

अकाल में पैसे से कुछ राहत तो मिलती दिखाई देती थी, लेकिन पानी की कमी जीवन की गति को ही प्रभावित कर रही थी। ऐसे हालात पूरे क्षेत्र में देखने में आये थे। धरती के गर्भ में छिपा पानी भी खत्म हो चला था। कुएं के पास जाकर प्यासे जीव की तृप्ति होती है लेकिन अकाल की मार से कुआं भी असहाय हो गया। गांव में एकमात्र कुएं से लोगों की प्यास नहीं बुझ पाती थी। जब कोई महिला-पुरुष रस्सी-बाल्टी लिए कुएं पर पानी की आस में आता, कुआं अपनी बेबसी पर स्वयं शर्माता। आज एक मटकी पानी भरने की भी उसकी क्षमता नहीं है। कुआं अपने अतिथि का स्वागत तो जरूर करता। आतिथ्य स्वीकार करना, न करना कुआं और अतिथि की मजबूरी थी। कुआं एक-एक जल की बूंद को संजोता, अपने अतिथि की झोली में डालने का प्रयास

करता। आस लिए आए अतिथि उसमें झांक कर अपनी बाल्टी को राम नाम पर डाल देता। कुछ न कुछ तो पानी आएगा ही।

कुएं के द्वारा जितनी भी संजोयी जल बूंदों का भण्डार होता सब को एक साथ सहर्ष अपने अतिथि की झोली रूपी बाल्टी में डाल देता। बाल्टी का भारीपन कुएं की पाल पर खड़े आदमी को रस्सी की सहायता से मालूम हो जाता कि बाल्टी भर गई है। पानी की आस में उसे ऊपर खींचता। जैसे-जैसे बाल्टी ऊपर आती। उसकी बेताबी बढ़ती जाती थी कि बाल्टी पूरी भरी या आधी। पानी के रूप में जो कुछ आता, उस समय सब स्वीकार था। उसमें कुएं का क्या दोष ? वह तो प्राकृतिक प्रकोप का शिकार था। फिर भी उससे जो कुछ बन पा रहा था, सब कुछ अतिथि को समर्पित था। अतिथि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार, यह सब अतिथि पर ही निर्भर करता। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अतिथि अपने आतिथ्य में दिये हुए प्रसाद का कभी अनादर नहीं करता। जैसा भी था, सब स्वीकार करने योग्य ही था। अस्वीकार करने की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह ऐसी लाचारी थी कि सब कुछ स्वीकार करना एक नियति बन गई थी। उसी में जीवन दिखाई दे रहा था।

सन् 1987 के आते-आते तो कुएं ने बिल्कुल दम तोड़ दिया। उसे गहरा करने के प्रयास किए गए तो कुछ पानी बढ़ा। बीमार व्यक्ति की तरह सांसें लेते हुए कुएं ने अपने समाज को जिन्दा रखा। खैर ! समय चक्र के अनुसार ही जीव-जगत् को चलना पड़ता है। आदमी का प्रयास हमेशा ही समस्या का निराकरण करने में सहायक होता है। ऐसे ही सवाल गोपालपुरा के लोगों ने हल किए। उन्हें विश्वास था कि हमारे जोहड़ से हमारे गांव की समस्या हल हो सकती है। उन्होंने तरुण भारत संघ संस्था के सदस्यों को बताया। समस्या समाधान के लिए उपाय किए जाने लगे। ग्रामवासियों ने अपने जोहड़ को बनाने के प्रयास तेज कर दिए। मदद देने के लिए भी लोग व संस्थाए आगे आईं। जोहड़ का कार्य जैसे-जैसे बढ़ता दिखाई देता, ग्रामवासियों का विश्वास आशा में बदल रहा था। अरमान बढ़ रहे थे। उम्मीदें जाग रही थीं। गर्मी-सर्दी की परवाह किए बगैर लोग जोहड़ के निर्माण में लगे रहते थे।

लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लेकिन सरकारी तंत्र को इस सब से क्या सरोकार ? उसे अकाल में तड़फता आदमी दिखाई ही नहीं देता था। अगर देता तो गोपालपुरा के जोहड़ कार्य को बन्द कराने का नोटिस ही क्यों भेजता ? नोटिस का जवाब भी लोगों ने अपने ही शब्दों में दिया। तरुण भारत संघ ने तो अपनी बात लोगों के सामने रखी थी। गोपालपुरा के लोग अपने गांव में अपना जोहड़ बना रहे थे और पाबन्द तरुण भारत संघ को किया जा रहा था। क्यों ? क्योंकि संस्था का इतना ही दोष था कि अकाल पीड़ित समाज को जो कुछ उस समय बन पा रहा था, अपनी पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य भाव से मदद कर रही थी। इसमें तरुण भारत संघ का क्या

दोष? सरकारी तंत्र का गुस्सा संस्था पर था कि हमारे क्षेत्र में हमारे काम को संस्था कैसे मदद कर सकती है ? गोपालपुरा के जोहड़ की बात जयपुर तक जा पहुंची। आखिरकार सरकारी तंत्र को लोगों के विश्वास और उमंग को बनाए रखने के लिए संस्था के कार्य की सराहना करनी पड़ी।

जोहड़ का निर्माण सिन्धु से आई बारिश की जल बूंदों को संजोकर रखने का जतन था। बरसात के दिनों में वर्षा के जल को जोहड़ ने संजोना शुरू किया तो लोगों के चहरे की चमक उनके मनोभावों को दर्शा रही थी कि वे कितने प्रसन्न हैं। उनका विश्वास आशा में बदल गया था। अब वे अकाल को सुकाल में बदलते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। कुएं में भी पानी बढ़ने लगा था। अब एक कुआं नहीं था। जोहड़ के नीचे जितने भी कुएं थे, सब में पानी की मात्रा बढ़ने लगी। एक बाल्टी पानी के लिए भटकते आदमी को राहत थी कि उसके गांव में अब भरपूर पानी है। कुएं में ही नहीं, अब खेतों में पानी का भण्डार है।

अकाल प्रबंधन और जल संरक्षण

गोपालपुरा के कार्य से तरुण भारत संघ का एक प्रकार से मार्गदर्शन हुआ। उसने छोटी सी मदद से अकाल पीड़ित लोगों के विश्वास को आशा में बदला। वही आशा और विश्वास अब तरुण भारत संघ का अस्त्र बना। उसने पूरे क्षेत्र का आकलन कर अकाल प्रभावित क्षेत्र के लिए अनुदात्री संस्थाओं से मदद के लिए आवेदन किये। समयानुसार परिस्थितियों को देखते हुए अनुदात्री संस्थाओं ने अपनी ओर से अकाल प्रभावित क्षेत्र की जनता के लिए मदद देनी शुरू की। कई संस्थाओं से मदद मिलने लगी जिनमें मुख्यत: कासा, आक्सफेम, कापार्ट आदि पहले पहल आगे आयीं। बाद में अन्य संस्थाओं से भी सम्पर्क किया गया।

अकाल पीड़ितों की मदद करते-करते कार्य रूप ही बदल गया। अब अकाल के लिए कार्य नहीं था। अब अकाल प्रबन्धन का कार्य था । अकाल प्रबन्धन के कार्य को कैसे गति मिले, इस पर संस्था में चिन्तन जारी था। साथ ही साथ समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक विसंगतियों को देखते हुए सामाजिक कार्य करना भी जरूरी था। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जन ज़ागृति आदि के कार्य करना भी संस्था की प्राथमिकता में थे। लेकिन अकाल में जोहड़ निर्माण से हुआ अनुभव दिशा-दृष्टिकोण बना। वह तरुण भारत संघ के लिए पानी का मंत्र था। 'जोहड़ बनाओ -पानी बचाओ।'

'जोहड़ बनाओ-पानी बचाओ' के मंत्र के प्रभाव से समाज में कई प्रकार से पानी के लिए कार्य करने पड़े। जन जाग्रति के कार्य में दीवार लेखन, पद यात्राएं, ग्रामीणों के साथ चर्चाएं, शिविर सम्मेलन, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि प्रक्रिया के साथ-साथ सामर्थ्य अनुसार आर्थिक साधन जुटाकर व्यापक रूप से जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाने लगा।

सबसे पहले अकाल से बचने के लिए एक जोहड़ का निर्माण हुआ। अब अकाल प्रबन्धन में जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। अकेले जोहड़ से क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए अकाल प्रबन्धन का कार्य होने वाला नहीं था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जमीन की बनावट ढालू थी। चाहे वह पथरीली जमीन हो या फिर रेतीली लेकिन ऊबड़-खाबड़, ढालू किस्म की थी जिसके कारण बरसात का पानी वेग से नदी-नालों में बहकर अपने गन्तव्य की ओर दौड़ जाता। पानी को पकड़े रहने के लिए जोहड़ से काम नहीं चलने वाला था। उसके रास्ते में गतिरोधक के रूप में पत्थरों का अवरोध बनाकर, मेंढ़बन्दी, मिट्टी के बांध, नालों पर एनीकट, कुण्ड, ताल, खेत-तलाई आदि बनाए जाने लगे।

1986 से 1990 तक जल संरक्षण के लिए किए गये कार्य से क्षेत्र में अकाल का प्रभाव कम हुआ, लोगों की आजीविका में भी वृद्धि हुई, खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकटग्रस्त गांव में पानी के संरक्षण से लोगों की समस्या का समाधान हुआ। अकाल प्रबन्धन के लिए जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के प्रभावों का आकलन सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं ने स्वयं अपने माध्यमों से किया जिनमें कृषि मंत्रालय द्वारा, अनुपम मिश्र द्वारा, एम. एल. झंवर द्वारा किए गये अध्ययन प्रमुख थे।

अनुपम मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक 'आज भी खरे हैं तालाब' में जोहड़ निर्माण प्रक्रिया का वर्णन है। उन्हीं की दूसरी पुस्तक 'राजस्थान की रजत बूंदें' में भी तरुण भारत संघ द्वारा किये गए कार्य का जिक्र किया गया है। दोनों पुस्तकें विश्व स्तर की रही हैं । उनके लिए भी जल संरक्षण के कार्य एक मार्गदर्शिका के रूप में रहे। वर्ष 1990 में तरुण भारत संघ ने अपने जल संरक्षण के काम पर एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी, जिसका नाम 'लोगों के जोहड़' था। जोहड़ पुस्तक में अकाल प्रभावित समाज के पुरुषार्थ की एक झलक थी जिसे 'लोगों के जौहर' के नाम से भी जाना जाने लगा था। ❑

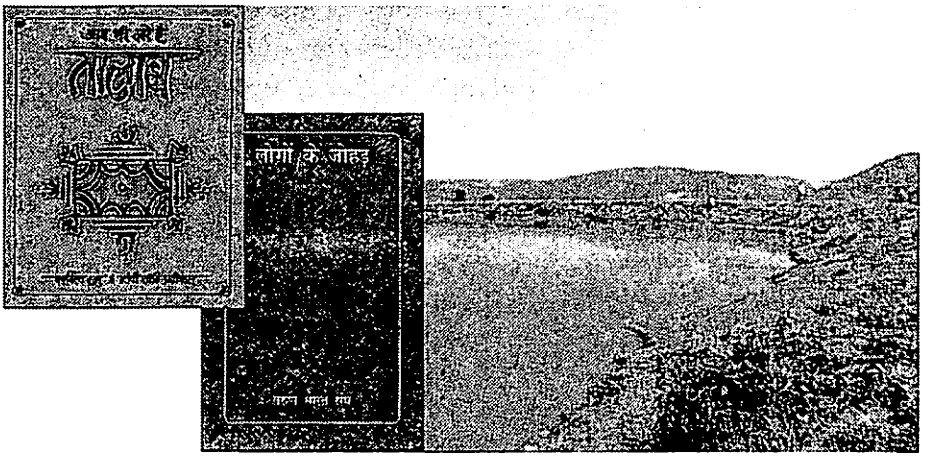

जल संरक्षण कार्यों के प्रभाव का अध्ययन

वर्ष 1991 से 1993 तक का काल संस्था के द्वारा जल संरक्षण के कार्यों को स्वयं जांचने-परखने का रहा । निश्चित कार्यक्षेत्र में गांव को चिह्नित कर जल संरक्षण के कार्य किये गये। सबसे पहले सूरतगढ़ गांव को लिया और जल संरक्षण की विविध विधाओं को अपनाकर रचनात्मक कार्य शुरू किये गए जिसमें जोहड़, एनीकट, मेंढ़बन्दी, ट्रेंचवाल, गोचर विकास, वृक्षारोपण के कार्य किये गये। कार्य शुरू होने से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जलवायु का अध्ययन किया, लोगों की जीवनशैली, रहन-सहन और आजीविका के साधनों का गहन अध्ययन किया गया । साथ ही प्रत्येक माह निश्चित तिथियों में कुओं का सर्वे, पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी, टोपोशीट का अध्ययन तीन साल तक चला । उसके बाद विशेषज्ञों से विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया। साथ ही साथ जरूरतमन्द गांव में जोहड़ निर्माण के कार्य बदस्तूर चलते रहे । इन कार्यों में इन्टरकॉपरेशन 'आई.सी.' स्विट्जरलैण्ड और आक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट, इंग्लैण्ड, गांधी शान्ति केन्द्र, हैदराबाद ने मदद दी।

वर्ष 1994 में संस्था के जल संरक्षरण कार्य को बढ़ावा मिला जिससे कार्यक्षेत्र भी बढ़ा। अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य किये गये। जल संरक्षण के कार्य को जन साधारण और जरूरत का एहसास करने के लिए व्यावहारिक रूप दिया गया। जिसमें सामलातदेह प्रशिक्षण, दूसरी संस्थाओं के कार्य क्षेत्र का भ्रमण, अपने कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए गांव-गांव में जन-जागृति के कार्यक्रम किये गये। जन-जागृति में नुक्कड़-नाटक, कार्यकर्ताओं के लिए नाटक मंचन करने का प्रशिक्षण, ग्राम सभाओं का गठन एवं प्रशिक्षण, जल संरक्षण के कार्य में सहयोग देने वालों का सम्मान, नये ग्रामीण युवाओं को सामलातदेह व जल संरक्षण कार्य कराने के लिए तैयार करना। जल संरक्षण के कार्य को गति देने के लिए नयी अनुदात्री संस्थाओं से सम्पर्क करना और उन्हें अनुदान देने के लिए प्रेरित करना आदि कार्य भी किये गये।

जल संरक्षण के कार्य को बढ़ाने में आई.सी. और आक्सफेम पहले से ही साथ थीं बल्कि आई.सी. की पहल पर ही 'सामलातदेह' के प्रशिक्षण शुरू किये गये। नये ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था आई. सी. के माध्यम से की गई और प्रशिक्षण के दौरान संस्था कार्यक्षेत्र के अनुभवों के आधार पर अपना पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया। सामलातदेह पुस्तक के नाम से तरुण भारत संघ ने एक पुस्तक प्रकाशित की जो एक ग्रामीण कार्यकर्ता के लिए सामाजिक जीवन पद्धति को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी रही। देश की विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं में सामलातदेह प्रशिक्षण पुस्तक को ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया।

नयी अनुदात्री संस्थाओं में जल संरक्षण के कार्य करने के लिये 'इक्को' -नीदरलैण्ड ने अपना सहयोग देना शुरू किया। वैसे इक्को सन् 1987 से ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल शिक्षा, ग्राम सभा का संगठन और प्रशिक्षण, युवाओं में नेतृत्व बढ़ाने के कार्य के लिये पहले से ही सहयोग कर रही थी। लेकिन जल संरक्षण के कार्य में सहयोग पहले-पहल देवरी गांव के पूरे जलग्रहण क्षेत्र को लेकर योजना को स्वीकृति दी जिसके अन्तर्गत जल संरचनाओं का निर्माण हुआ। आई. सी. ने दस गांव में जल संरक्षण कार्य करने के लिए अनुदान दिया तो ऑक्सफेम ने टहला के खनन क्षेत्र के गांव में जल संरचनाओं के लिए सहयोग किया जिससे तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ और जल संरक्षण के कार्य बढ़ते गये। वर्ष 1994 के अन्त में तरुण भारत संघ द्वारा दस वर्षों में किये गये सामाजिक विकास के कार्यों पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें संस्था के जल संरक्षरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समाज ने स्वीकार किया था जिसमें कई गांवों की जानकारी थी। पुस्तक में संस्था द्वारा एक दशक में किये गये कार्यों का विवरण समाहित था।

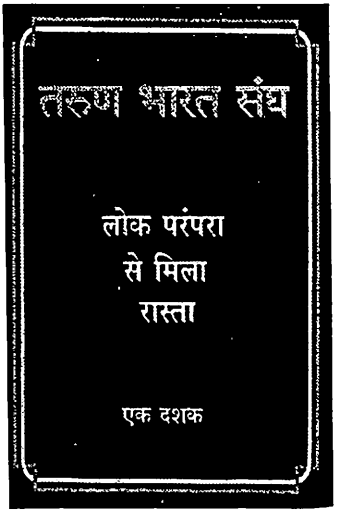

वर्ष 1995 से 2000 तक तरुण भारत संघ ने अपने कार्यक्षेत्र में जल की समस्या और आवश्यकताओं को देखते हुए समग्र विकास के रूप में जल संरक्षण के कार्य करने का मन बनाया और नई संस्थाओं से सम्पर्क किया। अनुदान देने वाली संस्थाओं ने अपने-अपने अनुसार कार्यक्षेत्र का अध्ययन किया और संस्था के साथ जुड़कर परियोजनाएं बनाई गईं। जल संरक्षण के कार्यों में नॉर्वे की संस्था 'नोराड' ने जयपुर और अलवर के गांव में जल संरक्षण के लिए अनुदान दिया। 'जी.टी. जैड' जर्मनी ने अलवर के रैणी ब्लाक को चुना और परियोजना स्वीकृत की। 'सीडा' -स्वीडन के आर्थिक सहयोग से अलवर के तिजारा, किशनगढ़वास, बानसूर तहसीलों में जल संरक्षण कार्य को फैलाया। आई.सी.,इक्को ने जल संरक्षण कार्यों में रुचि लेकर अपनी अनुदान राशि को बढ़ाया। 'एस. डी.सी.' स्विट्जरलैण्ड और राजस्थान सरकार के सहयोग से अलवर में अजबगढ़ वाटर शैड क्षेत्र के 80 गांवों में विकास कार्य को अंजाम दिया लेकिन सरकारी तंत्र की धांधलियों के कारण परियोजना बीच में बन्द करनी पड़ी। 154 गांवों में यू.एन.डी.पी. की सहायता से जल संरक्षण के कार्य किये गये। यू.एन.डी.पी. ने अपने अध्ययन में तरुण भारत संघ के जल संरक्षण कार्यों को बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में स्वीकार किया। फोर्ड फाउंडेशन-अमेरिका की सहायता से करौली में सपोटरा की डांग में अकाल प्रभावित जनता के लिए जल संरक्षण का काम हुआ।

1995 से 2000 तक की समयावधि में तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों से पांच प्रकार के कार्य मुख्य रूप से सामने आए। पहला काम, पानी पर मालिकाना हक, दूसरा, बाढ़ प्रबन्धन, तीसरा काम, राजस्थान की जलनीति पर कार्य करने की जरूरत, चौथा, बाढ़-सुखाड़ में जल प्रबन्धन के कार्य की जरूरत। पांचवां काम, देश की जल नीति को लेकर समीक्षा, संवाद और वैकल्पिक जलनीति तैयार करके केन्द्र सरकार को सौंपना।

सबसे पहले पानी पर मालिकाना हक का सवाल हमीरपुर गांववासियों द्वारा बनाए गए अरवरी नदी पर एनीकट के प्रभाव से उठा। हमीरपुर के लोगों ने संस्था के सहयोग से अपने गांव में पानी की सुविधा के लिए वर्ष 1994-95 में एक छोटा सा एनीकट बनाया। वर्ष 1995-96 के मानसून में एनीकट में पानी रुका। हमीरपुर वासियों को अपनी मेहनत पर प्रसन्नता थी और गर्व भी। एनीकट बनवाने के लिए उन्होंने किस-किस के यहां मिन्नतें नहीं की थीं। तहसील के सरकारी कर्मचारी से लेकर जिला कलेक्टर तक और विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रयास किए थे। लेकिन एनीकट नहीं बना। जब लोगों ने एनीकट बना लिया और उसमें पानी भी आया तो पानी के साथ-साथ प्राकृतिक रूप से मछलियां भी आईं। गांव वाले यह सब दृश्य देख बहुत खुश हो रहे थे कि उनकी मेहनत और सूझबूझ से यह सब हुआ है। उन्होंने अपने काम के विषय में लोगों को बताना शुरू किया। क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य में और भी गति आई।

दूसरी ओर लालच बढ़ रहा था। वह लालच किसी और में नहीं सरकारी तंत्र में था। उसने मछली के व्यापारियों को तलाश कर हमीरपुर के एनीकट में प्राकृतिक रूप से आई मछलियों का ठेका मुस्लिम समुदाय के ताला गांव के लतीफ खां को फरवरी 1996 में दिया। जब लतीफ खां हमीरपुर में मछली पकड़ने गया, तो गांव वालों को मालूम हुआ कि हमारी मछलियों का ठेका मत्स्य विभाग ने दिया है। जबकि गांव के लोग मत्स्य विभाग से तो कभी नहीं मिले थे और न ही उससे कभी काम पड़ा था। फिर उसने ठेका क्यों दिया ? गांव के लोगों ने लतीफ खां को मछली नहीं पकड़ने दी बल्कि उसका सामान अपने कब्जे में कर लिया। लतीफ ने प्रतापगढ़ थाने में ग्रामवासियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी।

पुलिस ने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। तहसीलदार, एस.डी.एम. ने भी गांव वालों पर दबाव बनाया परन्तु गांव वाले सरकारी तंत्र के आगे झुके नहीं। ग्रामवासी अलवर में मत्स्य अधिकारी से मिले तो उसने एनीकट पर अपना अधिकार जताया कि नदी में आया पानी और प्राकृतिक रूप से पलने वाली मछलियां सरकारी सम्पत्ति हैं इसलिए सरकार मालिक है। नदी पहले भी गांव में थी और पानी भी बरसता था लेकिन पानी रुकता नहीं था। मछली, कछुआ कहां से होते ? गांव के लोग ही प्यासे रहते थे, तो सरकारी तंत्र ने एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि तुम जिन्दा कैसे हो ? कहां से पानी लाते हो ? अब गांव ने अपने पुरुषार्थ से पानी

का प्रबन्ध किया है तो उसकी मालिक सरकार है। हम क्यों नहीं? इन्हीं सवालों को लेकर आन्दोलन शुरू हुआ। समाचारों के माध्यम से जन साधारण को सचेत किया गया। अपने पानी को बचाने के लिए एकजुटता दिखाएं। सरकारी तंत्र द्वारा हमीरपुर के पानी पर कब्जे की बात का खुलासा किया गया।

ग्रामवासी जिला कलेक्टर से भी मिले। उन्हें पूरी दास्तान बताई। कलेक्टर ने अपने स्तर से कदम उठाते हुए ठेका रद्द करने का आश्वासन दिया। गांव वाले कलेक्टर की बात पर भरोसा कर गांव आए। मार्च 1996 में ठेका रद्द कर दिया गया। लेकिन लतीफ खां को यह सब बहुत बुरा लगा। उसने ठेका रद्द हो जाने के कुछ दिन बाद नदी के जल में जहर डाल दिया। जिससे नदी में पलने वाले सभी जीव-जन्तु मर गये। गांव वाले इससे बहुत दुखी हुए लेकिन क्या कर सकते थे? जिनके लिए इतना संघर्ष किया, फिर भी कुछ नहीं बचा पाए। यह सब सरकारी तंत्र के कुकृत्य का परिणाम था। तभी तो उसने ऐसा घृणित अपराध करते हुए भी लतीफ जैसे लोगों को कोई सजा नहीं दी।

नवम्बर 1997 में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर पूरे क्षेत्र में जन सुनवाई के अभियान चलाये। अभियान के दौरान पानी के लिए जन सुनवाई हमीरपुर में की गई जिसमें देश के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया था। मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव मीठालाल मेहता, हिमाचल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गुलाबचन्द गुप्ता, अनिल अग्रवाल, जी.डी. अग्रवाल उपस्थित थे।

जब जन सुनवाई के अभियान चल रहे थे तो कई नये विचार भी आये। उनमें से एक विचार अरवरी जल ग्रहण के संरक्षण का भी था जिसमें से अरवरी संसद का विचार बना। अरवरी जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले सत्तर गांवों का एक संगठन बनाया जाए। अरवरी क्षेत्र के गांव में जन संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले जल संरक्षण संगठन, जल संसद, बाद में अरवरी संसद के नाम पर सहमती बनी और अरवरी जल ग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई गई। उसी के अनुसार गांववासी अपने -अपने गांव में ग्रामसभा का गठन कर कार्य करने लगे। 10 साल के प्रयास से अरवरी संसद आज भी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।

1986 से लेकर 1996 तक अकाल प्रबन्धन के लिए कार्य करने का तरुण भारत संघ का अपना विशेष अनुभव रहा था। लेकिन वर्ष 1996-97 और 1997-98 के मानसून में अलवर की तहसील किशनगढ़वास, रामगढ़ में बाढ़ का प्रकोप बरपा। भरतपुर जिले की तहसील डीग, कामा और पहाड़ी में भी बाढ़ की मार सबसे अधिक रही थी। राजस्थान में बाढ़! एक आश्चर्य की बात थी। लेकिन सत्य थी, उस बाढ़ में किसान की फसल को भारी नुकसान हुआ था। संस्था ने अपने स्तर से अनुदात्री संस्था 'आक्सफेम' के सहयोग से बाढ़ पीढ़ितों के लिए राहत कार्य तो

किए ही, साथ ही साथ एक विशेषज्ञों की टीम द्वारा बाढ़ के कारणों को जानने-समझने के लिए अध्ययन भी कराया। जितना हो सका, संस्था ने अपनी क्षमता के अनुसार बाढ़ क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए काम किए जिससे बाढ़ और सुखाड़ में भी जल संरक्षण के कार्यों की महत्वता लोगों ने समझी और लाभान्वित भी हुए। ❑

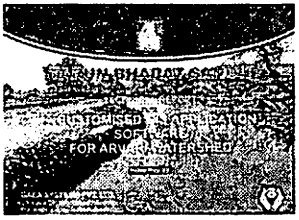

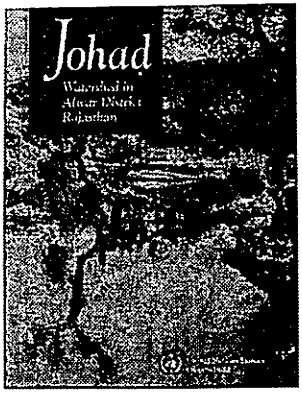

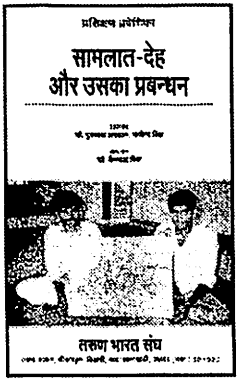

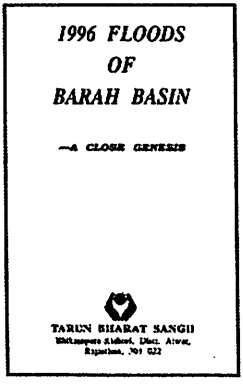

अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र में पावड़ी परियोजना

तरुण भारत संघ को अकाल के समय जल संरक्षण के कार्य करने का अनुभव था। बाढ़ के समय में किए गये अध्ययन के अनुसार जल संरक्षण के कार्यों का भी अनुभव हुआ। सरकारी तंत्र का तो कटु सत्य अपने साथ सन् 1986 से ही था। उनकी मानसिकता, शक्ति, कार्यशैली और वैचारिक क्षमता, प्रशासनिक स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से समाज को पंगु बनाने में लगती थी। सामाजिक जल प्रबन्धन पद्धति उसे रास नहीं आती थी। तभी तो गोपालपुरा और हमीरपुर में समाज़ द्वारा किए जा रहे जल प्रबन्धन पर भी अपना एकाधिकार जताने से बाज नहीं आ रही थी।

भारत की भूमि का एक-एक कण सरकार नाम की संस्था के अधिकार क्षेत्र में है तो आदमी के जीवन रक्षा का दायित्व भी उसी का है लेकिन ऐसे में स्वार्थ भाव आगे आ जाता है । वह सब अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र में 'पावड़ी परियोजना' में देखने को मिला। पावड़ी परियोजना स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित करना परियोजना का निहित उद्देश्य था । परियोजना से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में जो भी लाभ होना था वहीं के संसाधन और मानवशक्ति के द्वारा अर्जित करने थे। लेकिन सरकारी तंत्र को भय था कि अगर स्थानीय मानव श्रमशक्ति का उपयोग परियोजना में किया गया तो उनके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है।

सरकारी तंत्र ने क्षेत्रीय मजदूरों के द्वारा किए गये कार्य को एक प्रकार से नकारते हुए उनकी मजदूरी के भुगतान में अनावश्यक देरी की गई जिससे क्षेत्रीय मजदूरों का परियोजना से मोह भंग करने में सरकारी तंत्र की अहम भूमिका रही थी। शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं था । जयपुर तक न जाने कितनी बार शिकायतें की गईं, कोई सुनवाई नहीं हुई । परियोजना में लगे सरकारी अमले ने नई चाल चली कि स्थानीय लोग काम ठीक नहीं करते तो बाहर के मजदूर बुलाए जाएं। उन्होंने आस-पास के प्रांतों में मिट्टी के कार्य करने वाले मजदूरों की तलाश की तो हरियाणा में उनके मनपसन्द के मजदूर मिल गये।

अजबगढ़ जल ग्रहण क्षेत्र के गांव में आकर दो हजार मजदूरों ने डेरा डाल दिया। परियोजना के कार्य को गति मिलनी शुरू हुई। जिस गांव में काम की प्राथमिकता थी उसे नजरअन्दाज किया गया और मजदूर अपने हिसाब से दिन-रात कार्य करने लगे । सरकारी कारिंदों की बल्ले-बल्ले होना स्वाभाविक था । उनके मन-माफिक कार्य हो रहा था । सभी कार्यों का भुगतान समय से होता था। सरकारी कारिंदों ने ग्राम समितियों के कुछ अध्यक्षों को अपनी ओर कर, इस प्रकार काम करने की योजना बनाई थी । पावड़ी परियोजना का उद्देश्य मिट्टी के कार्य करना ही नहीं

था बल्कि परियोजना के एक-एक पैसे का लाभ क्षेत्रीय जनता को होना निहित था। परियोजना के उद्देश्यों के प्रतिकूल सरकारी तंत्र कार्य करने में लगा हुआ था ।

सरकारी तंत्र के कारिंदे परियोजना को स्वयं के लाभ की मानकर चल रहे थे। यह सब उनके कार्य और व्यवहार में झलक रहा था। क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी और सचिवालय में बैठे अधिकारियों के सुर एक थे इसलिए बाहर के मजदूरों को कार्य से रोक पाना मुश्किल हो रहा था। हालात यहां तक आ गए थे कि बगैर काम के ही भुगतान किया जाने लगा। मजदूरों से नगद रूप में जितना लेना होता, लेते थे। बाद में उन्हें भुगतान करते थे।

ग्राम बाछड़ी में एक छोटे से जोहड़ पर कार्य हुआ जिसमें पचास-साठ चौकड़ी का ही काम हुआ था लेकिन भुगतान लाखों में था। गांव के लोगों ने एतराज किया तो जांच कमेटी ने पुन: कार्य की पैमाइश की, फिर भी भुगतान राशि में फर्क नहीं पड़ा। सरकारी स्तर से कार्य का किया गया एक बार मेजरमेंट दुबारा किस प्रकार से किया जाए ? चाहे वह गलत ही क्यों न हो, था तो सरकारी कर्मचारी का ही, जिसमें नीचे से ऊपर तक पूरा सरकारी तंत्र जुड़ा हुआ था लेकिन गांव वालों ने उसे भी पूरी तरह से नकार दिया ।

तीसरी बार विशेष जांच दल की टीम ने कार्य का निरीक्षण किया तो उसने गांव वालों की बात और मौका मुआयने पर जो स्थिति देखी तो पहले और दूसरी बार में जिन कर्मचारियों ने कार्य का मेजरमेंट किया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से वहीं निलम्बित किया जिसमें सात जे.ई.एन थे । यह एक बड़ी घटना थी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था । इससे सरकारी तंत्र कुछ सहमा और उसने गांव के मजदूरों को तवज्जो देना शुरू किया । इस प्रकार के कार्य में संस्था के कार्यकर्ताओं का पहला अनुभव था जिसमें समय, शक्ति और श्रम शक्ति लगने के बाबजूद भी परियोजना के उद्देश्य पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। इन सब कारणों को देखते हुए संस्था ने परियोजना से पीछे हटने में ही अपनी व क्षेत्र की भलाई समझी । संस्था के द्वारा उठाया गया कदम समयोचित था

तरुण भारत संघ को जल संरक्षण के कार्य करने का दस-बारह साल का अपना अनुभव था। उसने पानी के संकट से जूझते ग्रामीण समाज को देखा-समझा और महसूस किया कि पानी की समस्या समाज को कैसे तोड़ती है, लाचार और बेबस करती है। अगर समाज अपने कुछ प्रयास करता है तो सरकारी तंत्र कैसी-कैसी बाधाएं खड़ी कर आमजन को पाबन्द करता है? पाबन्द ही नहीं करता बल्कि मरने को मजबूर कर देता है जिससे समाज में निष्क्रियता का भाव बढ़ता है। पराधीनता को स्वीकारने के अलावा उसके पास अपना स्वविवेक भी काम नहीं करता। ऐसी लाचारी प्रकृति की ओर से नहीं होती। यह सब व्यवस्था द्वारा खड़ी की जाती है जिसमें राजतंत्र, नेतृत्व और प्रशासनतंत्र का बुना जाल होता है जिसे तोड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है ।

अगर वह अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करता भी है तो वह बगावत के नाम से दण्डित किया जाता था । ऐसे सब अनुभव जल संरक्षण कार्य करते- करते हो रहे थे । इस सब के पीछे ऐसी क्या शक्ति है जो आदमी के जीवन को पाबन्द किया जाता है , तो नीति-नियम सामने आए । देश के आम आदमी को पाबन्द करने के लिए अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में जो नीति-नियम बनाए थे, वे सब ज्यों के त्यों लागू हैं, उनमें कुछ नहीं बदला। बल्कि पहले से अधिक नीति नियमों की शक्ति के बल-बूते पर आम आदमी को पाबन्द किया जा रहा है। भारत को आजाद होने के बाद अपनी नीतियों की एक बार पुनर्विचार कर, समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। अपने देश की स्वतंत्र जलनीति बनानी चाहिए थी परन्तु इस दिशा में कतई ध्यान नहीं दिया गया ।

तरुण भारत संघ ने 1997 में राजस्थान की जलनीति का अध्ययन किया और इस विषय में प्रबुद्धजनों और विषय-विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया । तय हुआ कि राजस्थान सरकार अपनी जलनीति बनाती रहेगी, लेकिन हमें इस पर तुरन्त काम करना चाहिए। संस्था ने राजस्थान की वैकल्पिक जलनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया और इस काम के लिए अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला को जिम्मेदारी सौंपी। झुनझुनवाला ने एक साल के समयान्तराल में पहले राजस्थान जलनीति का अध्ययन किया । वर्तमान समय में कैसे-कैसे बदलाव की जरूरत है? जिससे आम आदमी के लिए नीतिगत पानी के उठते सवालों का समाधान मिले। जलनीति की खामियां और विकल्पों पर विशेष अध्ययन के साथ प्रारूप तैयार किया गया। समय-समय पर संस्था के पदाधिकारियों से चर्चाएं होती रहीं ।

जब जलनीति का प्रारूप तैयार हो गया तो अक्टूबर 1998 में 'कुमारअप्पा' संस्था द्वारा जयपुर में एक समीक्षा बैठक आयोजित कर खुली चर्चा की। राजस्थान के संदर्भ में वैकल्पिक जलनीति पर राजनीतिज्ञों, नीति निर्धारणकर्ता, विषय-विशेषज्ञों, स्वैच्छिक संस्थाओं और विद्वज्जनों के विचारों को समाहित करते हुए अन्तिम प्रारूप 1998 में तैयार कर राजस्थान सरकार को सौंप दिया था। उसके ऊपर कितना ध्यान दिया या नहीं दिया, यह तो सरकार का अपना नजरिया था। जबकि जलनीति बनाने की जवाबदेही तो सरकार की थी। उसे ही अपनी जलनीति पहले ही बना लेनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं सोचा गया। उसके लिए जलनीति कितनी जरूरी है, उसी पर निर्भर था। तरुण भारत संघ ने तो अपने कार्यक्षेत्र के अनुभवों के आधार पर राजस्थान की जलनीति पर अपना मन्तव्य व्यक्त किया था जो राजस्थान के जन-जन के कंठ को शीतल करने में सक्षम था ।

राजस्थान सरकार का ध्यान राज्य की जलनीति पर 1999 से 2003 तक पड़ने वाले महाअकाल की छाया ने सोचने-समझने को मजबूर किया होगा। फिर भी कोई जलनीति नहीं बन पाई जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राज्य की जनता में जगह-जगह पानी को लेकर संघर्ष

होने लगे, जन आन्दोलन हुए। लोगों की छाती भेदती गोलियां आर-पार निकलती रहीं। राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर लोगों से बातचीत करने वालों का अभाव रहा। इस सब कारणों की जड़ में राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जलनीति व नियमों का न होना ही था। किस आधार पर लोगों को आश्वस्त किया जाये ? पहले लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद में छाती बन्दूक की गोलियां उतारी जाती हैं । चाहे नहरी क्षेत्र गंगानगर का घड़साना हो या फिर बीसलपुर और पांचना का बांध क्षेत्र हो। पानी के संघर्ष ने सरकार के समक्ष जलनीति के महत्व के सवाल जरूर खड़े किए होंगे । ❑

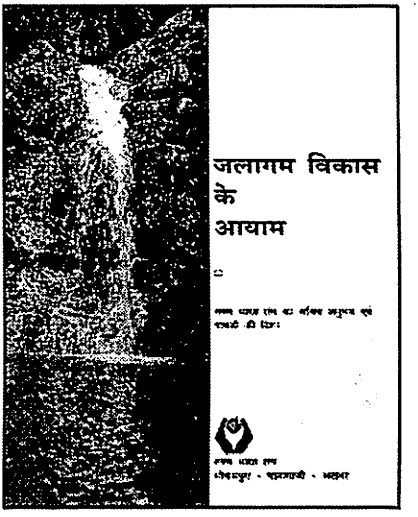

दुनिया की नज़र में जल संरक्षण के कार्य

अरवरी नदी पुनर्जन्म और अरवरी संसद को देखने-समझने के लिए दुनिया के कोने-कोने से जल संरक्षण के कार्य में रुचि एवं सोच-समझ रखने वाले प्रबुद्धजन आये जिनमें ग्रामीण किसान, राजनेता, प्रशासनिक उच्च अधिकारी, विषय-विशेषज्ञ , उद्योगपति, कानूनविद्, पत्रकार, फिल्मकार, विदेशी मेहमान आदि शामिल थे। 20 नवम्बर 1999 को पूर्व केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री विजोया चक्रवर्ती आयीं, 28 मार्च 2000 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय के.आर. नारायणन जी ने अरवरी नदी के किनारे हमीरपुर गांव में आकर भांवता-कोल्याला गांव को जल संरक्षण कार्यों के लिए सम्मानित किया तथा अरवरी जलग्रहण क्षेत्र की समृद्धि में अरवरी संसद के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा था कि सच्चे अर्थों में गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम अरवरी संसद कर रही है।

11 अप्रैल 2000 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक श्री के.सी सुदर्शन जी आए। 18 अक्टूबर 2000 में फोर्ड फाउन्डेशन के ट्रस्टी भी जल संरक्षण कार्य देखने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भांवता-कोल्याला, हमीरपुर, हरिपुरा में जाकर कामों को देखा-समझा। तीनों गांवों की ग्रामसभाओं को सम्मानित किया था । सम्मानस्वरूप एक-एक लाख रुपए की राशि तीनों गांवों को दी थी । गांव में विदेशी मेहमानों द्वारा सम्मान से ग्रामवासियों का स्वाभिमान बढ़ा जो सभी को अच्छा लगा था। कुल मिलाकर 1995 से 2000 तक की समयावधि में संस्था द्वारा ग्रामीणों की सहभागिता से बड़े स्तर पर जल संरक्षण के कार्य किये गये। जल संरक्षण कार्यों का प्रचार-प्रसार भी अपने आप होता रहा । इस कार्य में संस्था पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा। संस्था के कार्यकर्ता अपना कार्य करते थे। बाहर से आने वाले अतिथियों को काम करते-करते ही जानकारी भी देते थे। गांव के लोगों से भी मिलते थे जिससे जल संरक्षण कार्यों का फैलाव दुनिया के कोने-कोने में हो रहा था ।

28 मार्च 2000 का दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन बन गया था। देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर पहली बार भारत के गांव में जाकर गांव के लोगों का सम्मान किया था। उस दिन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में दुनिया की महान हस्ती भ्रमण कर रही थी। 28 मार्च 2000 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जयपुर के नायला कस्बे में थे तो भारत के राष्ट्रपति अलवर जिले के गांव हमीरपुर में थे । दोनों के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर होगी । दोनों के भ्रमण में अन्तर था । अमेरिका के राष्ट्रपति भारत भ्रमण के दौरान नायला आये थे । भारत के राष्ट्रपति ग्रामीणों के द्वारा ग्राम स्वावलम्बन की दिशा में किए गए प्रयासों को सम्मानित करने गांव की धरती पर आए थे जिससे जल संरक्षण के कार्य दुनिया में प्रचारित-प्रसारित हुए ।

तरुण भारत संघ के लिए वर्ष 2001 से 2005 तक का समय रचना, संघर्ष, सम्मान, भ्रमण, नीतिगत, जल संरक्षण के लिए कार्य करने का रहा जिसमें नई दृष्टि, नयी दिशा, नयी सोच के आयाम मिले, जिनको लेकर तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण के कार्यों को दिशा दी। जल संरक्षण के कार्य की उपयोगिता अकाल के समय में और अधिक बढ़ गई थी। अकाल का लम्बा समय हो चला था। गांव का जीवन तबाह हो रहा था। उसके प्राकृतिक संसाधनों ने दम तोड़ दिया था। पशुधन की असमय मृत्यु एवं अकाल पीड़ित लोगों की आंखों में निराशा के भाव के अलावा कुछ भी नहीं था। तुड़ा का मोल भाव पांच सौ रुपये क्विंटल था। एक बोरी तुड़ा एक सौ रुपये में आता था। आदमी के लिए अनाज की कमी नहीं थी।

गांव में सरकारी स्तर से अकाल राहत के काम चल रहे थे। उसमें ग्रामवासियों के लिए अनाज के बदले काम मिलता था, जिससे गांव में अनाज था। लेकिन पशुओं के लिए चारे का बहुत ही अकाल था। उस समय राजस्थान में ही अकाल नहीं था वरन् उत्तर भारत के सभी प्रांतों में अकाल की मार थी। अकाल से सब त्रस्त थे। राजस्थान के सीमान्त प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रदेश भी अकाल के ग्रास बने हुए थे। इसलिए अकाल में पशुओं के चारे की भंयकर समस्या उत्पन्न हो गई थी। किसानों ने अपने पशुओं को खूंटे से खोल दिया था। बैल, गाय और भैंस सब अकाल की भेंट चढ़ रहे थे। ग्रामवासियों ने ऐसी मजबूरी कभी नहीं देखी थी। ❑

अकाल मुक्ति के प्रयास

तरुण भारत संघ ने अपने स्तर से अकाल पीड़ित समाज के साथ सहानुभूति रखते हुए जल संरक्षण के कार्यों को लोगों के श्रम से करने पर जोर दिया। ट्रेक्टर, जे.सी.बी. मशीनों का उपयोग बिल्कुल बन्द कर दिया। कार्यों में गति बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लिया जिनमें सीडा, यू.एन.डी.पी., फोर्ड फाउन्डेशन, इन्टरनेशनल सर्विस सोसायटी-अमेरिका, पी.एच.डी. आर. डी. एफ.-दिल्ली के आर्थिक सहयोग से अकाल राहत कार्यक्रम चलाए। अकाल पीड़ितों को सीधे सहायता की। संस्था ने जल प्रबन्धन कार्य में नगद भुगतान कर ग्रामवासियों के हाथों में पैसा दिया। अकाल पीड़ित समाज ने अपने लिए और मूक पशुओं के प्राणों की रक्षा के साधन जुटाए। संस्था ने एक-एक पैसे को अकाल पीड़ित समाज की रक्षार्थ लगाया जिससे लोगों को अकाल की मार में मरहम का काम हो रहा था। अकाल प्रकृति का प्रकोप था अथवा मानवीय बदलती जीवनशैली का प्रकोप। अकाल के समय में समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रकृति के प्रकोप को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से ही कम किया जा सकता है। यह अनुभव रोज दैनिक जीवन में अकाल से जूझते समाज को देख कर हो रहे थे।

तरुण भारत संघ ने अकाल पीड़ित समाज के लिए रचनात्मक कार्यों के जरिए जो प्रयास किये थे, वह तो थे ही। संस्था ने अपने क्षेत्र के साधु-समाज को अकाल के समय में सांत्वना भाव लेकर जाने के लिए तैयार किया। पहले दो दिन 20-21 फरवरी 2001 को तरुण भारत संघ परिसर में दो दिवसीय, अकाल के समय साधु-संत की समाज के प्रति भूमिका पर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें क्षेत्र के साधु संत समाज के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में तय हुआ कि आज की दुखद घड़ी में अन्नदाता समाज संकट में है। उसे साधु-संत वैसे तो कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता। लेकिन समाज के बीच जाकर अपने आशीर्वचन जरूर देगा। साथ ही जल संरक्षण के लिए समाज को प्रेरित करेगा जिससे समाज अकाल मुक्त हो सके।

अकाल मुक्ति के लिए साधु-संत के सहयोग से राजस्थान में अकाल से जूझते समाज के बीच में सांत्वना, धैर्य और अकाल क्यों ? समाज में जल संरक्षण का संदेश लेकर एक पद यात्रा 21 फरवरी 2001 से शुरू की गई थी जिसने राज्य भर में दो महीने में गांव -गांव अकाल प्रभावित समाज के बीच जाकर अकाल मुक्ति के लिए जल संरक्षण का संदेश दिया जिसमें गांव के सामलाती जोहड़, बांध, तालाब, एनीकट जैसी संरचनाओं के द्वारा गांव में जल प्रबन्धन करने के लिए आह्वान किया। यह यात्रा तरुण आश्रम भीकमपुरा से 21 फरवरी 2001 को शुरू हुई और राजस्थान के अकाल प्रभावित समाज में जल संरक्षण का संदेश देते हुए 21 अप्रैल 2001 को निम्बी जल सम्मेलन में समापन हुआ।

3 मार्च को अलवर प्रशासन ने अरवरी संसद भवन को अवैध निर्माण और अतिक्रमण का नाम देकर तोड़ दिया। नाम बदनाम किया तरुण भारत संघ का, क्यों ? क्योंकि तरुण भारत संघ के सहयोग से अरवरी जल ग्रहण क्षेत्र के लोग अपनी अरवरी नदी के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे थे। उसे देखने के लिए दुनिया के लोग आए दिन अरवरी क्षेत्र के गांव में आते थे । फोर्ड फाउन्डेशन के ट्रस्टी द्वारा दी गई सम्मान राशि से अरवरी संसद भवन ग्राम सभा हमीरपुर के लोग बना रहे थे लेकिन सरकारी तंत्र को ऐसे कार्य कहां रास आने वाले थे? उसने आनन-फानन में अपनी शक्तियों के बल का प्रयोग किया और निर्माणाधीन संसद भवन को ध्वस्त कर दिया। अखबारों के जरिये प्रचार किया गया कि तरुण भारत संघ द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। भला हमीरपुर में तरुण भारत संघ क्यों निर्माण करेगा? जबकि उसके पास भीकमपुरा में अपनी जमीन है, अपनी बिल्डिंग है, जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं। खैर ! सरकारी तंत्र के मन की कड़वाहट जो थी, कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे अपना असर दिखाना जरूरी था। अरवरी भवन को तोड़कर दिखा दिया था।

अकाल के समय तरुण भारत संघ द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण के कार्यों को देखने के लिए तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री 6-7 अप्रैल 2001 को ग्रामीण क्षेत्र में आए। दो दिनों तक लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और पूरे देश में जल संरक्षण कार्य करने के लिए अपना विचार बना कर ही लौटे।

19 -21 अप्रैल 2001 तक निम्बी गांव, जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का जल सम्मेलन किया गया जिसमें तीन हजार के लगभग लोगों ने भाग लिया था। सम्मेलन में राजनेता, पर्यावरणविद्, विषय-विशेषज्ञ, प्रबुद्धजन, सरकार के उच्च अधिकारीगण, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ पत्रकारों का दल, किसान-मजदूरों के जन समूहों ने जल सम्मेलन में शिरकत की। तीनों दिन देश में बढ़ती जल समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य और देश की जलनीति पर भी सवाल उठे। जल के संकट की विकट समस्या का आकलन करते हुए सम्मेलन में आए सहभागियों ने जलनीति की भी समीक्षा कर एक खाका सभी के सामने रखा था। निम्बी सम्मेलन में ही देश भर के जल प्रेमियों ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए जल-बिरादरी का गठन किया और तरुण भारत संघ अध्यक्ष को ही जल बिरादरी का अध्यक्ष चुना। ❑

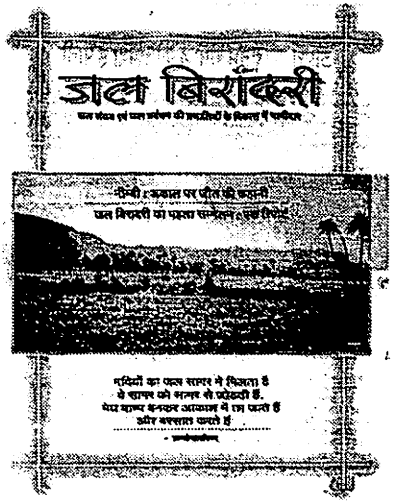

जल संरक्षण के लिये संघर्ष

अकाल के समय समाज जब अपने संसाधनों को दुरुस्त करता है तो सरकारी तंत्र और राज सत्ता में न जाने क्यों खलबली मच जाती है। गोपालपुरा में जब मेवालों का जोहड़ बन रहा था तो अलवर सिंचाई विभाग ने जनवरी 1987 में नोटिस देकर तरुण भारत संघ को पाबंद करने के प्रयास किये थे जबकि जोहड़ बनाने की अनुमति विकास अधिकारी, थानागाजी से लेकर ही कार्य करना शुरू किया था। फिर भी सरकारी शिकंजा कसने से सरकारी तंत्र बाज नहीं आ रहा था। आम आदमी को पाबन्द करना सरकारी हाकिम-हुक्मरानों की फितरत होती है लेकिन गांव के संगठन और जयपुर के उच्च अधिकारियों के कारण काम सुचारु रूप से चलते रहे। उसके बाद हजारों की संख्या में जल संरक्षण के काम हुए, कभी किसी से अनुमति नहीं ली। राजस्थान के अधिकांश जिलों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हुआ। संस्था ने कभी भी जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण कार्य पर अपना स्वामित्व नहीं दर्शाया था। संस्था जो भी कार्य कर रही थी, सब ग्रामीण समाज के सहयोग से उन्हीं के लिए था। किसी कार्य पर संस्था का अधिकार नहीं था।

संस्था के पास अपना कोई आय का स्रोत तो था नहीं, वह तो ग्रामीण समाज के विकास के लिए अनुदान के रूप में कुछ व्यवस्था करती थी। समाज के लोग अपने-अपने गांव में संगठन बना कर जल संरक्षण कार्य करते थे जिसमें संस्था थोड़ा-बहुत सहयोग दे रही थी। बल्कि जो कार्य सरकार के लिए करने की जरूरत थी उसमें संस्था एक प्रकार से सहयोग स्वरूप काम कर रही थी।

गोपालपुरा की तरह ही लाहा का वास गांव के लोग लगातार तीन साल के अकाल की मार से पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे थे। गांव में पीने के लिए ही पानी नहीं था। खेती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। गांव के लोग अपने गांव की सीमा में संस्था के सहयोग से जल संरक्षण के कार्य शुरू करना चाहते थे। उन्होंने संस्था से भी मदद के लिए कहा तो संस्था ने गांव की परिस्थितियों को देखते हुए सहयोग देने का आश्वासन दिया था। ऐसे ही क्षेत्रीय गांववासियों से सहयोग ले रहे थे। थानागाजी के तत्कालीन विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, तहसीलदार, विकास अधिकारी, आस-पास के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में 4 मार्च 2001 को लाहा का वास का कार्य शुरू हुआ। स्वयं विधायक, तहसीलदार ने हवन पूजा पर कार्य की शुरुआत की थी, ट्रेक्टर भी चलाया था। विधायक ने अपने कोटे से एक लाख रुपये का सहयोग करने के लिए भी आश्वासन दिया था।

ऐसी स्थिति में लाहा का वास के काम से तरुण भारत संघ का क्या वास्ता था? लेकिन तरुण भारत संघ भीकमपुरा को केन्द्र मानकर पिछले 15 वर्षों से राज्य के विभिन्न जिलों में जल संरक्षण के कार्यों में लगा हुआ था। कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अलवर सिंचाई विभाग ने तो वही पुराना अलाप फिर अलापना शुरू कर दिया। उसने तरुण भारत संघ को पाबंद करते हुए, लाहा का वास गांव में बन रही जल संरक्षण संरचना के कार्य को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने के साथ-साथ निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, ऐसा न करने पर बिना किसी सूचना के संस्था के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के भी आदेश दिये थे।

गांव वालों ने सिंचाई विभाग के आदेश को नकारते हुए कार्य जारी रखा। सवाल था कि मरता आदमी क्या नहीं कर सकता। जब उसे अकाल में मरना ही है तो भी कुछ न कुछ प्रयास करते हुए मरना ही अच्छा है। वरना इस मनुष्य शरीर का क्या महत्व? ऐसे भाव से लाहा का वास गांव के लोग अपने जल संरक्षण के कार्य में लगे हुए थे लेकिन ऐसे विचार भाव से सिंचाई विभाग के लोगों को क्या मतलब? उसे तो इस बात पर आक्रोश था कि उसके नोटिस के बावजूद भी कार्य बन्द नहीं हुआ। इसलिए उसने जिलाधीश अलवर के माध्यम से कार्य बन्द कराने के सख्त आदेश जारी करवा दिये।

जिलाधीश अलवर ने थानागाजी के प्रशासन को पाबन्द करते हुए त्वरित आदेश की पालना के लिए लिखित में कहा था। थानागाजी का प्रशासन एस.डी.एम., तहसीलदार, विकास अधिकारी, पुलिस बल ने लाहा का वास के काम को अपने-अपने तौर-तरीकों से पाबन्द करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्य करने वाले ट्रेक्टरों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। तहसीलदार ने एक पटवारी और कानूनगो को तैनात कर दिया। विकास अधिकारी ने जे.ई.एन. को निगरानी के लिए लगा दिया था। सभी अपनी ओर से थानागाजी एस.डी.एम. को प्रतिदिन प्रगति की सूचना देते।

एस.डी.एम. द्वारा रोज अलवर कलेक्टर को लाहा का वास कार्य की जानकारी भेजी जाती थी। इतने पर भी कार्य बन्द नहीं हुआ। प्रशासन ने अपनी ओर से जल संरक्षण संरचना को तोड़ने के लिए तामझाम इकट्ठे कर लिए। बड़ी-बड़ी मशीन गांव में पहुंच गई। गांव वाले भी जेल जाने के लिए तैयार थे। इस सब से जिला प्रशासन बौखला गया था। प्रशासन अब लाहा का वास के काम को रियासतकालीन रूपारेल नदी जल बंटवारे से जोड़कर प्रचारित करने लगा। जबकि संस्था ने लाहा का वास के काम से संबंधित अपने विचार से सिंचाई विभाग के अधिकारियों

और जिलाधीश अलवर को लिखित रूप में अवगत करा दिया था। लेकिन उनके गले कहां उतरने वाला था ? उसे तो येन-केन -प्रकारेण तरुण भारत संघ की गर्दन मरोड़नी थी।

हठीले प्रशासन के हाथों में अंग्रेजी हुकूमत में बने कानून की शक्तियों का सहारा था। उन्हीं के बल पर आम आदमी के पानी के हक को दबाया जाता रहा है। जबकि भारत को आजाद हुए आधी सदी गुजर गई थी। देश और राज्यों में कई विकासशील कही जाने वाली सरकारें आईं। विकास के लिए बड़ी-बड़ी कार्ययोजना बनी, फिर परियोजना बनी। विकास कार्य हुए लेकिन देश और राज्य की जलनीति वही अंग्रेजी हुकूमत वाली रही जिसमें आम आदमी के कंठ को सूखा रखने की शक्ति आज के आजाद भारत में अभी वैसी ही है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी। उसी कानून के तहत लाहा का वास कार्य को रोका जा रहा था और तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को पाबन्द किया गया था। ऐसी स्थिति में संस्था के कार्यकर्ताओं ने स्थिति को देखते हुए जयपुर में उच्च अधिकारियों से भी सम्पर्क किया लेकिन नीचे से ऊपर तक सब लकीर के फकीर थे। जब लाहा के वास की बात सत्ता के गलियारों में पहुंची तो वहां के रंग-ढंग अलग ही थे। कहने को तो सत्ता पक्ष ने जल संरक्षण का अपना लोक लुभावन नारा दिया था कि ''गांव का पानी गांव में - खेत का पानी खेत में''।

लोक कहावत है कि -' हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने वाले और होते हैं ' ऐसे ही सत्तासीन कांग्रेस सरकार का हाल था। उसने 'गांव का पानी गांव में - खेत का पानी खेत में' अपना नारा जनता के बीच पहुंचाया। गांवों की दीवारों पर लिखवाया गया। इसे लिखवाने के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च भी किये। यह सब सिंचाई मंत्री की देख-रेख में ही हुआ था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो सभी कुछ होता है। ऐसा नहीं था कि इस नारे को लिखवाते वक्त राज्य सरकार को जानकारी नहीं थी, प्रशासन तंत्र को कानून कायदे मालूम नहीं थे। कानून-कायदे तो कोई नये थे ही नहीं, सब सदियों पुराने थे जिनके बल से सरकार चल रही थी। जब अकाल में गरीब आदमी अपने लिए पानी के कुछ प्रयास करता है तो उस समय सत्तासीन सरकार का लोक लुभावन उक्त नारा किसी काम में नहीं आता। उस समय केवल अंग्रेजी कानून काम आता है। ऐसा ही नजारा लाहा का वास में भी देखने को मिल रहा था।

जब बात सत्ता के गलियारों में पहुंची तो तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्रीमती कमला चौधरी ने लाहा का वास के काम को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपना वक्तव्य दिया कि 'आसमान से धरती पर गिरने वाली प्रत्येक बूंद पर सरकार का हक है।' लेकिन धरती पर रहने वालों पर किस का हक है ? यह स्पष्ट नहीं था। अगर सरकार का हक है, तो सरकार आदमी के जीवन की रक्षा के

लिए आगे आती और लाहा का वास के लोगों को पानी उपलब्ध कराना चाहिए था। अगर आदमी पर प्रकृति का हक है तो वह आसमान से गिरने वाली बूंदों को ही संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। सरकार के किसी भी कारिंदे ने ऐसे लोगों को जाकर नहीं देखा जहां का समाज स्वयं अपने पुरुषार्थ से अकाल में जल संरक्षण के कार्य करता हुआ जिन्दगी से संघर्ष कर रहा था। बल्कि ऐसे समाज के लोक अभिक्रम को सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण मान कर उसे हतोत्साहित किया जा रहा था।

देश के प्रबुद्धजनों ने लाहा का वास में आकर देखा तो सभी ने गांव के लोगों की सराहना की थी जिनमें ओम थानवी, एन. स्वामीनाथन, अनिल अग्रवाल, सुनीता नारायण, प्रोफेसर एम.एस. राठौर, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के अलावा देश के हजारों अनुभवशील लोगों ने लाहा का वास गांव में आकर ग्रामवासियों के कार्य को सराहा। इनमें भरतपुर के सांसद विश्वेन्द्र सिंह ने लावा का वास के लोगों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने यहां तक कहा कि इस प्रकार के काम से भरतपुर की जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है बल्कि हमें गांव वालों से सबक लेना चाहिए कि हम भी अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के काम करें।

लाहा का वास का मुद्दा इतना उछला कि राजनैतिक लोगों की गोटी बन गया। गांव-ढाणी से लेकर, विधान सभा में पक्ष -विपक्ष का विवाद बन गया। अलवर-भरतपुर के छोटे-बड़े सभी राजनीति के खिलाड़ी लाहा का वास को लेकर 'खुली आंखों से सपने देखने लगे और काम को बन्द कराने में लग गए। उन्हें लाहा का वास के काम से कुछ लेना-देना नहीं था। न ही कभी उन्होंने गांव को देखा था। बस ! प्रशासन ने जैसे बयान अखबारों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाए, उसी के आधार पर अपने-अपने क्षेत्र में सपने देखने लगे थे। अच्छा मौका मिला है, इसे हाथ से नहीं जाने देना है।

छोटे क्षेत्रीय राजनैतिक लोग ही लाहा का वास के काम को लेकर सपने देख रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि राजनीति के भीष्म पितामह जैसे धुरंधर भैरोसिंह शेखावत जी भी लाहा का वास के काम को राजनैतिक जामा पहनाने के लिए लाहा का वास बिना किसी सूचना के आ पहुंचे थे। कार्य को देखा-समझा, लोगों से भी बातचीत की थी। उन्होंने गांव वालों को राजनीति की भाषा में आश्वासन दिया था कि अब तक यह टूट जाता तो टूट जाता। लेकिन अब नहीं टूटेगा। अब मैंने देख लिया है। लेकिन दूसरे दिन विधान सभा में सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सरकारी संपत्ति को बचाने में नाकाम रही है। लोग गांव-गांव में सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। इस वक्तव्य में लाहा का वास का काम भी छिपा हुआ था।

लाहा का वास के काम को लेकर समाज के दर्शन विभिन्न रूपों में हो रहे थे। थानागाजी के लोगों ने जल संरक्षण कार्य को बचाने के लिए एक जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति बनाई जिसका थानागाजी में सार्वजनिक रूप में गठन हुआ। दूसरे अलवर क्षेत्र में लाहा का वास बांध को तुड़वाने के लिए आन्दोलन शुरू हुए। अलवर, भरतपुर और जयपुर के प्रशासन तंत्र के बस की बात नहीं थी। इस सब के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर निर्माणाधीन कार्य को बचाने के लिए निवेदन किया। अब तो नेता-राजनेताओं की दखलन्दाजी से ही कुछ मामला शान्त हो सकता था । मुख्यमंत्री से भी मिले। फिर भी बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही थी ।

इन सब व्यवधानों से गांव के लोग भी परेशान हो रहे थे। रोज-रोज सरकार का कोई न कोई कारिंदा अपने कानून के बल पर काम बन्द कराने के लिए आ धमकता। लेकिन कोई बन्दा यह सलाह देने वाला नहीं था कि काम को कैसे ठीक करें ? उन्हें ऐसा करना होता तो बन्द ही क्यों करते ? जिस विधायक ने अपने कोटे से गांव वालों को सहयोग देने के लिए कहा था । वह तो सब छोड़िए, उसका तीन महीने तक थानागाजी में आना ही नहीं हुआ । न ही अपने निवास स्थान पर लोगों से मिला। जिस तहसीलदार की उपस्थिति में कार्य आरम्भ हुआ था। उसका तो और भी बुरा हाल था। उसने संस्था में आकर कहा कि मेरा किसी प्रकार से नाम नहीं आना चाहिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। संस्था के विरोध में प्रशासन ने चाहे कितना भी तांडव किया था लेकिन संस्था ने थानागाजी के तहसीलदार पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी ।

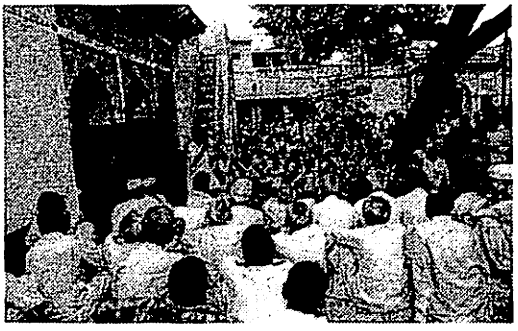

संघर्ष के बीच 'मान-सम्मान' का सुख मिला । 30 जुलाई 2001 को संस्था के पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा ने सभी को आश्चर्य- चकित कर दिया । राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बधाई दी । तीखे प्रहार करने वाली सिंचाई मंत्री के कंठ से विषैले मिठास के शब्द निकले। जिला प्रशासन से लेकर जयपुर तक का प्रशासन तंत्र हतप्रभ रह गया था कि यह सब क्या हुआ? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दम शान्त भाव था। अलवर क्षेत्र के लोगों में जरूर बौखलाहट देखी गई। उन्होंने न जाने कैसे-कैसे शब्दों से मन की कड़ुवाहट को गले से बाहर निकाला । तब जाकर थोड़ी बहुत राहत मिली होगी ।

यह सब होते हुए भी कार्य को जैसे-तैसे पूरा किया । जब जल संरक्षण संरचना में बारिश की बूंदों का अमृत जल आकर जमा हुआ तो गांव और आस-पास के ग्रामवासियों के मन में एक उत्साह था। उससे उनकी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आशाएं जुड़ी हुई थीं। वह सब पूरी होती दिखाई दे रही थीं। संरक्षित जल का उपयोग जब गांववासियों ने खेती में किया तो खेतों ने लोगों के सपने पूरे किए। ❑

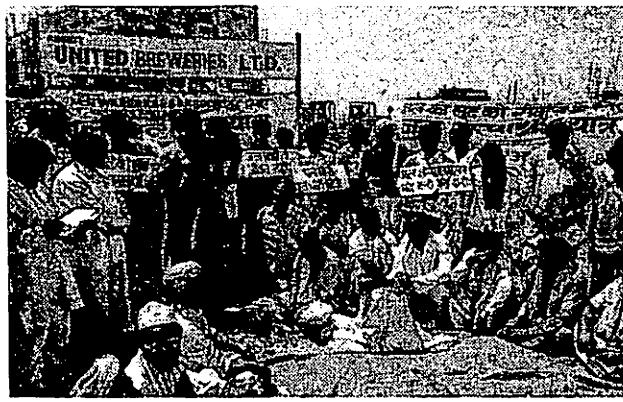

जल नीति के लिये कार्य

लाहा का वास के काम ने राज्य और केन्द्र की जलनीति पर कार्य करने के लिए तरुण भारत संघ को एक प्रकार से मजबूर कर दिया था। विशेषज्ञों के सहयोग से मौजूदा जलनीति का अध्ययन किया। समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए केन्द्रीय जलनीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राजेन्द्र भवन, दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें किसान, विशेषज्ञ, जल संसाधन मंत्रालय के उच्च अधिकारी, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में केन्द्रीय जलनीति पर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। इसे एक प्रकार से केन्द्रीय जलनीति पर जन संवाद के रूप में सबने स्वीकार किया। जो विचार विद्वजनों ने दिये उन्हें अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला ने कलमबद्ध किया।

इसके बाद राज्य और केन्द्रीय जल नीति को लेकर देशव्यापी संवाद की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। संस्था ने प्रयास तेज कर दिये। एक साल के प्रयास के बाद 'राष्ट्रीय जलनीति' पर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, स्काउट गाइड केम्पस हुमायूं के मकबरा के पास दिल्ली में 4-6 मार्च 2002 को आयोजित किया गया। इसमें किसान, विशेषज्ञ, जल संसाधन मंत्रालय के उच्च अधिकारी, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, सत्ता पक्ष-विपक्ष के राजनीतिज्ञ, साधु-संतों की उपस्थिति में केन्द्रीय जलनीति के प्रारूप पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। केन्द्रीय जलनीति के प्रारूप में भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा गया था। भारत को समझने वाले नीति विशेषज्ञों के विचारों को समाहित करते हुए दस्तावेज तैयार किया गया था। केन्द्रीय जलनीति को लोकहित में बनाने के लिए केन्द्र सरकार से समय-समय पर विचार-विमर्श चलता रहा। इस प्रकार से केन्द्रीय जलनीति पर देशव्यापी जन संवाद का अभियान चला कर देश की जलनीति का अन्तिम प्रारूप जो आम नागरिक को केन्द्र में रखकर बनाया गया था, केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया।

संस्था द्वारा केन्द्रीय जलनीति के प्रयास केन्द्र सरकार के गले कितने उतरे, इसका आकलन तो नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक प्रकार से जलनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी तो 1 अप्रैल 2002 को तत्कालीन प्रधान मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में देश की नई जलनीति की घोषणा की थी। नई जलनीति की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। उपस्थित मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध किया गया कि आप भी अपने-अपने राज्यों की जलनीति इसी के आधार पर बनाएं। सभी ने स्वीकृति में अपना समर्थन व्यक्त किया। किसी ने प्रारूप पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की, सब स्वीकार था। नीति में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उनके हितों को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। सब के मन-पसंद की जलनीति थी।

बस ! ऊपर का कवर पृष्ठ बदल कर अपने-अपने राज्यों के नाम का कवर पृष्ठ लगाना था। जिन मुद्दों को लेकर अकसर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच द्वंद्व होता था। सब का समाधान जलनीति में केन्द्र सरकार ने स्वत: ही कर दिया था। अब ना-नुकर करने का तो सवाल ही नहीं था। जिन तथ्यों के आधार पर सामाजिक संगठन तरह-तरह से राज्य सरकारों के विकास कार्य में बाधा बनते थे। अब सब का समाधान जलनीति में था। अब पानी नीतिगत तौर पर प्राकृतिक संसाधन के स्थान पर राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया गया था। नीतिगत पानी को किसी को बेचा जा सकता है जिससे सत्ता पक्ष के लोग आराम से बिना किसी जद्दोजहद के पानी को बेच सकते थे।

तरुण भारत संघ ने पुन: केन्द्रीय नई जलनीति की समीक्षा की, जिसमें आम आदमी के हितों को नजरअन्दाज किया गया था। साथ ही पानी को प्राकृतिक संसाधन की जगह राष्ट्रीय सम्पत्ति के सवाल पर देशव्यापी अभियान चलाने का मन बनाया गया। जब देश में जलनीति के विरुद्ध आवाज उठने लगी तो केन्द्र सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी परियोजना के नाम पर देश के बढ़ते जल संकट के समाधान के लिए और देश को बाढ़-अकाल जैसे प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए भारत की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए पाँच लाख साठ हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2002 में कर दी।

परियोजना राशि का इंतजाम विश्व बैंक को करना था। विश्व बैंक के कर्ज को भारत न जाने कितनी सदियों तक चुकाता रहता। देश के गरीब ग्रामवासियों का विस्थापन में क्या हाल होता, देश की जैव विविधता और भौगोलिक परिस्थितयों में न जाने कैसे -कैसे बदलाव होंगे? इन सब बिन्दुओं को लेकर तरुण भारत संघ ने अपनी सीमाओं से निकल कर राष्ट्रव्यापी वैचारिक आन्दोलन छेड़ दिया। संस्था के कार्यकर्ता देश में जल संरक्षण का संदेश लेकर निकल पड़े थे। दिसम्बर 2002 से राष्ट्रीय जल यात्रा शुरू की गई। यात्रा के मुख्य बिन्दु केन्द्र की जलनीति, राज्यों की जलनीति, नदी जोड़ परियोजना, जल का निजीकरण, समाज में जल संरक्षण के लिए सहयोगी भाव को बढ़ाना, दो साल की यात्रा के बाद जो अनुभव हुए, उससे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अवगत कराया। केन्द्र सरकार ने नीति के बिन्दुओं को पुन: देखा तो संशोधन करने के लिए सुझाव सुझाए गये। उनमें से कुछ को स्वीकार किया और नया प्रारूप तैयार किया। ऐसे ही नदी जोड़ परियोजना के लिए एक इम्पावर कमेटी बनाई गई जिसमें तरुण भारत संघ के प्रतिनिधित्व को सलाहकार के रूप में स्वीकार किया।

संस्था ने केन्द्र सरकार को परियोजना के लाभ-दोष को आंकते हुए अपने विचार दिये। साथ ही साथ केन-बेतवा नदी घाटी का स्वतंत्र रूप से पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को लेकर तकनीकी दृष्टि से विषय-विशेषज्ञों के द्वारा अध्ययन कराया गया। अध्ययन पी.एस.आई. देहरादून, आई. आई .टी. कानपुर के सहयोग से डॉ. जी.डी. अग्रवाल जी की अध्यक्षता में हुआ जिसे केन्द्र सरकार को दिया।

देश में जून 2004 में नई सरकार बनी, नदी जोड़ परियोजना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। कभी परियोजना को लेकर खबरें आती कि नदी जोड़ परियोजना ठण्डे बस्ते में, कभी खबर छपती कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर हस्ताक्षर हुए। कभी चम्बल, सतलज-यमुना नदी जोड़ परियोजना पर राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ। इस प्रकार से कहीं न कहीं आम आदमी का जीवन तबाह होता दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के अध्ययनों से भी स्पष्ट हो गया था कि नदी जोड़ परियोजना भारत की जनता के लिए एक अभिशाप बन कर आ रही है जिसमें नदी का अस्तित्व, पर्यावरणीय विनाशलीला, गांव व ग्रामवसियों के जीवन में विस्थापन की त्रासदी, देश के जल संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा जैसे सवाल सामने आए।

पहले से ही देश में राज्यों के आपसी विवाद हल नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु , राजस्थान-हरियाणा, पंजाब-राजस्थान में पानी के सवाल पर मतभेद ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि पानी के नये विवाद खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक-दूसरे के यहां पानी को लेकर बड़े-बड़े विज्ञापन देकर जनता में रोष व्याप्त करते रहे हैं। सवाल उठता है कि पानी किसका? पानी प्रत्येक जीव को चाहिए, फिर सत्ता की हकदारी कैसे चलेगी और क्यों? यह सब जलनीति के सवाल बने।

देश में पानी के सवाल ने सरकारों को अपरोक्ष रूप में सोचने के लिए मजबूर किया। चाहे राजस्थान के समाज ने अपने सीने पर गोलियों की बौछारें झेली हों, चाहे महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के लोगों ने आत्महत्या की हों, चाहे उड़ीसा की जनता ने बांध के पानी को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच कर सरकार और उद्योगपतियों के गठजोड़ के बावजूद पानी संरक्षण के प्रयास किए, चाहे बिहार की ग्रामीण जनता बाढ़ की त्रासदी झेल रही हो । लेकिन सब की जड़ें पानी से जुड़ी हुई थीं ।

तरुण भारत संघ के सामने पानी के विविध सवाल थे। देश में पानी की परिस्थितियों को देखते समझते हुए उन्हें देश के सामने लाने का प्रयास था। पानी से संबंधित अपने अनुभव और सुझाव जनता के बीच, शिविर, सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं, सरकारी, गैर-सरकारी स्तर की विचार गोष्ठियों में स्वतंत्र रूप से रखे। समाचार पत्र- पत्रिकाओं, लेखों और टी.वी. चैनलों के माध्यम से समाज के बीच प्रवाहित किए जिसका असर देश की जनता और प्रबुद्धजन, राजनैतिक लोग और राजसत्ता, प्रशासनिक उच्च अधिकारियों में कहीं न कहीं दिखाई दिया।

केरल, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखण्ड आदि प्रान्तों की जलनीति में परोक्ष-अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं नीतिगत मुद्दों को लेकर सवाल खड़े हुए। तरुण भारत संघ जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं ने जनता के अनुकूल जलनीति बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया । साथ ही अपने सुझावों से अवगत भी कराया। जहां कहीं सरकारी तंत्र और स्वैच्छिक संस्थाओं को तरुण भारत संघ के अनुभव की आवश्यकता हुई, वहां पूरा सहयोग किया जिससे देश की जलनीति और राज्यों की जलनीति में गरीब से गरीब के कण्ठ की प्यास समाहित हो सके।

समय के थपेड़ों से सबक लेते हुए राजस्थान सरकार ने सन् 2004 से जल नीति पर सोचना शुरू किया था। उसके लिए व्यास कमेटी का गठन किया और एक संवाद प्रक्रिया शुरू हुई। इस कमेटी में तरुण भारत संघ भी एक सदस्य के रूप में था।

तरुण भारत संघ ने नीतिगत मुद्दों पर अपने अनुभवों के आधार पर और समाज में पानी के बढ़ते संकट के विभिन्न प्रकार के आयामों से होने वाले खतरों के प्रति सचेत करते हुए, अपने विचारों से राज्य सरकार को अवगत कराया। केन्द्र सरकार की जलनीति और नदीजोड़ परियोजना का पुरजोर विरोध किया। देश में जलयात्रा के माध्यम से अलख जगाई, जल यात्रा के दौरान 144 नदी घाटी क्षेत्रों में जाना हुआ। वहां के समाज की जल संबंधी पीड़ा के दर्शन हुए। नदियों की दुर्दशा देखी। पानी के लिये झगड़ों में समाज, प्रशासन, राजनैतिक दृष्टि, राज सत्ता, कानून, उद्योगपतियों के बीच बढ़ती खाई में, समाज को अलग-थलग देखा गया। सब प्रकार के विकास कार्य में ग्रामीण जन की जीवन उपयोगी संपत्तियों को बेचने के कुचक्र के विरुद्ध आवाज उठाई जिसमें जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन थे। साथ ही भारत के आम जन और ग्रामीण समाज के हकदारी के सवाल थे।

तरुण भारत संघ पिछले दस वर्षों से जल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन कर सरकार और समाज के साथ सतत संवाद प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रहे। एक ओर तरुण भारत संघ के कार्य में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के साथ सीधा संघर्ष दिखाई देता था, तो दूसरी ओर सरकारी तंत्र तरुण भारत संघ के अनुभवों को समझने और कार्य देखने के लिए आतुर दिखाई देता था। तभी तो केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के राजनेता और उच्च अधिकारी, जिलेवार तरुण भारत संघ के कार्य देखने-समझने के लिए आते रहे हैं। पूर्वी प्रान्तों को छोड़कर शेष भारतवर्ष के कश्मीर से तमिलनाडु और गुजराज से पं. बंगाल तक के लोग आते रहे हैं।

सन् 2004 में राज्य की जलनीति पर शुरू हुई। प्रक्रिया के चलते अगस्त 2008 में राजस्थान जलनीति का अन्तिम प्रारूप तैयार हुआ। तरुण भारत संघ ने राजस्थान की स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर राजस्थान की जलनीति को समझाने के लिए विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के प्रोफेसर डॉ. मनोहर सिंह राठौर के सहयोग से अभियान चलाया। ऐसे ही देश के अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जलनीति बनाने के प्रयास शुरू किए हैं।

तरुण भारत संघ ने देश में जलनीति के मुद्दों के सवाल पर 2002 से 2005 तक सतत प्रयास किये। कई राज्यों ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और जन की जल जरूरतों के अनुकूल अपनी जलनीति बनाई है जिसमें जनता का मालिकाना हक जुड़ा है। लेकिन अभी सरकार के ऊपर दबाव बनाने से ही पानी प्राकृतिक रूप से संसाधन रहेगा वरना राष्ट्रीय सम्पत्ति के तहत तो बाजार की सम्पत्ति बन कर रह जायेगा। ❑

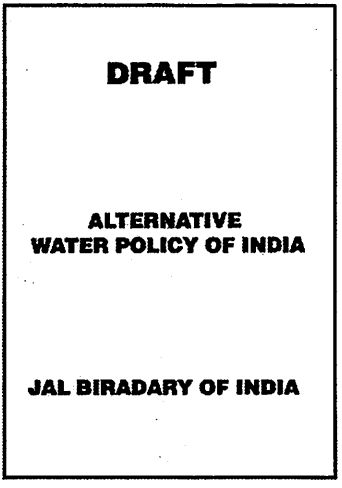

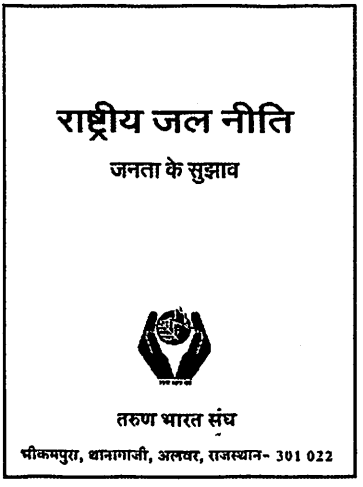

राजस्थान सरकार द्वारा
जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन

तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण के ज्ञान को विधिवत् युवा पीढ़ी में पहुंचाने के लिए कुछ पाठ्यक्रम तैयार किया है तथा जिसे तरुण जल विद्यापीठ के माध्यम से युवाओं को ज्ञान दिया जाता है। जल संरक्षण के पाठ्यक्रम में युवाओं की योग्यता का विशेष ध्यान रखते हुए 15 दिन, एक माह, दो माह और छह माह का कोर्स बनाया गया जो प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाजनक रहे। तरुण जल विद्यापीठ की वैचारिक तैयारी तो सन् 2002 से ही शुरू कर दी गई थी लेकिन कार्यरूप 2005 में दिया गया। पहले वर्ष में देश के विभिन्न भागों से आए युवाओं को जल संरक्षण की विविध विधाओं के माध्यम से ज्ञान दिया गया।

जल संरक्षण के आधारभूत ज्ञान के लिए जल की महत्वता को व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से देखा जाता है ? हमारे देश का जल के प्रति क्या दर्शन रहा है ? जिसमें जल जीवन है, प्रकृति को गतिमान बनाए रखने की दार्शनिक महत्वता से भारतीय जन अच्छी तरह परिचित हैं। फिर भी जल का व्यापार भारत भूमि में फलने-फूलने लगा है। अब सरकारी मनसा और नीति सब जल के व्यापार को बढ़ावा देने वाली बन गई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इशारे पर हमारी जलनीति बनाई जा रही है जिसमें जल को सम्पत्ति घोषित किया गया है। उससे होने वाले नुकसान के प्रति युवा पीढ़ी को सचेत करना भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा माना गया था।

तकनीकी और रचनात्मक दृष्टि से जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के द्वारा ज्ञान दिया गया तथा विषय-विशेषज्ञों के द्वारा अनेक वैज्ञानिक पहलुओं को समाहित किया गया था। जल की बढ़ती समस्या से जूझते समाज के दर्शन कर युवा को सही वस्तुस्थिति का ज्ञान स्वत: ही हो जाता था। देश में जल को लेकर बढ़ते संघर्ष भी जल के विषय में सोचने के लिए युवाओं को मजबूर करते थे जिससे जल ज्ञान से युवाओं का मार्गदर्शन हुआ। तरुण जल विद्यापीठ के छात्रों ने अपने ज्ञान को तो बढ़ाया ही, साथ ही राजस्थान और हरियाणा प्रांत के छात्रों में जल संरक्षण का ज्ञान बांटा। इसके लिए उन्होंने दोनों राज्यों में यात्राएं कर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गांव-ढाणी और शहर कस्बों में जाकर जल ज्ञान दिया।

सबसे बड़ी बात तो यह रही कि राजस्थान के सिंचाई विभाग के आला अफसर डी. सी. सामन्त जी स्व-प्रेरणा से 8 अप्रैल 2005 को तरुण भारत संघ के कार्यों को देखने के लिए आए। यह

20 साल में पहली घटना थी कि सिंचाई विभाग का सचिव तभासं के कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के कार्यों को देखने समझने के लिए आया । वरना सिंचाई विभाग से तो जब भी कोई कागज आया वह नोटिस के रूप में ही था जब कि सामन्त जी के कार्यालय से कई बार फोन आने पर 8 अप्रैल का कार्यक्रम बना था । सिंचाई सचिव डी.सी. सामन्त जी ने तरुण भारत संघ के कार्यों को देख कर कहा था कि ऐसे कार्य तो हमारे विभाग को भी करने चाहिए। इस पर अपनी सहमति देते हुए अलवर सिंचाई विभाग के ए.ई.एन. ने कहा था कि हमें कार्य करने की स्वतंत्रता कहां है ? डी. सी. सामंत कार्यों को देखकर जयपुर लौट गये थे।

अलवर सिंचाई विभाग के ए.ई.एन.शेखावत ने तरुण भारत संघ के कार्यों को देख कर कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा था कि तरुण भारत संघ और अलवर सिंचाई विभाग मिलकर, अच्छे कार्य कर सकता है। जहां तकनीकी जानकारी की जरूरत हो वहां पर हमारा विभाग पूरी मदद करेगा। अगर कहीं पर लोगों का सहयोग कम होने के कारण कार्य में रुकावट आती हो तो ऐसे काम को हमारा विभाग कर सकता है, आप हमें बताएं। राजस्थान के सिंचाई सचिव का स्व-प्रेरणा से तभासं कार्यक्षेत्र में आना और अलवर सिंचाई अभियन्ता का सहयोगी विचार एक प्रकार से राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करने का भान कराते हैं। तभी तो तरुण भारत संघ में 8 नवम्बर से 12 नवम्बर 2005 तक जल संरक्षण के लिए किए गए सम्मेलन में राजस्थान सरकार के सिंचाई सचिव डी.सी. सामन्त दूसरी बार आए थे। उन्होंने राज्य की जलनीति, समस्या और समाधान में अपने विचार रखे।

ऐसे ही केन्द्र सरकार द्वारा नदी जोड़ परियोजना के लिए बनी एम्पावर कमेटी में तरुण भारत संघ की सदस्य के रूप में भूमिका थी। जबकि तरुण भारत संघ वैचारिक दृष्टि से नदी जोड़ परियोजना का प्रमुख विरोधी था। नदी जोड़ परियोजना के नफा-नुकसान से देश की जनता, प्रबुद्धजनों में एक संवाद प्रक्रिया को चलाना, साथ ही परियोजना के वैज्ञानिक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पहलुओं को लेकर अध्ययन करा कर दिये। 'क्यों नहीं नदी जोड़? का देश दुनिया के आंकड़ों को समाहित करके दस्तावेज भी दिया। ऐसे दस्तावेज सरकार को पहले अपने स्तर से करने की जरूरत थी। लेकिन सरकारी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।

इन सब के कारण केन्द्र सरकार को तरुण भारत संघ के विचारों को सुनना जरूरी सा हो गया था। तभी तो सरकार तरुण भारत संघ के विचारों को सुन रही थी। भीकमपुरा के जल संरक्षण सम्मेलन में नदी जोड़ परियोजना के प्रमुख उच्च अधिकारी श्री भण्डारी भी आए और उन्होंने

सभी को अपने विचारों से अवगत कराया । सम्मेलन में देश और राज्यों की जलनीति पर भी संवाद हुए। सभी विचारों को समाहित करते हुए जल संरक्षण की दिशा में देश में सामूहिक प्रयास के लिए एक कार्ययोजना तय की गई, जिसे भीकमपुरा घोषणा-पत्र के नाम से जाना गया ।

भीकमपुरा घोषणा पत्र

1 जल बिरादरी सर्वसम्मति से जल के व्यवसायीकरण तथा निजीकरण का विरोध करती है और ऐसी व्यवस्था लागू करने की सरकार की नीयत के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रण लेती है ।

2. जल बिरादरी की स्पष्ट राय है कि वर्तमान जलनीति पानी के व्यवसायीकरण और निजीकरण का रास्ता खोलती है जो कि समाज को पानी के मालिकाना हक से बेदखल करेगा । नदी जोड़ परियोजना भारत के लोगों, खेतों तथा प्रकृति की प्रत्येक इकाई को पानी नहीं पिला सकती, बल्कि यह परियोजना पानी की वर्तमान सामुदायिक जल प्रबंधन व्यवस्था को तोड़कर पानी की कमी और विवाद का गहरा संकट खड़ा करेगी । जल बिरादरी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि बिरादरी वर्तमान जलनीति तथा नदीजोड़ परियोजना का विरोध करे । बिरादरी का विश्वास है कि समुदाय आधारित जल प्रबंधन ही इसका एकमात्र व सर्वश्रेष्ठ विकल्प है । पानी को मूल आवश्यकता बनाने भर से काम नहीं चलेगा, पानी पर समाज के हक को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ।

3. जल बिरादरी मांग करती है कि सरकार प्रस्तावित लाभार्थी एवं भागीदारों को नदी जोड़ परियोजना की विस्तृत एवं छोटी से छोटी जानकारी मुहैय्या कराये । जब तक सरकार नदीजोड़ मसले पर जनमत प्राप्त नहीं करती, तब तक जल बिरादरी इस परियोजना के क्रियान्वयन को लागू नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित है ।

4. जल प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर पूरे देश में नाकारा साबित होते सरकारी तंत्र को लेकर जल बिरादरी चिंतित है, अत: बिरादरी मांग करती है कि सरकार जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करे। यदि वर्तमान कानून प्रभावी नहीं हों, तो नए प्रभावी कानून बनें और उचित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित हो।

5. सरकार व बाजार द्वारा समाज, संस्था व व्यक्तियों के रचनात्मक कदमों की उपेक्षा की जा रही है । बिरादरी मानती है कि इससे सभी स्तर पर और सभी प्रकार के बीच जल विवाद बढ़

रहे हैं । नदीजोड़ ऐसे विवाद और बढ़ायेगा । यह समय है कि सभी अपने स्वार्थ त्याग कर अन्याय के प्रतिकार के लिए एकजुट हों । एकजुटता से ही सभी का अस्तित्व बचेगा । इस विचार को कार्य रूप देने के लिए बिरादरी पूरे देश में जल साक्षरता मिशन इकाइयों के गठन की पहल करेगी । यह मिशन छोटी जल संरचनाओं के निर्माण समेत जल से जुड़े सभी पहलुओं के प्रति संबंधित जनों की समझ बनाने व प्रेरित करने का काम करेगा । ❑

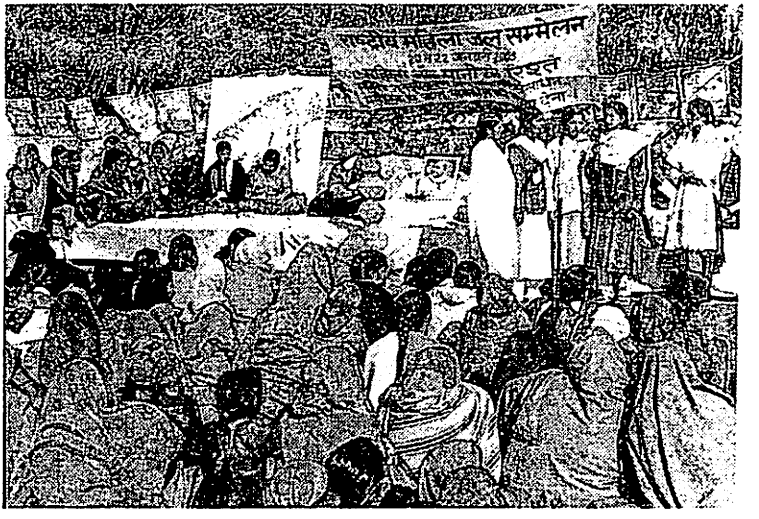

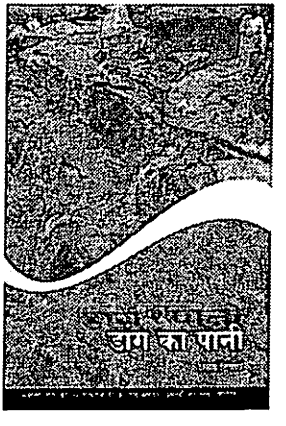

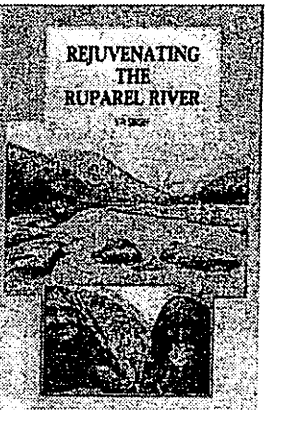

गांव की झोंपड़ी से संसद् तक संवाद

देश के प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से जल को लेकर गांव की झोपड़ी से संसद भवन तक एक जन संवाद की प्रक्रिया से आम आदमी की जल पीड़ा से राजनेता और उच्च प्रशासनतंत्र को अवगत कराया। 1 दिसम्बर 2005 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में देश के सांसद और राजनैजिक लोगों के बीच तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने अपने 20 साल के अनुभवों से लोक सभा को अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष जी से जल को बचाने के लिए आशा व्यक्त की गई कि भारत की जलनीति को अंग्रेजों की गुलामी से निकालकर देश की भौगोलिक व भू-सांस्कृतिक क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नयी जलनीति बनानी चाहिए।

सरकार द्वारा घोषित नई जलनीति में जल को राष्ट्रीय संपत्ति माना गया है जबकि जल देश के पंचतत्वों में से एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। जीवन पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। डेढ़ घंटा चली मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने राजेन्द्र सिंह को बड़े ध्यान से सुना। सवाल-जबाव हुए। सभी ने राजेन्द्र सिंह के विचारों को स्वीकारते हुए हरसम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया। ❑

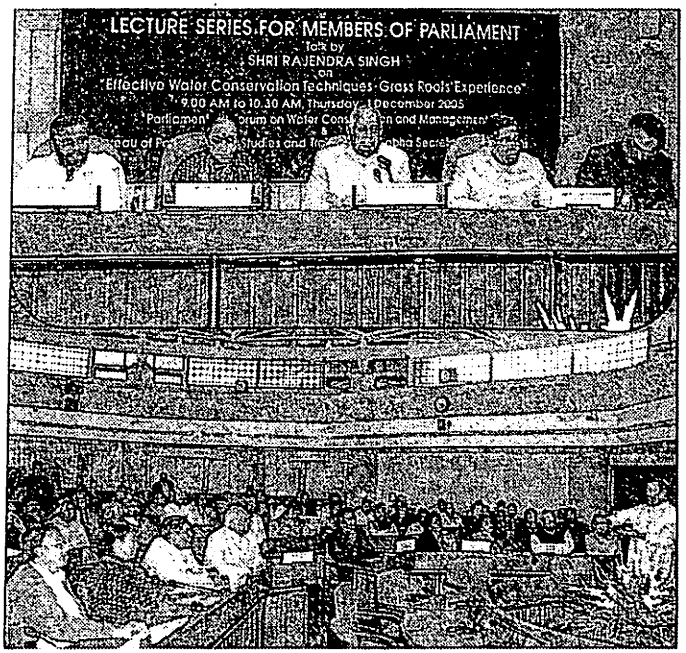

जल साक्षरता

तरुण भारत संघ ने 2006 से 2008 तक की समयावधि में जल संरक्षण के लिए रचनात्मक कार्य, जनजागृति के अभियान, जल को प्राकृतिक संसाधन, जल प्रदूषण के मुद्दे, नदी प्रदूषण और नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बढ़ता अतिक्रमण, प्राकृतिक प्रकोप, कानूनी स्तर से जल संरक्षण के लिए संघर्ष करना। क्षेत्रीय राजनीति, राजसत्ता और प्रशासन तंत्र से जल संरक्षण के लिए संघर्ष करना। राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जल समस्याओं को उठाना। तरुण भारत संघ के अहम् मुद्दे रहे।

तरुण भारत संघ ने वर्ष 2006 को जल साक्षरता वर्ष घोषित किया और जल स्वराज से ग्राम-स्वराज का सपना देखा था। इसीलिए अपने कार्यक्षेत्र में समाज के बीच जाकर जल साक्षरता अभियान चलाया जिसमें अधिकांशत: शिक्षण संस्थानों में जल संरक्षण, जल का व्यापारीकरण, जलनीति और जल के निजीकरण के मुद्दे पर अधिक चर्चा की गई थी। गांवों और कस्बों में भी जनसभाओं के माध्यम से जल साक्षरता के विषय में जानकारी दी गई। जल साक्षरता के लिए दस्तावेजीकरण के द्वारा पुस्तक, पोस्टर, पर्चे और नये साल 2006 का कलेण्डर बनवाकर जल साक्षरता का संदेश जनता में पहुंचाया जिसके प्रभाव से राजस्थान का प्रशासन, राजनेता और क्षेत्रीय राजनीति, जल दोहन करने वाले उद्योगपतियों में बौखलाहट होने लगी। उन्होंने तरुण भारत संघ के जल संरक्षण कार्य के प्रभाव को नकारते हुए उल्टे लांछन लगाने शुरू कर दिये जिसका परिणाम यह हुआ कि तरुण भारत संघ द्वारा ग्राम जट्ट मालियर-तिजारा तहसील में बन रहे तरुण जल विद्यापीठ विद्यालय को सरकारी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा।

13 जुलाई 2006 को अलवर प्रशासन ने राजस्थान की मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री और तिजारा में शराब कम्पनियों के इशारे पर जल विद्यापीठ के निर्माण को अवैध मानकर ध्वस्त कर दिया जिसमें राज्य के ही युवा जल संरक्षण कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करते। खैर! सरकारी स्तर से जो करना था वह उसने कर दिया था। ऐसी सरकारी सोच के बीच में तरुण भारत संघ को कार्य करने की अपनी कार्यशैली रही है।

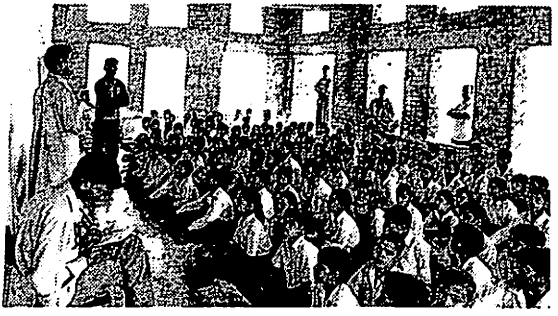

राजस्थान सरकार ने 13 जुलाई 2006 को तरुण भारत संघ द्वारा नवनिर्मित तरुण जल विद्यापीठ को ध्वस्त किया। दूसरी ओर 14 जुलाई को तरुण भारत संघ के कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य देखने-समझने के

लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर श्री सैफुद्दीन जी के आने की घोषणा से राज्य सरकार सकते में आ गई। एक ओर राज्य सरकार तरुण भारत संघ के जल संरक्षण के काम को नकारते हुए, उसके काम को हवा में उड़ाना चाहती थी। लेकिन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के आने की सूचना और घोषणा ने उसकी बोलती बन्द कर दी। जो प्रशासन तंत्र 13 जुलाई को तरुण जल विद्यापीठ को तुड़वाने में जुटा हुआ था, वही प्रशासन 15 जुलाई को ग्राम नांगलदासा के चौखण्डी वाले एनीकट को तलाशता हुआ पहुंच रहा था। जहां केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री का आना सुनिश्चित था।

अलवर का प्रशासन केन्द्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात था। उसकी मानसिकता और व्यवहार में शर्मिंदगी थी । नांगलदासा की जनता ने अपने मेहमान का स्वागत किया। अपने गांव में जन सहयोग से किये गये जल संरक्षण के कार्य को जल संसाधन मंत्री जी को दिखाया । मंत्री जी ने एनीकट की पाल पर चल कर ग्रामवासियों के कार्य को देखा, परखा और लोगों से समझा। एनीकट का उद्घाटन कर ग्रामवासियों को समर्पित किया। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने जन सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि "आज मुझे यहां आकर खुशी हुई है । आपके काम को देखा है। वह मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। वास्तव में जल संरक्षण का काम आपने अपनी समझ-जरूरत और साधनों से किया है । इस काम में कितना खर्च हुआ है उसका भी हिसाब जनता को बताया है जिसमें गांव का सहयोग तीन लाख पैंतीस हजार है और संस्था का सहयोग आठ लाख के लगभग है । अगर यह काम सरकार के द्वारा होता तो कम से कम पचास लाख का होता । फिर भी इतना मजबूत और टिकाऊ नहीं बन पाता।" केन्द्रीय मंत्री ने ग्रामवासियों के सहयोग से कराये गये जल संरक्षण के कार्य की प्रशंसा की ।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में जल संरक्षण के लिए एक एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई है। इसमें देश के ऐसे 30 लोगों को लिया गया है जिन्हें जल संरक्षण, जल संबंधी समस्या और उसके समाधान का बहुत अनुभव है। राजस्थान से राजेन्द्र सिंह को लिया गया है। 22 जुलाई को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पहली बैठक होगी। उसमें राजेन्द्र सिंह अपने अनुभव बताएंगे। यहां आकर मुझे जो अनुभव हुआ है, अपने अधिकारियों को बताऊंगा और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली कमेटी की बैठक में सभी को बताऊंगा । वास्तव में मुझे जल संरक्षण के विषय में यहां आकर आप लोगों के काम को देखकर और आपके विचार सुनकर जो ज्ञान हुआ, वह दिल्ली के बन्द कमरों में नहीं हो पाता ।

मेरे अधिकारी मुझे यहां आने से रोक रहे थे कि मौसम खराब है, प्रधान मंत्री जी के साथ 22 तारीख को बैठक है, आपकी उपस्थिति में बहुत से कार्य निपटाने हैं। आपका इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने यहां आकर अपना और अपने अधिकारियों के लिए बड़ा काम कर दिया है । मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से पूरे देश में कार्य होता है, तो हमारे देश में जल संबंधी समस्याओं का समाधान समाज स्वयं कर लेगा।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के आगमन से और उनके द्वारा प्रकट किये गये विचारों से तरुण भारत संघ को ऊर्जा मिली। दो दिन पहले काम करते-करते अन्तर्मन में कष्ट की छाया छाई हुई थी, वह सब स्वत: छंट गई । फिर नई ऊर्जा के साथ जल संरक्षण के रचनात्मक और जल साक्षरता के कार्यों में तरुण भारत संघ के छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ता जुट गये। ❑

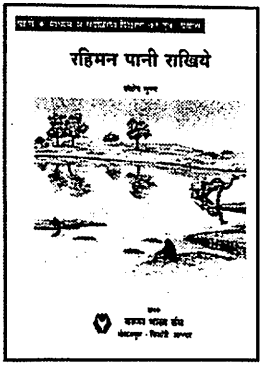

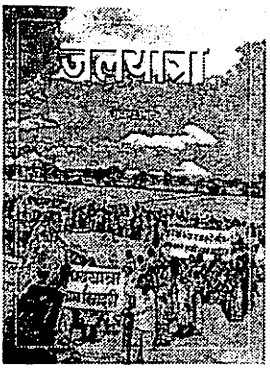

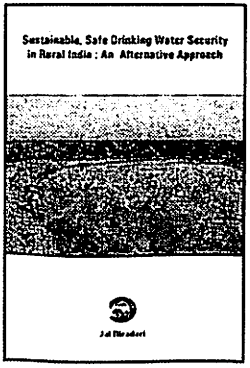

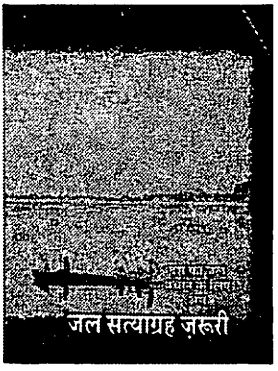

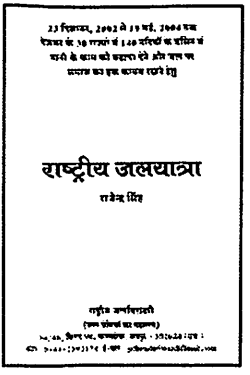

जल संरक्षण के लिये केन्द्र सरकार के साथ संवाद

जब-जब सरकार, प्रशासन और उद्योगपतियों की तिकड़ी बनी और उनके बीच कार्य करना जरूरी लगा तो वह कार्य के प्रभाव को बढ़ाता ही था। उससे तरुण भारत संघ को थोड़ी बहुत आर्थिक क्षति तो अवश्य होती थी लेकिन वैचारिक दृष्टि और कार्यशीलता में जरूर निखार आता था। नई सोच और नया कार्य करने का मार्ग प्रशस्त होता। तरुण जल विद्यापीठ के ध्वस्त होने पर भी ऐसा ही हुआ। जल संरक्षण के लिए नये रास्ते खुले, नयी सोच और दृष्टि बनी तभी तो शराब कम्पनियों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। जन आन्दोलनों को दबाने के लिए सरकारी तंत्र अपने तौर-तरीके अपनाकर दबाता था। इससे संस्था का प्रत्येक कार्यकर्ता अच्छी तरह से परिचित और अनुभवी है।

क्षेत्रीय राजनैतिक लोग और राजसत्ता के लोग उद्योगपतियों से सांठगांठ कर सम्भव जल दोहन वाले उद्यागों को चालू रखने का प्रयास करते थे। वह इस काम में कामयाब भी हो रहे थे। तभी तो जल अभाव क्षेत्र तिजारा में अट्ठारह जल दोहन वाले उद्योगों को स्वीकृति मिली थी जिसमें बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के उद्योपतियों की कम्पनियां थीं। उनसे सीधे-सीधे टकराने से गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं के आगे कई तरह की परेशानी और दबावों में कार्य करना पड़ता है। तरह-तरह से क्षेत्रीय लोग, प्रशासन, नाते-रिश्तेदार दबाव बनाते थे जिससे कार्य आगे बढ़ने के बजाय रुक जाता। तरुण भारत संघ को सामाजिक कार्य में गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही बल मिलता था जिससे ग्रामवासी संगठित भाव से जल दोहन करने वालों के विरुद्ध आवाज उठाते। उसमें भी शिथिलता आने लगी। ऐसा नहीं था कि लोगों का राम मर गया हो। बस ! आपसी नाते-रिश्तेदारी और क्षेत्रीय चतुर सुजानों के कारण कार्यों में बाधाएं आती थीं। इन सब पर विचार कर तरुण भारत संघ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जाना ही उचित समझा।

अगस्त 2006 में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी के साथ राजेन्द्र सिंह की जल संरक्षण के लिये कार्ययोजना पर विचार-विमर्श हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री के राष्ट्रीय स्तर पर एक जल साक्षरता अभियान चलाने की रूपरेखा भी बनी जिसमें तरुण भारत संघ की परिचित संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में जल साक्षरता के कार्य तय हुए जिसका नाम जल साक्षरता आन्दोलन रखा। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें 'आन्दोलन' शब्द से ही कतराती हैं लेकिन उत्साही मन के आगे सभी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। ऐसा जल साक्षरता आन्दोलन के कार्य से हुआ। राजेन्द्र सिंह के साथ हुए विचार-

विमर्श से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था 'कपार्ट' के द्वारा देश भर की स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर जल साक्षरता आन्दोलन का अभियान चलाया।

तरुण भारत संघ ने देश के भू-सांस्कृतिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मित्र संस्थाओं के माध्यम से जल साक्षरता आन्दोलन को चलाने में पूरा सहयोग किया। दो-तीन महीने की प्रक्रिया में क्षेत्रवार लोगों को चिह्नित कर कपार्ट की डी.जी. को नक्शा और नाम व क्षेत्र आदि की जानकारी दी। कपार्ट ने अपने रीजनल केन्द्रों को सूचित किया। रीजनल केन्दों ने क्षेत्रवार स्वैच्छिक संस्थाओं से परिचय किया और जल साक्षरता आन्दोलन को गति प्रदान की । तरुण भारत संघ परिसर में मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रशिक्षण हुआ जिन्होंने अपने -अपने क्षेत्रों में जल साक्षरता के आन्दोलन के अन्तर्गत कार्य किए ।

अगस्त 2006 के अन्तिम सप्ताह में राजस्थान के बाड़मेर जिले में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी । बाड़मेर में बाढ़ अपने आप में आश्चर्य था और हकीकत भी । बड़े क्षेत्र में एक साथ 300 सेन्टीमीटर वर्षा होना प्रलय काल की स्थति बना देता है। वही बाड़मेर में नजारा दिखाई देता था जिसमें कई गांव डूब गये थे । सरकारी स्तर से आधुनिक यंत्रों के द्वारा मौसम की जानकारी का पूर्वानुमान और जन साधारण को चेतावनी व सावधानी की अनदेखी की गयी जिससे जन-जीवन की हानि हुई थी ।

तरुण भारत संघ ने अपने स्तर से तीन सदस्यीय दल, जिसमें राजेन्द्र सिंह, आई.डी.एस. के डॉ. मनोहर सिंह राठौड़ और पत्रकार सन्नी सबस्टीन थे। उन्होंने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया तो लोगों को तुरन्त सहयोग करने के प्रयास किये गये। वहां की स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से राहत कार्य में सहयोग दिया और वस्तुस्थिति को देखा-समझा। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास भी देखे-समझे । उन्हें देख-समझ कर अपने विचारों से राजस्थान सरकार और जनता को अवगत कराया था ।

अक्टूबर 2006 में न्यायालय ने तरुण भारत संघ की याचिका को स्वीकारते हुए, राजस्थान सरकार और संबंधित उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये। कानूनी प्रक्रिया के साथ सरकार और उद्योगपतियों ने अपना-अपना पक्ष रखा। कई उद्योगों की सरकारी अनुमति रद्द हुई, कुछ में कार्य चालू है। न्यायालय की प्रक्रिया भी चल रही है। ❑

जल प्रदूषण से जूझता समाज

पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में हिण्डन नदी के प्रदूषण को लेकर चले अभियान ने भी प्रशासन और उद्योगपतियों को कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था जिससे उनमें एक प्रकार से रोष आना स्वाभाविक था। लेकिन हिण्डन किनारे के गांवों में जल समस्या से जूझ रहे लोगों के कष्ट निवारण में प्रशासन की उदासीनता ही मुख्य कारण बनी हुई थी। फिर भी पीड़ित ग्रामवासी संघर्षरत थे जिन्होंने कृष्णा नदी के किनारे अपने गांव भमोरा में आन्दोलन किया जिससे प्रशासन भी हरकत में आया और उद्योगों में ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे। कुछ को ग्रामवासियों ने बन्द कराया जिससे नदी संरक्षण की दिशा में नदी प्रदूषण के कार्यों को गति मिली। इस सब के लिए हिण्डन किनारे के 400 गांवों की जनता, साधु समाज, शासन-प्रशासन, नेता, राजनेता, पर्यावरणविद्, वैज्ञानिक, स्वैच्छिक संस्थाएं, कानून, न्यायालय आदि के सभी रास्तों से हिण्डन को बचाने का अभियान चलाया था। वर्ष 2006 में जल साक्षरता के लिए जैसा घोषित हुआ था, उसी कार्य योजनानुसार कार्य किये गये।

तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए वर्ष 2007 को 'जल सत्याग्रह' घोषित किया जिसमें जल के प्रदूषण, नदी संरक्षण के लिए कार्य करना मुख्य रूप से तय किया। कार्य योजनानुसार नदी प्रदूषण, नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के प्रयास मुख्य रहे।

वर्ष 2007 के प्रथम महीने में तीन दिवसीय जल सम्मेलन गांधी दर्शन राजघाट में दिनांक 28-30 जनवरी तक 'जल जोड़ो' सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह जानना और समझना था कि भारत के लोग कैसा जल पीते हैं ? और किन-किन परिस्थितियों में रहते हुए जीवन से संघर्षरत हैं। सम्मेलन में देश के कौने-कौने से आने वाले सम्भागी अपने साथ अपने क्षेत्र का पानी कांच और प्लाटिक की छोटी-बड़ी बोतलों में लेकर आए थे जिसे मंच पर एक ओर बड़ी मेज पर रखा। पानी से भरी रंग-बिरंगी बोतलों को देखकर लगता था कि इनमें जीवनदायी जल भरा हुआ है। वैसे तो आज के समय में पानी के उत्पाद में रंग-बिरंगा पानी ही बिकता है जिसे भारत का समाज बड़े शान-शौकत से पीता है। लेकिन मंच पर रखा हुआ पानी किसी कम्पनी या फैक्टरी का उत्पाद नहीं था, वरन् गांव की धरती, ताल तलाई, कुआं, बावड़ी, नदी आदि का पानी था जिसे आजाद भारत का आम नागरिक पीकर जिन्दगी बसर कर रहा है।

सम्मेलन में आए उत्तराखण्ड के संभागियों ने नदियों की दास्तान सुनाई, तो बिहार के साथियों ने बाढ़ का रोना रोया। राजस्थान में वैसे ही पानी का प्राकृतिक प्रकोप बना रहता है, ऊपर से फ्लोराइड युक्त पानी अधिकतर जनता पीती है। पानी संरक्षण भाव राजस्थान के गांव में ही

देखने को मिलता है। जहां पानी संरक्षण के लिए ताले लगाये जाते हैं। ताल-तलाई के पानी से राजस्थान का अधिकांशत: जीवन जीवित रहता है। नहरी और बांध क्षेत्रों में जनता और सरकार में टकराव बढ़े हैं। पानी के संघर्ष ने जल संकट को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है।

ऐसे ही उड़ीसा में हीराकुड बांध को लेकर जन आन्दोलन का परिदृष्य सम्मेलन में सबके सामने आया। गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बढ़ता जल अभाव किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से ही कावेरी का जल विवाद था। दूसरा विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पनपने लगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री समय-समय पर आंख दिखाने लगते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जलनीति ऐसे विवादों को हल करने में नाकाम रही है, तभी तो उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़ता है। फिर भी कोई समाधान दिखाई नहीं देता जिससे जल संकट समस्या और विकट होती जाती है।

जल जोड़ो सम्मेलन में समाज के ऐसे लोगों की भागीदारी थी कि जिसमें ग्रामीण लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जल संरक्षण की दिशा में सोच रखने वाले और रचनात्मक कार्य करने वाले लोग, बुद्धिजीवी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील, जल विज्ञान के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, शोध और अनुसंधानकर्ता आदि। सम्मेलन की तीन दिन की चर्चा में पानी और जल जीवन की रक्षा के बहुआयामों को लेकर विचार मंथन हुआ। सभी ने अपने-अपने अनुभवों से एक-दूसरे का ज्ञानवर्द्धन किया। गांधी जी की मूर्ति के समक्ष सम्मेलन में एक-दूसरे को अपने अनुभवों का लाभ देते हुए जन साधारण को जीवनोपयोगी जल की व्यवस्था के प्रयास करने का संकल्प लिया।

22 मार्च 2007 विश्व जल दिवस के दिन बिड़ला हाउस, 30 जनवरी दिल्ली में जल-सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री सैफुद्दीन सोज थे। देश के विभिन्न भागों से आए जल-योद्धा, जल की सोच रखने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। जल संकट और समाधान के लिए 'नरेगा परियोजना' में जल संरक्षण के कार्य में सरकार को सहयोग करने का मुख्य अतिथि का आग्रह था। 'नरेगा' जैसी योजना में जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के संसाधन सरकार ने मुहैय्या कराए हैं, ऐसा मंत्री जी ने बताया। उन्होंने कहा कि 1अप्रैल 2007 से देश के 200 जिलों में 'नरेगा' परियोजना में जल संरक्षण के कार्य करने की वचनबद्धता दोहराई। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष 2008-2009 में देश के सभी जिलों में चलाने का आश्वासन दिया। सम्मेलन में आए संभागियों ने भी अपने विचारों से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को अवगत कराया था।

जल सत्याग्रह राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 18 अप्रैल 2007 को बिड़ला हाउस, 30 जनवरी मार्ग, नई दिल्ली में किया गया। इस दिन को जल सत्याग्रह के लिए विशेषत: रखा गया था। क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ चम्पारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण के लिए वर्ष 2007 को निमित कर 18 अप्रैल से जल सत्याग्रह करने की घोषण कर दी। देश में बढ़ते जल संकट के पीछे प्राकृतिक रूप से संकट तो दिखाई देता था लेकिन सरकार की नीति और समाज की उदासीनता के कारण भी संकट बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जल को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में सौंपने से बाजार व्यवस्था को बढ़ावा मिला जिससे आम आदमी के लिए पानी का संकट बढ़ता गया। प्राकृतिक जल स्रोतों को निजी हाथों में जाने से रोक पाने के लिए कदम-कदम पर न जाने कितनी तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। यह सब जल संरक्षण के काम करने से अनुभव हुआ। उसी अनुभव के आधार पर आम आदमी के जीवन में जल संकट न आए, ऐसे प्रयास तरुण भारत संघ के सदैव जारी रहे।

'जल सत्याग्रह सम्मेलन में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन जी ने कहा था कि जहां जल संरक्षण के लिए देश में सत्याग्रह करना पड़े तो मैं आपके साथ हूं। सत्याग्रही के रूप में अनशन करूंगा। दूसरी ओर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने संभागियों से कहा कि सत्याग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आप लोगों की बात को ध्यान में रखकर काम करना चाहती है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से देश में जल संरक्षण के कार्य करने को प्रधानता दी है जिससे पूरे देश में जल संरक्षण का काम आप लोगों की देख-रेख में चलेगा। जहां कहीं गड़बड़ी हो तुरन्त संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। शिकायतों पर, देर किये बगैर कार्यवाही होगी। नरेगा में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सीधा भुगतान काम करने वाले के खाते में जाए जिससे किसी प्रकार की अनियमितता न हो। आप हमें जनता के विकास के लिए सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा । जल सत्याग्रह करने की अभी कोई जरूरत नहीं है ।

19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जल सत्याग्रह पदयात्रा का आयोजन तीन राज्यों 'दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान' में किया गया जिसमें जल दोहन कर व्यापार करने वाली कोकाकोला, पैप्सी और शराब बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन किए गए। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में गांव-गांव जाकर जल संरक्षण के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए शिविर सम्मेलन किए। साथ ही साथ कम्पनियों को सचेत करने के लिए उनके आगे 'सत्याग्रह यज्ञ' का आयोजन किया गया तथा कोक व पेप्सी को बाथरूम में टॉयलेट शीट साफ करने व जहरीला पदार्थ मान कर कम्पनियों के अधिकारियों के सामने विरोध किया। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे जल सत्याग्रह का संदेश देश में पहुंचाया गया । ❑

यमुना सत्याग्रह

मई से जुलाई तक यमुना के दोनों किनारों पर यमुनोत्तरी से इलाहाबाद तक की यमुना नदी की दुर्दशा के दर्शन किये जिसमें उत्तराखण्ड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यमुना को लेकर जन संवाद किया। यमुना के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक, बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों से गहन चर्चा हुई। छह प्रान्तों के सरकारी तंत्र और पक्ष-विपक्ष के राजनैतिक लोगों से संवाद किया गया और यमुना के संबंध में बने कानूनों को भी देखा-समझा। यमुना के किनारे विकास के नाम पर नई बसावटों और यमुना के बहाव क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने के परिणाम का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया।

अध्ययन में पाया कि देश की राजधानी में ही प्रकृति का उपहार , दिल्ली का प्राण यमुना की निर्मम हत्या की जा रही है। इसे बचाने के लिए दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है बल्कि खत्म करने में लगी है । सरकारी तंत्र का तो बुरा हाल है। दिल्ली के समाज को यमुना की कोई परवाह ही नहीं है। स्वैच्छिक संस्थाओं की कोई सुनने वाला नहीं। यह सब देख-समझ कर यमुना को बचाने के लिए यमुना सत्याग्रह का विचार आया ।

1अगस्त 2007 से देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे तरुण भारत संघ के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता अपने ग्रामीण सामाजिक जीवन से निकल कर यमुना सत्याग्रह पर बैठ गये। बाद में दिल्ली की संस्थाएं और ग्रामीण जन भी आने लगे । केन्द्र और दिल्ली की सरकार से यमुना के विषय में संवाद जारी रहा। यमुना सत्याग्रह से संबंधित बहुत से दस्तावेज तैयार किए गए, लेख लिखे गए और प्रिजेन्टेशन, फिल्म आदि तैयार की गई। दिल्ली में सत्याग्रह के दौरान जन जागृति के लिए पदयात्राएं की गईं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थानों में जाकर यमुना के विषय में जन जागृति के अभियान चलाए तथा यमुना सत्याग्रह स्थल पर ही कई शिविर सम्मेलन किये गए। सत्याग्रह स्थल पर आमरण अनशन किया तो दूसरी ओर यमुना की आवाज को सत्याग्रहियों ने विधान सभा में उठाया। जिससे यमुना सत्याग्रह का प्रचार-प्रसार दिल्ली के अखबारों और टी.वी. चैनलों के माध्यम से सीधा प्रसारित किया गया जिससे यमुना के लिए किए जा रहे सत्याग्रह दिल्ली की मुख्य खबर बनी ।

जल सत्याग्रहियों की सरकार से निम्न अपेक्षाएं थीं :

1. सामुदायिक जल प्रबन्धन को बढ़ावा देने वाले कायदे-कानून बने व उनकी पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था भी विकसित की जाए।
2. परम्परागत जल संग्रह इकाइयों व नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाने के लिए उन्हें

कब्जामुक्त व शोषण मुक्त कराने, जंगल व जंगली जीवों के महत्व को समझते हुए उनके संरक्षण हेतु सभी सरकारों ने रिजर्व फोरेस्ट और वन्य जीव अभयारण्य की घोषण की, नोटिफिकेशन जारी किए। उसी तरह आज वाटर रिजर्व बनाने की जरूरत है। यहां पानी के उद्योग में उपयोग, पानी का बाजारीकरण आदि पूरी तरह प्रतिबंधित

हो। पानी आजाद होकर बह सके , पानी का जल स्तर एक स्तर से नीचे न जाने पाए, यह जिम्मेदारी हो। इस पर सरकार विचार करेगी तो जरूर यह एक बड़ी पहल होगी। इससे पानी की लूट रुकेगी, पानी लूट रोकने की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। सरकार इस व्यवस्था पर पहल करे।

3. जल के विभिन्न सरोकारों को शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल करना जरूरी है।
4. आज जरूरत है कि केन्द्रीय जल प्रबंधन पर खर्च होने वाली धनराशि अब विकेन्द्रीकृत जल प्रबन्धन पर खर्च हो। जल निकासी की बजाय, जल संग्रहण व पुनर्भरण की योजना, परियोजना प्राथमिकता बने।
5. हमारा मानना है कि जल बचाने की जिम्मेदारी तभी बनेगी जब समाज को हकदारी मिलेगी। सरकार ने जल की हकदारी छीन ली है। समाज को पानी की हकदारी वापस लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा होने पर ही हम जल जुटाने, सहेजने व उसके अनुशासित उपयोग की समाज से अपेक्षा कर सकते हैं। सरकार को इस पर पूरी प्रतिबद्धता से निश्चय करने की जरूरत है।

यमुना सत्याग्रह स्थल पर विपक्ष के नेता जार्ज फर्नांडीज आये, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यमुना सत्याग्रह स्थल पर पहुंच कर सत्याग्रह पदयात्रा में भाग लिया। दिल्ली राज्य के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से यमुना को लेकर दो बार मुलाकात हुई। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह से यमुना के विषय में बातचीत हुई। 12 नवंबर को पूरे केबिनेट के मंत्री सदस्यों के साथ करीब दो घंटे तक लम्बी बातचीत हुई, सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आश्वासन दिया कि अब जो हो रहा है उसे होने दें, देश की इज्जत का सवाल है। लेकिन आगे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। कांग्रेस के महासचिव श्री राहुल गांधी ने राजेन्द्र सिंह को व्यक्तिगत फोन कर बातचीत के लिए बुलाया। उनके साथ भी यमुना और देश के जल-संकट और समाधान पर विस्तार से लम्बी बातचीत हुई। उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाकर तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को जल-संरक्षण का प्रशिक्षण दिया।

1 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक यमुना जल ग्रहण क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में पदयात्राएं की गई। इस यात्रा में दिल्ली क्षेत्र के ग्रामीणजन, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जन जाग्रति का अभियान चलाया। इस अभियान में समाज के हर वर्ग से संवाद किया गया और यमुना का महत्व जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास किये गये। जनवरी-फरवरी 2008 में यमुना सत्याग्रह स्थल पर कई बड़ी बैठकें हुईं।

यमुना के बहाव क्षेत्र को सरकारी अतिक्रमणकारियों के चंगुल से बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। 3 फरवरी 2008 को न्यायाधीशों ने मौके पर ही पहुंचकर यमुना की स्थिति का मुआयना किया। यह देश में पहली बार हुआ था, जबकि न्यायाधीश अपने स्तर से किसी वस्तुस्थिति को देखने-समझने के लिए जाये, लेकिन यमुना के प्रवाह स्थल ने न्यायाधीशों को देखने-समझने के लिए मजबूर कर दिया। यमुना की स्थति को विधिवत् यमुना के किनारे ही समझाया। न्यायालय ने यमुना की दास्तान को सुन-समझ कर अपना निर्णय एक साल तक सुरक्षित रखा। एक साल बाद 5 दिसम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया कि कॉमनवेल्थ और देश के आपसी हितों को देखते हुए, कॉमलवेल्थ विलेज के काम को यथावत् चालू रखने का निर्णय दिया है। जैसा कि पहले ही अर्जुन सिंह के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट रूप से वही बातें सामने आई थीं लेकिन न्यायालय के निर्णय से और स्थिति स्पष्ट हो गई।

अगस्त 2008 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना के जल ग्रहण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यमुना के जल बहाव क्षेत्र को हरित पट्टी के लिए घोषणा की है तथा भविष्य में यमुना जल ग्रहण क्षेत्र में सरकारी स्तर पर किसी प्रकार के निर्माण न करने की वचनबद्धता जताई है। इस प्रकार नदी संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि तरुण भारत संघ के प्रयासों से मिली। इस कामयाबी में जल बिरादरी की सहयोगी संस्थाओं का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। ❑

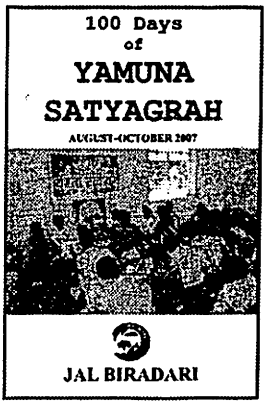

नदी संरक्षण सत्याग्रह 2008

भारत की शुद्ध-सदानीरा नदियां अभी तक प्रदूषण और शोषण की मार झेल रही हैं। अब नई बड़ी मार रियल एस्टेट ने विविध रूपों में कब्जे शुरू करने से की है। कहीं मन्दिर तो कहीं गुरुद्वारे, मस्जिद बनाकर धर्म संस्कृति की दुहाई देकर कब्जे हो रहे हैं, तो कहीं खेलगांव, मेट्रो डिपो, राष्ट्रहित बताकर मॉल-होटल, हवाई अड्डे, रिवर व्यू विकास के नाम पर नदियों का विनाश और कब्जे देशभर में सभी नदियों पर प्रारम्भ हो गए हैं। देश का कोई शहर ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हमने नदियों को बचाया है। उन्हें आज शुद्ध-सदानीरा और स्वच्छता से बहने की स्वतंत्रता है। हमारे गांव में आज भी कह सकते हैं कि 'हमने मरी-सूखी अरवरी को सजल किया।'

भारत में भूमि के भाव बढ़े तो नदियों पर संकट के बादल छाये हैं। इस बढ़ते संकट को रोकने हेतु देशभर से आवाज उठी है। क्या कोई सुनने वाला है ? सरकार जवाब दे रही है कि 5 प्रतिशत नदियों को बेचकर 95 प्रतिशत नदियों का प्रबन्ध करेंगे। शेष सबको बचाने-बनाने का काम करेंगे या नहीं? बेचने वाला बनाता नहीं। जोड़ता और मिलाता नहीं है। वह तो केवल बिखेरता और बिगाड़ता है।

आज नदियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह काम प्रकृति स्वयं ही करती है। जहां जिस नदी को जुड़ना है वह स्वयं ही जुड़ जाती है। जैसे गंगा-यमुना एक ही पर्वत हिमालय से निकलती हैं। इलाहाबाद में फिर मिलती हैं। नदियों को कोई व्यक्ति, कम्पनी नहीं जोड़े बल्कि यह कार्य स्वयं प्रकृति ही करेगी। नदियों की शुद्धता, धरती की हरियाली और उद्योगों की शुद्ध जल निकासी से नदियों से कब्जे हटाकर नदियों को आजाद रख सकते हैं। नदियों को बेचें नहीं, बचायें। मिल-जुल कर साथ चलेंगे तो ही नदियां बचेंगी। नदियों से समाज जुड़े। समाज का मन-मानस नदियों से जुड़ेगा, तभी नदियां बचेंगी। इसी हेतु नदी सत्याग्रह की जरूरत है। नदियों में स्थाई विनाश का काम दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में सन् 2000 से शुरू हुआ था। नदी बहाव क्षेत्र में पहले अक्षरधाम मन्दिर बना, फिर कॉमनवैल्थ खेल गांव, मेट्रो स्टेशन। भारत सरकार की मौन स्वीकृति करा रही है। भारत सरकार के वैज्ञानिक, राजनेता, अधिकारी, व्यापारी, पुजारी सब जानते हैं। नदियों को खत्म होने से समाज बेपानी हो जायेगा। ये सब अपने निजी स्वार्थ हेतु नदियों को खत्म कर रहे हैं।

समाज नदियों के बारे में मौन है। मरती, बेपानी बनती नदियों को देख रहे हैं। हम विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मौन हैं, क्या नदियों को बचाने हेतु खड़े क्यों नहीं हुए ? जहां कहीं नदियों की आवाज है वहां हम अपनी आवाज इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं ?

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नदियों की कीमत जानती हैं, हम और हमारी सरकारें क्या पानी की कीमत नहीं जानती हैं? इसीलिए नदियों के पानी के भण्डार खादर को विदेशी कम्पनियों को निर्माण हेतु बेचने के ठेके दे रही हैं। सरकारें नदियों की लूट और प्रदूषण क्यों नहीं रोक रही हैं? नदियों को नष्ट होने का 'सत्य' हम जानते हैं। इसलिए बचाने हेतु आग्रह कर रहे हैं। यही हमारा सत्याग्रह है।

अब पूरी नदियों का सत्य हमें जानना है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी वैज्ञानिकों के एक दल के साथ इस सत्य को जानने के लिए नदी सत्याग्रह तैयारी के लिये निम्न कार्यक्रम तय किये :

1. देश की नदियों से समाज को जोड़ने के तरीके खोजना है।
2. विकास के नाम पर नदियों के हो रहे विनाश को रोकने का मन-मानस तैयार करने की संभावना तलाशना।
3. राजनेताओं, अधिकारियों तथा सरकारी वैज्ञानिकों का मन-मानस प्रकृतिमय बनाने की विधियों पर चर्चा करना।
4. नदियों को शुद्ध, सदा नीरा बनाने हेतु राज-समाज के मन-मानस को अनुकूल बनाना।
5. नदियों की भू-सांस्कृतिक संरचनाओं, जैविक विविधता का सम्मान करते हुए, नदी की अपनी स्वतन्त्रता व प्राकृतिक सत्ता को सरकारी मान्यता दिलाने की जरूरत का अहसास कराना है।
6. शिक्षार्थियों-शोधार्थियों को प्रकृति से सीखने की दृष्टि बनाना, हमारे साझे भविष्य का विनाश रोककर ये समृद्धि का रास्ता अपनाएं।

नदी-संरक्षण के नाम पर सरकार सब नदियों को बेचकर नदियों का चेहरा सुधारने की बात कर रही है। इसे तत्काल प्रभाव से रोकना है। इसलिए नदियों के विनाश कार्य को रोकने की सबसे पहले जरूरत है। नदी सत्याग्रह में सहयोगी जल, नदी, पर्यावरण, भूविज्ञान, समाज कार्य की समझ रखने वाले तथा संरक्षण के साथ-साथ प्रकृति प्रेमी, विकास प्रेमी और किसान, मजदूर, मल्लाह भी रहेंगे। विकास का विनाश रोकने वाले तथा संरक्षण के साथ विकास कार्यों में प्रकृति को पुनर्जीवित बनाकर, उजड़े समाज की लाचारी, बेकारी दूर करके पुनर्वास और समृद्धि कायम करने वाले समाजकर्मी भी सहयोगी रहेंगे।

नदी से मां जैसा व्यवहार करने वाले भाई-बहिन जल को मानव अधिकार और जीवन का आधार मानने वाले शिक्षक भी शामिल रहेंगे। हमने अपने देश के सभी नदी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को भी इस कार्य से जुड़ने की प्रार्थना की। सरकार के साथ नदी संरक्षण की स्वराज संवाद चलाने की गुहार है। इससे धरती की हरियाली, नदियों की शुद्धता और सदानीरा बनाने की चेतना जगानी है। इस साझे कार्य में हम सब जुटें।

नदी सत्याग्रही की नजर में नदियों को बचाने में राज-समाज की साझी और अलग-अलग भूमिकायें। नदियों को शुद्ध -सदानीरा बनाने में गरीब-अमीर, हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख- ईसाई आदि सब की साझी और समान भूमिका है। इसी तरह राज- समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन राज और राज्य संचालक वर्ग की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि नदियों को गंदी बनाकर मारने वाला काम राज्य ने ही करवाया । इस गलत काम को रुकवाने की जिम्मेदारी भी राज्य की है ।

नदी लोकादेश-2008

1. राष्ट्रीय ध्वज, पशु-पक्षी, जीव आदि प्रतीक की भांति 'गंगा-एक राष्ट्रीय नदी प्रतीक' के रूप में संवैधानिक तौर पर मान्य एवम् संरक्षित हो। प्रदेश भी अपनी एक मुख्य नदी को 'प्रादेशिक नदी' के रूप में घोषित एवं संरक्षित करें।
2. केन्द्र व प्रदेश क्रमशः अपनी राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक नदी नीति बनायें।
3. नदियों के भू-उपयोग व स्वामित्व में कभी किसी भी प्रकार का परिवर्तन वैज्ञानिक तौर पर मान्य न हों।
4. प्रत्येक नदी विशेष हेतु विशेष पारिस्थितिकीय प्रवाह के मानक निर्धारित हों और हर स्थिति में उसकी पालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था बने।
5. नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार, स्थानीय समुदाय, पंचायत, नगरपालिका व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को जोड़कर नदीवार निगरानी इकाइयों का गठन एवं उन्हें कार्रवाई के वैधानिक अधिकार दिए जाएं।
6. नदियों के प्रदूषण नियंत्रण की जवाबदेही तय करें। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी व मौतों के मामले न सिर्फ प्रदूषकों, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जबाबदेह नियंत्रण तंत्र के खिलाफ भी दीवानी अदालतों में मुकदमा चलाने के प्रावधान हों। आखिरकार किसी की हत्या करने वाला सिविल कोर्ट में जुर्माना भरकर कैसे बच सकता है ?
7. नदी में मैला डालना एक बड़ा प्राकृतिक अपराध है। अतः यह सुनिश्चित हो कि ग्राम पंचायतें, नगर निगम व पालिका अपने सीवेज कचरे को नदी में कदापि न डालें। पूरे देश में जल शोधन की एक जैसी प्रणाली कारगर नहीं हुई है। अतः स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्थानीय समाधान व संसाधन को प्राथमिकता दें ।
8. प्रत्येक नदी के सर्वोपरि बाढ़ बिन्दु के दोनों ओर कम से कम 100 मी. चौड़े क्षेत्र को व्यापक स्तर पर हरी घास तथा स्थानीय जैवविविधता का सम्मान करने वाली वनस्पति के सघन क्षेत्र के रूप में संरक्षित एवं संवर्द्धित किया जाए।
9. सरकार जन सहमति से नदियों के ऊपरी, मध्य व निचले छोरों में पानी की प्रकृति व उपलब्धता के अनुसार बसावट, उद्योग व खेती की सीमा व प्रकार का निर्धारण करे।

10. सरकार देश की आर्थिक व ऊर्जा की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ 'सेज' और 'जल विद्युत' पर पूरा जोर लगाने की बजाय, विकास व ऊर्जा के विकल्पों को भी बराबर तवज्जो दें तथा तदानुसार निवेश बढ़ायें।

॥ सब नदियों पर संकट है – सारे गांव इकट्ठा हों ॥

राजस्थान में 11 फरवरी से 15 फरवरी तक लूनी नदी जल ग्रहण क्षेत्र बाड़मेर, पाली में लूनी नदी को बचाने और संरक्षण के लिए जन जागृति पदयात्रा की गई थी। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य लूनी नदी के किनारे लगे उद्योगों के कारण नदी व नदी क्षेत्र का भूजल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। उद्योगपति इस दिशा में सोच भी नहीं रहे कि नदी के प्रदूषित जल से क्षेत्र की जनता का क्या हाल है ? वे तो अपने उद्योग को सुचारु रूप से चलाने के लिए हर संम्भव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फैक्टरियों में किसी प्रकार के जल शुद्धिकरण के संयंत्र नहीं लगाये हैं। अगर किसी ने कुछ कोशिश की है, तो वे पूर्ण रूप से खराब हैं, अनुपयोगी हैं। बालोतरा क्षेत्र में लूनी नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। उस पर किसी प्रकार के मापदण्ड नहीं अपनाए जा रहे हैं। नदी क्षेत्र का पानी इस तरह दूषित हो चुका है कि न तो वह खेती के लिए उपयोगी है और न पशुओं के लिए ही। आदमी के लिए उपयोगी होने की बात ही नहीं है। फिर भी आदमी को जिन्दा रहने के लिए तो पानी चाहिए, जहर के रूप में ही क्यों न हो। वह हर परिस्थिति में जिन्दा रहने का प्रयास करता है। इसी सोच के साथ लूनी नदी क्षेत्र के ग्रामवासी जहर रूपी पानी को पीकर जिन्दा हैं।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने पूरी लूनी नदी क्षेत्र में पांच दिनों तक पदयात्रा व वाहन यात्रा की थी। इस यात्रा में गांव के लोगों के साथ संवाद, स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद और उद्यमियों के साथ संवाद किया गया। लूनी नदी के किनारे बसे गांव व कस्बों की जन सभाओं में लूनी नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए आह्वान किया। उनके सामने उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिन्डन नदी का उदाहरण दिया कि वहाँ की जनता ने किस प्रकार दो साल तक संघर्षशील प्रयास किए। सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया, गन्ना मिलों के सामने धरना, प्रदर्शन किया गया। ताले डाले गये और उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी गई। यह सब गांव के संगठन से हुआ।

हिन्डन के दोनों किनारों पर चार सौ से अधिक गांव बसे हैं। लेकिन 60 गांव ऐसे थे जो बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपना संगठन बनाया और जनवरी 2007 को सरकारी पोलियो अभियान का बहिष्कार किया जिससे सरकारी तंत्र जगा। उसने हिन्डन के किनारे के उद्योगों को सचेत किया। नदी में उपयोग जल को ट्रीट करके ही डाला जाए। सभी उद्योगों में अब पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में तो वहाँ से अधिक जल प्रदूषण हो रहा है, आप लोग इसके लिए आवाज उठाएं, तभी ये उद्यमी आपकी आवाज सुनेंगे। इस प्रकार के संवाद से क्षेत्र

की जनता में जान आई, सभी ने इसके लिए संगठन बना कर एकजुटता के साथ लूनी नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। सरकार को भी लिखा। लेकिन सरकार और उद्यमियों के कान पर जूं तक नही रेंगी।

जनता की शक्ति का आखिरी हथियार संगठन और श्रमदान ही होता है। लूनी क्षेत्र में पांच हजार से अधिक लोगों ने अपने तगारी-फावड़े उठाये और औद्योगिक इकाइयों को रोकने के लिए लूनी नदी में ही बांध बनाना शुरू कर दिया। बाड़मेर में लूनी नदी के लोक अभिक्रम की भनक जब विधान सभा में मुख्यमंत्री के कान में पड़ी तो तुरन्त वहीं से आदेश जारी कर दिये कि सभी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया जाए। लोक शक्ति और श्रमदान का परिणाम सुखद रहा। कुछ उद्योगों में खराब पड़े ट्रीटमेंट प्लान्ट दोबारा चालू किए गये। कुछ में नये लगे। सरकारी तंत्र भी सतर्क हुआ है और राज्य सरकार ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। जन शक्ति को अहसास हो गया कि संगठन में शक्ति है जिसके आगे सरकार, प्रशासन और उद्यमियों को भी झुकना पड़ता है। ❑

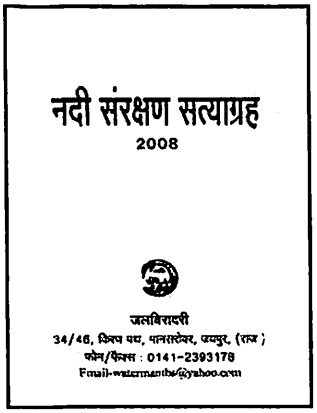

गंगा संरक्षण अभियान

उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनाने की एक बड़ी योजना बनाई। गंगा एक्सप्रेस हाईवे की लम्बाई 1000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर, ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। इस हाईवे में उत्तर प्रदेश की 40 हजार एकड उपजाऊ जमीन जायेगी। यह हाईवे नोएडा से नरायणपुर-बलिया तक गंगा के बाएं किनारे जायेगा जिसमें 20 जनपदों की जमीन जा रही है। सरकार इस हाईवे को बाढ़ नियत्रंण के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस योजना का प्रारूप विश्व बैंक के इशारे पर तैयार किया था जिसे मायावती सरकार ने हरी झंडी दिखाई।

गंगा एक्सप्रेस हाईवे इतनी भयावह योजना है कि इससे गंगा और गंगा के मैदानी क्षेत्र की खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी। प्रदेश की जनता में पलायन प्रक्रिया होगी, उसकी जीवन शैली बदलेगी। आजीविका और रोजगार के साधन खत्म होंगे। जनता में लूटपाट बढ़ेगी, गंगा का प्रवाह क्षेत्र तटबन्धों के द्वारा अवरुद्ध होगा जिससे बाढ़ और तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तटबन्धों के उदाहरण बिहार से अच्छा और कहां मिलेगा जिसे हर साल बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। गंगा, गंगा न रह कर एक नाला बनकर रह जायेगी। गंगा भारत की संस्कृति है जिसका जल अमृत्व लिए हुए है। अब विकास के दौर में गंगा जैसी पवित्र नदियां सिर्फ आदमी के दुष्कृत्य व मल को बहाने का साधन बनती जा रही हैं। गंगा को जगह-जगह बाँध कर वेग विहीन बना दिया है जिससे उसमें अपने को ही शुद्ध करने की क्षमता नहीं रही है। कानपुर में गंगा का हाल बेहाल है। उसके जल का आचमन करने को भी मन नहीं करता। हमारे विकासशील युग की ऐसी देन है कि जिसमें नदियों की हत्या हो रही है।

इस योजना पर कार्य करने के लिए 16-17 दिसंबर 2007 को जयपुर में आयोजित विचार गोष्ठी में विचार उभर कर सामने आए थे। गंगा एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर काम करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि 8 जनवरी को बलिया में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। उससे पहले कम से कम एक वाहन यात्रा सर्वे बतौर नोएडा दिल्ली से बनारस तक कर ली जाए। इस यात्रा में मित्रों और पत्रकारों से मिला जाए जिससे इस भयावह योजना के बारे में जनता के बीच में कुछ हलचल हो। लेकिन राजेन्द्र सिंह को इस यात्रा से पहले ही कुछ स्थानों पर जैसे -लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में जाना चाहिए। वहां पर एक -एक प्रेस वार्ता हो जाती है तो अच्छा रहेगा। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने इसे स्वीकार किया और जनवरी के प्रथम सप्ताह में गंगा संरक्षण अभियान शुरू किया। इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस में गंगा को लेकर अपने परिचितों के साथ बातचीत हुई। लोगों में भी गंगा का अपना महत्व है। कानपुर के लोगों को चाहे गंगा का महत्व न हो लेकिन इलाहाबाद और वाराणसी की पहचान ही गंगा है।

इन दोनों जगह लोगों ने राजेन्द्र सिंह को सुना और समाचार पत्रों ने खूब छापा जिसका परिणाम यह हुआ कि मायावती को गंगा एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास स्थान बदल कर नोएडा करना पड़ा।

दूसरी अध्ययन यात्रा तुरन्त शुरू की गई। ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर के नाराणपुर गांव तक 8 जनवरी से 15 जनवरी तक वाहन यात्रा की। ग्रेटर नोएडा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर आदि स्थानों पर वहां के बुद्धिजीवी वर्ग से मिले। मीडियाकर्मियों के साथ अच्छी बात हुई। अखबारों व टी.वी. पर खूब खबरें आईं जिससे गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास स्थान फिर बदला गया। 14 जनवरी को समाचार पत्रों में खबर छपी कि गंगा एक्सप्रेस हाई वे का शिलान्यास 15 जनवरी को मुख्य मंत्री अपने जन्म दिन पर लखनऊ में ही करेंगी। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी ? इस गंगा एक्सप्रेस हाईवे के शिलान्यास की, जो बार -बार स्थान बदला जा रहा था। ऐसा लगा मायावती इस परियोजना को लेकर बहुत उतावली हैं जबकि परियोजना से संबंधित बहुत से अध्ययन कराने जरूरी होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके क्या लाभ होंगे और क्या हानि ? उसी दिन जे.पी उद्योगपति के नाम टेंडर भी दे दिया गया जबकि उस आदमी की इतनी हस्ती नहीं है कि वह इतनी बड़ी परियोजना को ले सके। फिर भी उसके नाम यह परियोजना हुई जिससे सरकारी तंत्र और उद्योगपति की मिलीभगत के कारण किसानों की जमीन और गंगा का बहाव क्षेत्र हमेशा के लिए अस्तित्वहीन हो जायेगा। गंगा की छाती पर हाई-वे निर्माण को लेकर तरुण भारत संघ संघर्षशील और सक्रियता के साथ कार्यरत रहा है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नदियों का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ जन आन्दोलनों को गति प्रदान करने में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पूरी तरह से लगे हुए हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड की नदियों को बचाने हेतु आन्दोलनरत समाज को पूरा सहयोग दिया है। उनके द्वारा आयोजित नदी संरक्षण के कार्यक्रमों में भाग लेकर उत्साह बढ़ाया है।

उत्तराखण्ड में गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हाल यह है कि छोटी-छोटी जल धाराओं को रोक कर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है जिसके कारण वहां का प्राकृतिक जीवन और प्रकृति दोनों ही नष्ट होने के कगार पर पहुंच गये हैं। जो घाटियां युगों-युगों से गंगा को प्रवाहित करने में अपना योगदान करती थीं। आज वह सूख गई हैं जिससे गंगा में आने वाला पानी कम पड़ता जा रहा है। वैसे तो टिहरी बांध ने ही गंगा का गला घोंट दिया है जो कुछ सांसें चल रही थीं, उन्हें अब नयी विद्युत परियोजनाओं के द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। ❑

गंगा संरक्षण के लिए प्रयास

गंगा के प्रवाह के प्रति चिन्तित तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष श्री जी.डी. अग्रवाल जी ने भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट धाम में उनके पावन जन्मदिन रामनवमी, 14 अप्रैल 2008 को संकल्प किया कि "मैं संकल्प करता हूँ कि कोई अनहोनी ही न घट जाये तो, मैं उत्तरकाशी तक भागीरथी गंगा जी की धारा को अविरल-निर्बाध रखे जाने के हित में गंगा-दशहरा 13 जून 2008 से "आमरण अनशन" करूँगा, प्रभु मुझे अपने संकल्प पर दृढ़ रहने की शक्ति दे। उनका मानना है कि -

भारतीय संस्कृत एवं चिन्तन में भागीरथी गंगा जी और उनकी संसार में अद्वितीय पाप-विमोचिनी, स्वास्थ्यवर्धिनी पवित्रता में आस्था से दुनिया भली-भाँति परिचित है। पिछले कुछ वर्षों में जल -विद्युत परियोजनाओं द्वारा अन्य नदियों की भाँति ही, भागीरथी गंगा जी के प्रवाह की अविरलता को भंग कर, इस आस्था-स्रोत को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। अभी भी मनेरी से नीचे भागीरथी जी की धारा लम्बी दूरी और लम्बे समय तक जलविहीन रहती है। आगे चल कर शायद पूरी गंगा जी की यही स्थिति हो जाये। पर्यावरण विज्ञान का एक गंभीर छात्र और आस्थावान हिन्दू होने के नाते, भारतवासी गंगा को मां मानते हैं। क्या मां की हत्या, उसका जल विहीन, छिन्न-भिन्न किया जाना चुपचाप देखते रहें ? कम से कम उद्गम स्थल से उत्तरकाशी नगरी तक तो भागीरथी की धारा को आस्थावान हिन्दुओं और भारतीय संस्कृति के लिए अविरल निर्बाध छोड़ दिया जाना चाहिए।

चिन्ता की बात यह है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के मन की पीड़ा को आज विकास के दानव ने दबा दिया है। विकास ने सबको बहरा, गूंगा, अंधा बनाकर रख दिया है जिससे हमारी संवेदनाओं का हनन हो रहा है। प्रकृति की रक्षक गंगा के अस्तित्व को जानबूझ कर खत्म किया जा रहा है। यही स्थिति रही तो भारत के भविष्य के लिये यह सबसे बड़ा संकट होगा।

भविष्य के संकट को भांपते हुए तरुण भारत संघ की पूरी शक्ति एक बार गंगा को प्रकृति रूप में प्रवाहित रहने के लिए लगने लगी। तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष द्वारा 13 जून से 'आमरण अनशन' का संकल्प से नदी संरक्षण की दिशा में कार्य करने की दिशा, दृष्टि और मागदर्शन स्वत: ही हुआ।

तरुण भारत संघ के द्वारा नदी संरक्षण के लिए कार्य करने की पृष्ठभूमि तो पिछले 15 साल से चल रही थी। जब अरवरी नदी को सरकार और व्यापार से बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 'इन्टर-नेशनल रिवर फाउन्डेशन ऑस्ट्रेलिया में अरवरी नदी संरक्षण कार्य के लिए इन्टरनेशनल थीसिस

रिवर प्राइज 2004 के लिए स्पेशल कमोन्डेशन अवार्ड से अरवरी नदी मॉडल के नाम से तरुण भारत संघ के कार्य को दुनिया ने जाना।' अरवरी नदी संरक्षण कार्य से मिला रास्ता दुनिया में पवित्र पावनी गंगा के संरक्षण तक आ पहुंचा।

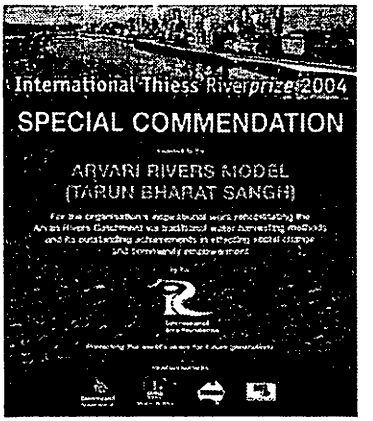

अरवरी नदी राजस्थान की तहसील थानागाजी के पश्चिम-दक्षिण में है। बरसात के दिनों में ही पानी के दर्शन होते थे। उसके जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य किए गये। नदी में पानी बहने लगा, जीव जन्तु भी आए। सरकारी तंत्र और व्यापारी भी आए। नदी जल को लेकर सरकार और समाज में अपनी-अपनी हकदारी के लिए संघर्ष शुरू हुए। नये सवाल खड़े हुए कि आखिरकार पानी किसका ? उसका उत्तर तलाशते-तलाशते पवित्र पावनी गंगा के किनारे तक आ पहुंचे। बीते समय में न जाने कितनी तरह की बाधाएं सामने आईं, सभी को सहते समझते हुए जल संरक्षण के कार्य करते हुए लगा कि अलवर की छोटी सी नदी भी सरकार और बाजार की सम्पत्ति बनी।

दूसरी ओर महानदी गंगा की भी वही दशा है। वह भी सरकार के लिए सम्पत्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार जितना चाहे और कैसे भी बेच सकती है। उसकी एकमात्र मालिक सरकार ही है। उसी सोच के साथ उत्तराखण्ड सरकार ने गंगा को देश-दुनिया के बाजार को हर प्रकार से बेच दिया था। गंगा को खरीदने वाले लोग अपने-अपने तरीके से भोग-उपभोग करने के तौर-तरीके अपनाते हुए गंगा के अस्तित्व से खिलवाड़ करने लगे। विकास का सपना देखने वाले प्रकृति की हत्या और समाज की बेबसी देखकर खुश होते। उन्हें मालूम था कि बेबस समाज पंगु है। उसकी शक्ति अंधी है, उसे जो रास्ता दिखाया जायेगा, उसी रास्ते पर चलता रहेगा। सरकार और भोगी व्यापारी समाज को दरकिनार कर देते हैं। उन्हें अपने हित लाभ के अलावा कुछ नहीं दिखता कि उनके कार्यकलापों पर किसी और की भी दृष्टि है। जो दोनों को अच्छी तरह से जानता है। उसे विकास- विनाश कार्य की परिभाषा को सरकार और भोगी व्यापारी से समझने की जरूरत नहीं है।

ऐसे ही डॉ. जी.डी. अग्रवाल थे जो सरकार, सरकारी तंत्र और विकास- विनाश को अच्छी तरह जानते थे। गंगा को किस प्रकार से अस्तित्वहीन किया जा रहा है। उन्होंने गंगा के अस्तित्व को बचाने का संकल्प लिया। डॉ. अग्रवाल के संकल्प को पूर्ण करने में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष और कार्यकताओं ने, सहयोगीजनों ने सहयोग किया था।

मई-जून के महीने में गंगा के किनारे रहने वाले समाज से सम्पर्क किया गया जिसमें पहाड़ों में गंगा घाटी का समाज और भारत का आध्यात्मिक जगत निवास करता है। गंगा की पीड़ा और दुर्दशा को समझने वाले लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। सभी के विचारों और अनुभवों को साथ लेकर गंगा को बचाने के लिए 12 जून को ही सब लोग उत्तरकाशी में पहुंच गये थे। डॉ. जी.डी. अग्रवाल जी का गंगा संरक्षण के लिए 'आमरण अनशन' संकल्प दिन 13 जून भी आ गया। सुबह गंगा के किनारे कणिकमणिका घाट पर हवन पूजा के साथ अनशन शुरू हुआ। गंगा की चिन्ता करने वाले कई लोग अनशन में सहयोगी बने। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों ही अनशनरत थे। ❑

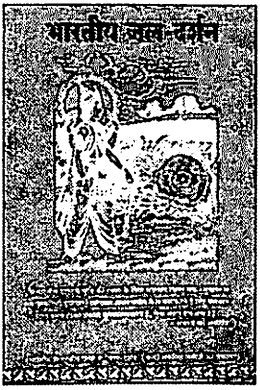

जनता से अपील
गंगा बचाओ सत्याग्रह क्यों करें हम !

भारत सरकार ने गंगा का प्रदूषण रोकने की आवश्यकता को तो पहचाना है और एक्शन प्लान जैसी विशाल योजना कार्यान्वित की है लेकिन बांध और सुरंगों के निर्माण से गंगा के स्वास्थ्य के ही नष्ट हो जाने को नहीं पहचाना। बहुत आवश्यकता है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाये और गंगा जी का नदी स्वरूप बनाये रखा जाये।

हम सभी भारतवासी नदियों को ईश्वर तुल्य मानते हैं, इसलिए सभी नदियों को प्रतीक स्वरूप गंगा कहते हैं। गंगा सम्पूर्ण भारतवासियों का जीवन है। अपने जीवन में जन्म से मरण तक सारे संस्कार हम भागीरथी-गंगा के साथ ही करने की चाहत रखते हैं। जीवन के आखिरी वक्त में दो बूंद 'गंगा जल' जरूर मुंह में डालते हैं। हर घर में एक कांच की शीशी में गंगा मौजूद रहती है।

हम दुनिया में कहते हैं, गंगा का पानी बिगड़ता नहीं। यही दुनिया की शुद्धतम नदी है। इसका जल सड़ता नहीं है। लेकिन हमारी करतूतों ने गंगा को नष्ट करने का षड्यंत्र किया है। गंगा जिनकी आध्यात्म है, वे भी देख ले कि गंगा से उनका आध्यात्म कैसे बचेगा ? श्रद्धेय श्री गुरुदास अग्रवाल जी के जमीर ने जो कहा वह उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी आहुति गंगा को बचाने हेतु है। हम भी गंगा को बचाने के लिए प्रारम्भ किये गये इस यज्ञ में अपना योगदान सुनिश्चित कर करोड़ों लोगों के जीवन, जमीर, आस्था और आध्यात्म को अनवरतता देने के लिए कुछ निर्णय कर सकते हैं।

'गंगा बचाओ' सत्याग्रह कैसे पूरा होगा? इसे सफल बनाने हेतु तीन तरफा प्रयास करने होंगे, एक- देश भर के लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना शुरू करें। दो- अपने क्षेत्र की नदी पर ही बैठकर 13 जून को नदी दिवस मनायें और उस दिन उपवास रखें। उपवास के समय गंगा की शुद्धता, पवित्रता हेतु शिक्षण और रचना का काम भी उस दिन शुरू करें। गंगा प्रेम सभी को 'गंगा बचाओ' संकल्प पूरा करने हेतु अपनी नदी का जल साथ लेकर उत्तरकाशी प्रस्थान करना चाहिए। 22 जून से पहले उत्तरकाशी पहुंचें, उस दिन देश भर से आये लोगों के साथ चर्चा का विषय 'भविष्य की रणनीति' तैयार करने का काम किया जाए। देश के प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं जैसे श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालकृष्ण आडवानी, बी.सी. खंडूरी आदि से मिलें। उन्हें भागीरथी की दुर्दशा दिखाने व करोड़ों लोगों की आस्था का वास्ता देकर भागीरथी पर चल रहे कामों को रुकवाने की बात करें।

साधु-सन्तों की बड़ी ताकत है। उन्हें भी हम इस महायज्ञ में जोड़ने की कोशिश करें तथा वाचक अपनी कथाओं में गंगा को बचाने का आह्वान करें। हमारी संस्थाएं और संगठन गंगा को बचाने के संकल्प को पूरा करने में एकजुट हो जाएं। गंगा बचाने का संकल्प करने से देश भर की नदियां बच जायेंगी। धरती पर हरियाली तथा नदियों की शुद्धता व सदानीरापन लौट आयेगा।

पत्रकार मित्रों को भी नदी पर साथ ले जाएं। वे उस नदी के अतिक्रमण, जल शोषण-प्रदूषण रोकने हेतु लिखें। भागीरथी-गंगा का रिश्ता भी उस नदी के साथ जोड़कर लिखें तो समाज का गंगा से प्रत्यक्ष जुड़ाव बढ़ेगा। गंगा राज- समाज और ऋषि की साझी है। समाज के लिए गंगा जीविका, जीवन और जमीर है। तीर्थ, आस्था-आध्यात्म भी है। गंगोत्री हमारी आस्था का प्रतीक है। हम श्रद्धापूर्वक गंगोत्री दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब हमारी आस्था की प्रतीक गंगा ही नष्ट की जा रही हो, तो गंगोत्री दर्शन को जाने का क्या औचित्य ? ऐसे में गंगोत्री न जाकर क्यों न उत्तरकाशी से ही गंगा के दर्शन किये बिना ही लौटें ?

भारत के प्रधानमंत्री को लिखें कि 'गंगोत्री से उत्तरकाशी' तक अब भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार भागीरथी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। मनेरी भाली बैराज का फाटक खोल दें। यही बात उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री लिखकर स्वयं उत्तरकाशी पहुंचकर गुरुदास अग्रवाल को सौंप दें। मुख्यमंत्री का यह सब सुझाव प्रधानमंत्री जल्दी पूरा करें।

आमरण अनशन की खबर अखबार, रेडियो, टी.वी. चैनलों के माध्यम से जनता के बीच जाने लगी। साधु-सन्त समाज भी गंगा के कार्य में जुटने लगा। तो दूसरी ओर हिन्दूवादी संगठनों के लोग भी सक्रिय होने लगे, अनशन स्थल पर पहुंच कर अपना-अपना समर्थन देने लगे। इन सब से राजनीति अछूती नहीं रहीं। वह भी अपनी तरह से कार्य करने में पूर्णतः सक्रिय हुई। राजनीति किस रूप में अपना कार्य करती है, पता भी नहीं चलता। गंगा के किनारे के साधु - सन्त समाज में भी एक बार फिर से सक्रियता दिखाई देने लगी। वे अपने-अपने मठों में गंगा को पवित्र पावनी बनाने के लिए बैठक, सम्मेलन करने लगे।

विश्व हिन्दू परिषद अलग से अपना अलाप गाने लगी। उसके नेता हरिद्वार में बाबा रामदेव के आश्रम में साधु-सन्त समाज की बैठकों में जुट गये। ऐसा लग रहा था कि गंगा को बचाने के लिए भारतीय जन साधारण और आध्यात्मिक जगत एक साथ है, परन्तु ऐसा नहीं था। आध्यात्मिक जगत में भी राजनीति व्याप्त थी। खैर! चाहे जो भी रहा हो लेकिन डॉ. जी.डी. अग्रवाल के 'आमरण अनशन' से चार दिन के अन्दर राज्य सरकार ने गंगा के अस्तित्व के बनाये रखने के लिए सोचना शुरू कर दिया था। और 19 जून को राज्य सरकार द्वारा संचालित दो परियोजनाएं बन्द कर दी गई, जो उत्तरकाशी के ऊपरी भाग में चालू थीं।

सरकारी कदम और अग्रवाल जी के अनशन से कुछ लोगों को पीड़ा भी हुई, उनके सपने अधर-झूल में टूटते दिखे । उन्होंने बौखलाहट में 21 जून को अनशन स्थल पर भारी हंगामा किया, जो स्वाभाविक था। पहले से इस सब का आभास भी था कि स्वार्थ के वशीभूत लोग कुछ भी कर सकते हैं। आमरण अनशन का कार्य जितना लच्छित था। वह तो राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए बन्द कर दिया था। अब केन्द्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना एन.टी.पी.सी. को बन्द कराने की बारी थी जिसके लिए केन्द्र सरकार को लक्ष्य मानकर दिल्ली में अनशन शुरू कर दिया। 30 जून तक अनशनरत डॉ. जी.डी. अग्रवाल ने केन्द्र सरकार से अपनी परियोजना को बन्द कराने के लिए अनुरोध किया। साथ ही प्रधान मंत्री मनमोहनसिंह को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सुझाव दिये। प्रधानमंत्री ने गंगा को संरक्षित रखने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसमें तरुण भारत संघ के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने सदस्य रूप में अपने सुझाव दिये।

गंगा संरक्षण के लिए अनशन करना ही नहीं था। दिल्ली के बाल भवन में 28 -29 जुलाई तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण सम्मेलन में गंगा संरक्षण के लिए नई सोच, नई दिशा दृष्टि बनी। क्यों न भारत की आत्मा गंगा नदी को राष्ट्रीय ध्वज, पशु- बाघ, पक्षी-मोर, आदि प्रतीक की भांति 'गंगा-एक राष्ट्रीय नदी प्रतीक' के रूप में संवैधानिक तौर पर मान्य एवम् संरक्षित हो। साथ ही प्रत्येक प्रदेश भी अपनी एक मुख्य नदी को 'प्रादेशिक नदी' के रूप में घोषित एवं संरक्षित करें ।

इसी सोच के साथ अगला कदम गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए उठाया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए आए विचार को क्रियान्वित करने के लिए 'गंगा सेवा अभियान' गठन किया जिसमें स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती के मार्गदर्शन में गंगा सेवा अभियान के संयोजक का कार्यभार राजेन्द्र सिंह ने लिया । अगस्त से अक्टूबर 2008 तक की समयावधि में हरिद्वार से गंगा सागर तक साधु-सन्त समाज के मठों में जाकर गंगा की स्थिति को समझाया। गंगा के किनारे बसे धार्मिक और आध्यात्मिक दर्शन, सभ्यता सांस्कृतिक नगर 'प्रयाग' इलाहाबाद, काशी, गया और गंगा सागर में विशेष रूप से साधु-सन्त समाज को झकझोरा । उनकी सुसुप्त ज्ञानेन्द्रियों को गंगा के विषय में सोचने-समझने और कार्य करने के लिए सक्रिय किया।

साथ ही गंगा के दोनों किनारे के जन समुदाय को गंगा से जड़ने के लिए आह्वान किया। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में जाकर गंगा की अविरलता और शुद्धिकरण के लिए संवाद चलाया । स्कूल-कालेज-विश्वविद्यालयों में भी छात्रों और प्राध्यापकों के बीच में गंगा को लेकर लम्बी चर्चा हुई । सतत संवाद से गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा संरक्षण का अभियान चलाया । गंगा बेसिन में और गंगा के किनारे के समाज ने एकजुटता दिखाई जिससे

गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज उठने लगी । साधु-संत समाज, पर्यावरणविद्, प्रबुद्धजन, छात्र, ग्रामीणजन, पण्डा, मल्लाहों के संगठन बने । सब अपने-अपने स्तर से गंगा को बचाने के लिए संकल्पबद्ध दिखाई दिये । चर्चा,बैठक, यात्रा, पदयात्रा, बड़े शिविर-सम्मेलन होने लगे ।

गंगा को पाप नाशिनी, पुण्य दायिनी, पवित्रता की पराकाष्ठा को बताते हुए 'सिर्फ स्नान नहीं है कुम्भ' और गंगा क्यों बने एक राष्ट्रीय नदी प्रतीक ? तर्कसंगत और तथ्यात्मक विचारों का समावेश किया गया । सभी मुद्दों को लेकर जनता और समाचार पत्रों में गंगा का अस्तित्व दिखने लगा जिससे राजनैतिक लोग भी अपना राजनीतिक भविष्य गंगा की आवाज में देखने लगे । उन्होंने भी अपने-अपने स्तर से गंगा संरक्षण का बिगुल बजाया । बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार के मठों से आध्यात्म की चिंगारी निकलने लगी । गंगा में सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले नगरों में साधु-सन्त पहुंचा और समाज को सचेत करने के प्रयास किये । बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गयाजी, और गंगा सागर तक साधु-सन्त जुड़ा । इस सब में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष ने रात-दिन एक करते हुए अपने राष्ट्रीय जल बिरादरी के मित्रों के सहयोग से भरसक प्रयास किये ।

गंगा सेवा अभियान के सदस्य गंगा की स्वतंत्रता के लिए तीन महीने के अनुभवों को समाहित करते हुए स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जगद्गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में 16 अक्टूबर 2008 को दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री मनमोहन जी से मिले। प्रधान मंत्री से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का अनुरोध किया । गंगा सेवा अभियान के सदस्यों ने अपने अनुभवों को बताया । प्रधान मंत्री के साथ सकारात्मक रूप में बात हुई ।

प्रधानमंत्री ने गंगा के अस्तित्व को बनाये और बचाये रखने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के विद्वानों से सलाह-मशविरा किया। राजनैतिक पहलुओं को देखते-समझते अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भी चर्चा करने के बाद गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकारते हुए नई दिल्ली में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जल संसाधन मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री की उपस्थिति में 'गंगा को राष्ट्रीय नदी' घोषित किया । जिन राज्यों में गंगा बहती है, उनके मुख्यमंत्रियों की सदस्यता वाली गंगा घाटी प्राधिकरण बनाने का निर्णय भी सुनाया ।

प्रधान मंत्री ने गंगा को विशेष बताते हुए कहा, 'यह प्रत्येक भारतीय के मन -मानस और हृदय में भावना, श्रद्धा और आस्था का स्थान रखती है । इसलिए इसे शुद्ध और सदानीरा बनाने का एक आदर्श मॉडल बनाने हेतु नया संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। इस हेतु टुकड़ों में कुछ चुनिंदा शहरों में प्रदूषण मुक्ति के हुए कार्यों के स्थान पर पूरी नदी में ऊपर से नीचे तक गंगा की एक पारिस्थितिकी और भू-सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए इसकी एक ही पहचान

बनाने बावत हमें पर्यावरणीय जल प्रवाह और शुद्धता सुनिश्चित करना चाहिए। गंगा घाटी प्राधिकरण के अधिकार और कार्यक्षेत्र राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं संबन्धित केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा करके तय किये जायेंगे ।'

प्रधानमंत्री के इस कदम को भारत की जनता ने सभी दृष्टिकोणों से सराहा। सभी धर्मों का सहयोग, गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए राजनैतिक लोगों का एकमत होना । साधु-सन्त समाज, भारतीय जन की गंगा के प्रति धार्मिक, आध्यात्मिक आस्था की जीत हुई । देश के प्रबुद्धजनों वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने वर्तमान परिस्थितियों में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिये जाने पर प्रधान मंत्री की प्रशंसा की।

गंगा घाटी प्राधिकरण के अधिकार और कार्यक्षेत्र राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा करके तय किया जायेगा। गंगा घाटी में आने वाली बाढ़ के पानी और प्रदूषित जल के स्थाई उपयोग को जोड़कर योजना बनाई जाये । प्राधिकरण से भी विभागों के बीच समन्वय करके समग्रता से योजना बनायेंगे। नदी संरक्षण और प्रदूषण प्रबन्धन को जोड़कर यह प्राधिकरण काम करेगा। दो माह में संवाद करके प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। कार्य प्रस्ताव तैयार करते समय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रेरणा से 1985 में आरम्भ हुआ 'गंगा एक्शन प्लान' को भी ध्यान में रखा जाये । अब इसे दिशा-निर्देश मानकर तत्काल काम शुरू होगा । दो माह में गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाने के लिए सब तैयारी कर ली जाएगी । हम भी समाज के साथ संवाद करके सरकार को समाज का पक्ष प्रस्तुत करेंगे । ❑

गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर सरकार ने विहिप का मुद्दा छीना

• शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की सलाह पर हुआ फैसला

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पिछले दिनों मुलाकात करते जगदगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती

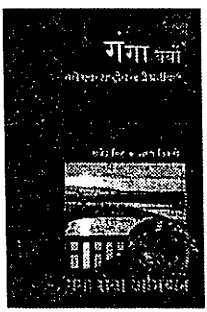

जन साधारण की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्ति

गंगा सेवा अभियान के माध्यम से जल बिरादरी ने गंगा को एक राष्ट्रीय नदी प्रतीक के रूप में संवैधानिक मान्यता व संरक्षण की मांग केन्द्र सरकार के सामने रखी थी। जल बिरादरी व अन्य संस्थाओं के पिछले एक वर्ष के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री की पहल से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

गंगा केवल हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र नहीं बल्कि गंगा दुनिया में भारत की अस्मिता की पहचान भी है। यह सबकी है, पूरी दुनिया की है। गंगा के किनारे होने वाले कुंभ में सभी का स्वागत होता है। गंगा किनारे न कोई हिन्दू होता है, न मुसलमान, न सिक्ख, न ईसाई, न अमीर, न गरीब, न राजा, न प्रजा, यहां तो सभी गंगा की संतान होते हैं। गंगा के प्रति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने आये श्रद्धालु, भक्त होते हैं।

गंगा नदी का पानी विश्व की सभी नदियों के पानी से अलग, अमृतमयी है। इस तथ्य को अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। गंगा केवल एक नदी नहीं है। 'गंगा' भारतीय संस्कृति की महाधारा है। गंगा-जल केवल जल नहीं, रोग विनाशक अमृत जल है।

किन्तु जो गंगा कभी दूसरों को जीवन देती थी। वह आज जीवन लेने वाली बन गई है जिसे युगों-युगों तक अमृत धारा कहा गया, वह खुद आज एक मृतधारा हो गई। उसका जल इतना विषैला हो गया है कि बीमारी व प्राण लेने वाली बन गई है। गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। तट के सभी शहरों व गांवों का कचरा, शौचालयों का मल, कारखानों का कचरा व उत्सर्जन गंगा में बहाया जाने लगा है। गोमुख से गंगा सागर तक प्रदूषण बढ़ रहा है। गंगा में 29 मिलियन लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिरता है। गंगा जल अब आचमन करने योग्य ही नहीं रहा। इसका गंदला जल देखकर स्नान करने की इच्छा मर जाती है।

गंगा के आस-पास भूजल के शोषण की बढ़ी हुई रफ्तार ने भी गंगा का पेट खाली किया है। गंगा को समृद्ध करने वाली सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, तमसा, गोमती, सई और सरयू आदि भी अब जलाभाव व प्रदूषण की शिकार हैं।

आज समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि गंगा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है ? क्या हम खुद ? इतनी बड़ी आस्था वाले भारत देश में गंगा की यह दुर्दशा क्यों? गंगा आज समाज से प्रश्न कर रही है। जबाव दीजिए कि गंगा मानव प्रदत्त पाप धोने कहां जाये ?

क्या इस सबका कारण समाज व सरकार की बदलती मानसिकता, नदियों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता व नदियों को कमाई का साधन मान लेना है ?

गंगा को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कराना मात्र ही हमारा उदेद्श्य नहीं था, बल्कि गंगा को पुन: अमृतमयी बनाना है । इसके लिए राष्ट्रीय जल बिरादरी ने पांच सूत्रीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है :

1. गंगा बहने वाले पांच राज्यों में संवाद करवाना व समस्याओं का समाधान ढूंढना।
2. गंगा पर दस्तावेज तैयार कराना व सरकार को प्रस्तुत करना।
3. गंगा सुरक्षा दल का गठन करना।
4. समाज को पुन: गंगा से जोड़ना। आस्था के साथ-साथ गंगा बचाने के कार्य करना।
5. गंगा बचाओ आन्दोलन में भाग लेने वाले साथियों का सम्मान करना। ❑

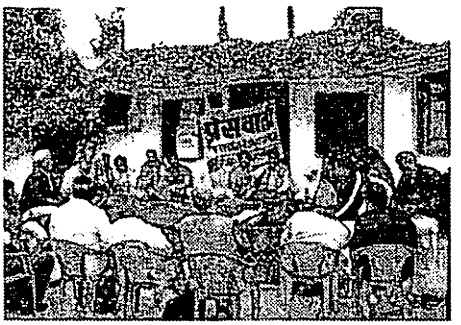

गंगा सम्मान संवाद यात्रा

तरुण भारत संघ की सहयोगी संस्था जल बिरादरी ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित होने से अपने कार्य की इतिश्री नहीं की है। बल्कि अपने अगले कार्यक्रम के लिए कुछ मुद्दे तय कर कार्य योजना बनाई। 14 नवम्बर 2008 को हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा सम्मान संवाद यात्रा शुरू की गई। तटवासियों को गंगा के राष्ट्रीय नदी घोषित करने की जानकारी देना मुख्य कार्य समझा। साथ-साथ तटवासियों से निवेदन किया गया कि वह अपनी गंगा को किस रूप में देखना चाहते हैं। गंगा के शुद्धिकरण के लिए आपके क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करने की जरूरत है गंगा को प्रदूषित करने वाले कौन से कारण हैं? अभी तक प्रदूषण बन्द कराने के लिए क्षेत्रीय जनता ने क्या उपाय किये हैं ? आगे क्या हो सकता है ?

गंगा को गंगा रूप में रखने के लिए क्षेत्रीय जनता प्रयासरत दिखाई दी। लेकिन गंगा के विषय में किसी भी प्रकार की सरकारी स्तर पर ठोस नीति-नियम और कानून के अभाव में सभी प्रयास बेअसर दिखाई दिये। गंगा को प्रदूषित करने के लिए सबसे अधिक तटवर्ती शहरों के गंदे नालों द्वारा छोड़ा गया पानी, दूसरे गन्ना मिल, पेपर मिल, शराब उद्योग , चमड़ा उद्योग आदि बहुत से कल कारखाने हैं। समाज के भक्तिभाव में प्लास्टिक का जुड़ना, अधजली लाश को प्रवाहित करना, गंगा के जलीय जीव जन्तुओं का शिकार होना तथा प्रदूषित जल के कारण स्वत: मरना, गंगा क्षेत्र को बाधित करना, सरकार द्वारा किये गये अधूरे प्रयास मुख्य कारण सामने आये जिनसे गंगा प्रदूषित हो रही है। राजनेता, प्रशासन, उद्योगपति की तिकड़ी के आगे गंगा के शुद्धिकरण के प्रयास का सफल होना संभव नहीं दिखता।

गंगा तटवर्ती समाज में गंगा को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर रहा जिससे सीधे-सीधे आम आदमी भी प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध आवाज उठा सके। प्रदूषणकर्ता सीधे-सीधे दण्ड का भी भागीदार बने। तरुण भारत संघ व जल बिरादरी का यह भी प्रयास रहा कि क्षेत्रीय जनता गंगा का प्रदूषण मुक्ति के लिए अपने सुझावों से प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिलाधीश को जरूर अवगत कराए जिससे उनके क्षेत्र में गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए बनने वाली कार्ययोजनाओं में ध्यान रहे। एक महीने की गंगा सम्मान संवाद यात्रा में लोगों के सुझावों को संकलित करते हुए अपनी ओर से दस्तावेज तैयार कर 21 दिसंबर 2008 को प्रधानमंत्री को डाक व ई-मेल द्वारा सौंपा।

यात्रा के दौरान संवाद प्रक्रिया

भारतीय एकता, अखण्डता और संस्कृति का दूसरा नाम गंगा है इसलिए यह भारत की मां कहलाती है । इसके लिए अपनी आजादी के साठ साल बाद मां की आजादी का खयाल किया। अभी तक पांच राज्य उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल इसे बांधों, झीलों, बैराजों में कैद करके अपनी मरजी से मैला ढोने वाली माल गाड़ी के तौर पर इसका उपयोग करते रहे हैं। अब सभी मिलकर गंगा की आजादी हेतु गंगा घाटी प्राधिकरण बना रहे हैं। अब सभी राज्य मिलकर गंगा को राष्ट्रीय नदी मानकर इसका हक और आजादी प्रदान करेंगे ? सबसे पहले गंगा का नाड़ी तंत्र ठीक करना होगा। इसकी नाड़ियों में शुद्ध जल बहे, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। नाड़ी में अवरोध आने पर हृदय कट जाता है, फेल हो जाता है। अपना काम बंद कर देता है इसलिए मृत्यु हो जाती है।

हमारे द्वारा तटबंध , बंध बैराज डाइवर्जन चैनल, हृदय की चिकित्सा के लिए कभी-कभी जैसे चिकित्सक कुछ करता है। वैसा ही इंजीनियर गंगा के साथ करते हैं। ऐसा ये बातचीत में बोलते हैं लेकिन ये भूल जाते है कि नाड़ी चिकित्सा की सावधानी, नदी चिकित्सा में वे नहीं रखते इसीलिए ये बंध फेल होकर कोसी बाढ़ की तरह डूबते हैं। कोसी तटबंध बाढ़ मुक्ति के नाम पर बना था लेकिन सबसे बड़ी बाढ़ का आमंत्रण बन गया।

पानी प्रलय और जीवन दोनों देता है। प्रलय यही पानी बन जाता है, जो प्राण भी बचाता है। प्राण बचाने वाला प्रलय लाने वाला नहीं बने, यह ध्यान गंगा के तटवासियों को रखना है। यह तभी सम्भव होगा जब हम पर्यावरणीय प्रवाह को ध्यान में रखकर गंगा को पुष्पदायिनी व पर्यावरणीय प्रवाहिनी बनायेंगे।

गंगा भूमि को किसी दूसरे काम में नहीं लेकर केवल गंगा जीव पालने हेतु प्राकृतिक घास , पेड़-पौधे, इसके दोनों तरफ उगायें। गंगा जीव बचाने के लिए गंगा जलचर उद्यान बनाए जाए। सीमेन्ट- कंकरीट के जंगल गंगा भूमि से हटायें। गंगा भूमि सबके लिए प्राणदायिनी पोषक - पालक रूप में उपलब्ध रहे। गंगा भूमि दूसरों के लिए प्राणदायिनी रूप में बनी रहे। मानव मलमूत्र गंगा में नहीं जावे। आवासीय मैला और गंदगी रोकने हेतु पंचायत-नगरपालिकाओं को अपने गंदे मल, जल या किसी भी प्रकार का प्रदूषणकारी तत्व इसमें नहीं आने दें।

हर वर्ष माघ माह में गंगा किनारे इकट्ठे होकर समाज संकल्पित होवे। गंगा के साथ अनुशासित व्यवहार करें। छह वर्ष में हरिद्वार में हिमालयी गंगा की नैसर्गिकता प्रवाह की गंगा न्याय नीति बनाएँ। इसी तरह संगम इलाहबाद में जुड़कर गंगा की मैदानी न्याय नीति बनाएं । इस प्रक्रिया को

अर्द्ध कुंभ नाम दे सकते हैं लेकिन इसमें लिए निर्णयों को गंगा घाटी प्राधिकरण अपने निर्णय मानकर पालना करेगा तो भारतीय समाज गंगा से जुड़कर अपनी एकता, अखंडता की रक्षा करने वाली गंगा से जुड़ जायेगा । कुंभ की अपनी सार्वभौमिकता है । इसका सम्मान करते हुए पुनः इस अवसर को गंगा न्याय नीति निर्माण हेतु अच्छा अवसर मानकर योजना बनायें।

12 वर्ष बाद गंगा न्याय नीति का पुनर्मूल्यांकन करके पुनर्जीवित, प्रतिष्ठित या नये दस्तूर बनाने का काम किया जाये । इसे कुंभ कह सकते हैं। यह प्रक्रिया गंगा किनारे सदियों से चलती आयी है। ऐसे ही गंगा की पवित्रता एवं शुद्ध-सदानीरा बनाने का एक मौका मानकर उपयोग करना अच्छा होगा । यह गंगा के लिए समाज के दायित्व का अहसास कराने के लिए सरल-सहज तरीका बन सकता है । समाज-सरकार और संतों को गंगा शुद्धि हेतु जोड़ने वाला एवं गंगा पर्यावरण प्रवाह को बनाने वाला बन सकता है । इसी मौके पर समाज गंगा भूमि पर कब्जे नहीं करे, ऐसा संकल्प भी ले सकता है।

गंगा शुद्धि या पुनर्जीवन के काम में समाज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु गंगा उत्सवों अर्द्धकुंभ और कुंभ को साधन बनाना चाहिए। इस अवसर पर लोग गंगा में आस्थाओं के साथ आते हैं। भारतीय मानस पर आस्थाओं का असर ज्यादा होता है । आस्थाएं मानव मन को संवेदनशील बनाकर साझे वर्तमान और भविष्य को सुधारने में जुट जाती हैं । गंगा से जन जुड़े, तभी गंगा स्वच्छ बनेगी। जन को जोड़े बिना गंगा केवल दण्ड या प्रदूषण दण्ड से ठीक करना संभव नहीं है।

'जोड़ो गंगा जोड़ो, शुद्ध जल धारायें, गंगा से जन मन प्राण जोड़ो। गंदे नाले गंगा से दूर मोड़ो।'

गंगा को अविरल-निर्मल बहाओ। गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह बनाओ। गंगा भूमि या जलधारा पर मत कुछ सजाओ। गंगा से प्रदूषण उद्योग और कब्जे हटाओ। गंगा संवाद बनाओ, गंगा से संवाद जरूरी है। गंगा को चाहिए सबका श्रम और समयदान। जलशोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण रोकें । गंगा का सम्मान करें । ❑

गंगा को न्याय की दरकार

होली के ठीक पहले भाजपा की उत्तराखण्ड सरकार को एकाएक दयानन्द ब्रह्मचारी की जान बचाने की याद आई और मुख्य सचिव आदि ने हरिद्वार में डेरा डालकर राष्ट्रीय नदी गंगा में चल रहा खनन रोकने तथा गंगा भूमि के रिकॉर्ड में फेरबदल करने वालों के विरुद्ध जांच बैठाने का आदेश दे दिया।

गंगा में अतिक्रमण रोकने हेतु मातृसदन हरिद्वार एवं जलबिरादरी जयपुर से जुड़े इस संत ने 10 फरवरी को आमरण अनशन शुरू किया था। संत की मरणासन्न हालत से भयभीत उत्तराखण्ड सरकार अंतत: संत को बचाने हरिद्वार पहुंची।

पूर्व में किए गए अनेक अनशनों के परिणामस्वरूप गंगा दशहरा 13 जून 2008 को उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड सरकार ने अपने तीन बांध भैरूघाटी फेज 1 और फेज 2 एवं पालमनेरी रद्द किये थे। मकर संक्रान्ति 14 जनवरी 2009 को प्रारंभ हुए अनशन से 19 फरवरी को लुहारी नागपाला का काम स्थगित हुआ। अब यह तय हो गया है कि भागीरथी गंगा पर नये बांध व बैराज नहीं बनेंगे एवं पर्यावरणीय प्रवाह भी सुनिश्चित करा जाएगा। यह गंगा की बड़ी जीत है।

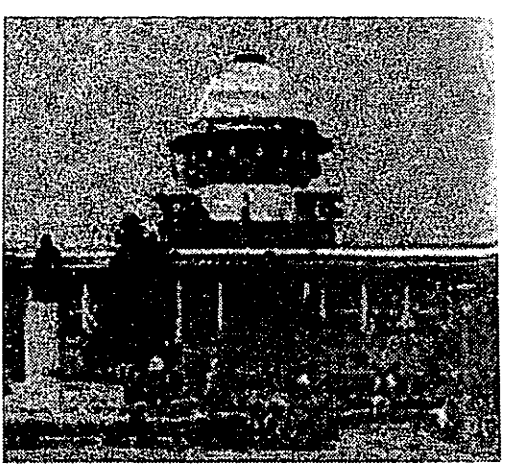

23 दिसम्बर 2002 से नदियों से समाज का मन मानस जोड़ने वाली जल साक्षरता यात्राओं द्वारा देश की सूक्ष्म, छोटी, मंझोली और बड़ी कुल मिलाकर 144 नदियों की यात्रा के माध्यम से देशभर में नदियों पर होने वाले अतिक्रमण, शोषण व प्रदूषण को रोकने की एक बड़ी मुहिम चली। जनसमुदाय जल से जुड़ने लगा। नदी जोड़ के स्थान पर नदी से जन को जोड़ने की बहस चल पड़ी। समाज ने नदियों से जुड़े सवालों पर बहस भी की। 2006 से इस अभियान में और भी तेजी आई। परंतु सरकारी गलियारों में नदी जोड़ पर बहस जारी रही। इस हेतु कोई बजट तो मंजूर नहीं हुआ परन्तु इसके स्थान पर रिवर रिवाईवल, रिवर ब्यू डेवलपमेन्ट आदि नामों की बात शुरू हुई और इस हेतु विचारपत्र भी पारित हुए।

जल बिरादरी ने 2006 में नदी लोकादेश भारत सरकार को भेजकर गंगा को राष्ट्रीय नदी एवं प्रत्येक राज्य में एक-एक नदी पर प्रांतीय नदी संरक्षण कार्य शुरू कराने की चर्चा शुरू कर दी थी। बिरादरी ने अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उनसे नदी संरक्षण नीति बनाने पर जोर दिया। ज्यादातर ने यह बात रुचि लेकर सुनी है। परन्तु सबसे ज्यादा ध्यान भारत सरकार ने दिया है। अब नदियों के संकट को रोकने हेतु सरकार ने कुछ कानून-कायदे और नियम का मन भी बना लिया है।

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता वाला केबिनेट समूह भी हमसे मिला। चर्चा के पश्चात् उन्होंने यमुना का अतिक्रमण रुकवा दिया। प्रधानमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय ने भी नदी संरक्षण और नदी पुनर्जीवित विचारपत्र तैयार करवाया एवं स्वतंत्रता दिवस पर नदियों के विषय में अपनी मंशा प्रकट की तथा हमारे द्वारा आयोजित नदी सम्मेलन में अपने अधिकारी भेजे।

18 अक्टूबर 08 को प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें 'गंगा क्यों बने राष्ट्रीय नदी' नामक पुस्तक व ज्ञापन दिया गया। उन्होंने चार नवम्बर को गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाने की मंशा प्रकट कर दी। जल बिरादरी ने गंगासागर से गंगोत्री तक की एक यात्रा भी आयोजित की। देहरादून, लखनऊ, पटना, रांची और कोलकाता में गंगा सम्मेलन किये । सम्मेलन की अनुशंसाओं के आधार पर 25 सूत्रीय मांग पत्र भी सरकार को भेजा। सरकार ने 18 फरवरी 2009 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने वाला राजपत्र प्रकाशित किया। इसमें हमारे कुछ सुझावों को मंजूर किया गया है और कुछ को नामंजूर। जिन सुझावों को अस्वीकृत किया गया है उनमें प्रमुख हैं, बाघ रिजर्व क्षेत्र की तरह गंगा भूमि को गंगा रिजर्व क्षेत्र घोषित करना एवं गंगा भूमि के हस्तानान्तरण या रूपान्तरण पर रोक लगाना।

अब भारत सरकार ने लिखित में कहा है कि ''भागीरथी गंगा पर नए बांध नहीं बनेंगे। इसके अतिरिक्त पुराने चलने वाले काम भी रोक दिये गए हैं।'' गंगा में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया है। ये सब बातें अब विश्वास दिलाती हैं कि सरकार भागीरथी गंगा को बचाने हेतु संकल्पित है।

उम्मीद है कि अब गंगा को न्याय देने हेतु न्यायपालिका भी ध्यान देगी। गंगा को केवल अन्न और बिजली बनाने वाला आर्थिक लाभ का स्रोत नहीं मानकर सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र मानना चाहिए। भागीरथी गंगा केवल जीविका और जीवन ही नहीं है, यह संस्कृति, आस्था और गौरव भी है। इसे अपनी आजादी चाहिए। झील-सुरंग में कैद भागीरथी-गंगा नहीं है। झील, सुरंग बनाने से वह मैली, मलिन व मृत ही होगी। सरकार ने जो गंगा को दिया है, उसे बचाना और गंगा को न्याय देना न्यायालय तथा न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है।

भारत सरकार ने अपनी घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका के समक्ष ईमानदारी से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अब भागीरथी गंगा में बैराज व बांध नहीं बनने दें। पुराने बांधों को रुकवा दें। गंगा भूमि किसी भी दूसरे काम में नहीं आए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भारत सरकार को गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, गंगा के गंदा पानी को शुद्ध करके उसे खेती-बागवानी के काम में लेकर एवं यदि कोई पंचायत या नगरपालिका या उद्योग इस नदी में गंदा पानी डाले तो अपराधी घोषित करके एवं गंगा के साथ अच्छा करने वालों को सम्मान करके दिखाना चाहिए। ''गंगा अब मैला ढोने वाली मालगाड़ी नहीं बने'' क्योंकि गंगा तो पुण्य-वाहिनी है। वह उसी रूप में बहे। अभी तो सभी प्रमुख दल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर रहे हैं। गंगा क्षेत्र में अजीतपुर, मिश्रपुर, बिशनपुरा घाट जो पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हैं, अभी तक खनन प्रभावित रहे हैं। अब यहां खनन बंद कर दिया गया है। गंगा को राष्ट्रीय सम्मान देने हेतु यह सब करना जरूरी है।

देशभर में जल बिरादरी से जुड़े लोग और अन्य संगठन गंगा हेतु आमरण अनशन का अहिंसक तरीका अपना कर जीत रहे हैं। यह अंतत: गंगा की जीत है। आमरण अनशन सौम्य सत्याग्रह नहीं है। सरकार समझे कि समाज का आमरण अनशन पर उतरना हितकर नहीं है। गंगा के लिए घोषणाएं नहीं, सच्चा काम जरूरी है। अब जबकि राज, समाज व संत सब गंगा के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं तब न्यायपालिका से भी अपेक्षा है कि वह भी गंगा को न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्ध बने। (सप्रेस)

श्री राजेन्द्रसिंह राजस्थान की अपनी संस्था 'तरुण भारत संघ' के माध्यम से जल, जंगल, जमीन के संरक्षण का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री सिंह 'तरुण भारत संघ' एवं जल बिरादरी के अध्यक्ष हैं। ❑

जल-विवाद

तरुण भारत संघ ने 1986 से राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य की शुरूआत की थी। पहले कार्य पर ही जिला सिंचाई विभाग और प्रशासन ने गांव के पानी पर अपनी हकदारी दिखाई । गोपालपुरा के काम को रोकने के आदेश जारी कर दिये। गांव के लोगों ने संगठित होकर सिंचाई विभाग के नोटिस का अच्छा जबाव दिया। जिसमें ग्रामवासियों ने अपने गांव के पानी पर अपना अधिकार जताते कार्य चालू रखा। दूसरे 1996 में ग्राम हमीरपुर के एनीकट में आये पानी से मछलियां पनपने लगीं। जब वह बड़ी संख्या में दिखाई देने लगीं तो मत्स्य विभाग ने नदी और नदी में पलने वाली मछलियों पर अपना अधिकार दिखाया और उनका ठेका भी दे दिया। वहां भी लोगों ने अपनी नदी, पानी और मछलियों बचाने के लिए प्रशासन की प्रताड़नाओं को सहा । तीसरे 2001 में ग्राम लाहा का वास में तो सभी सीमाओं को पार किया था । ग्रामवासियों के लिए गांव में पीने का भी पानी नहीं था। ऐसी स्थति में गांव में खेती करने का सवाल ही नहीं था ।

ग्रामवासी मिलकर अपने लिए पानी के इन्तजाम करने में लगे हुए थे लेकिन सिंचाई विभाग ने फिर इतिहास दोहराया । कार्य बंद करने के अपने भरसक प्रयास किये । पेश न जाती देख जिलाधीश के द्वारा आदेश जारी कराये गये। कार्य तब भी बंद नहीं हुआ। अंग्रेजी काल में बने कानूनों का सहारा लेकर बिना किसी सूचना के गिरफ्तारी के आदेश भी जारी हुए। काम पर निगरानी के लिए पुलिस और प्रशासन को तैनात किया गया । लाहा का वास क्षेत्रीय राजनीति से लेकर राज्य की राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा बना। देश दुनिया में लाहा का वास का काम जल संरक्षण की दिशा में एक उदाहरण बन गया था। इस कार्य में हिंसा तो नहीं हुई लेकिन बाकी कोई कसर नहीं थी।

पानी के लिए गांव के आम आदमी और सरकारी तंत्र के आपसी संघर्ष में ग्रामवासियों को मौत मिली। पानी पर अपनी-अपनी हकदारी दिखाते हुए मिले । सबकी बातों में दम दिखाई देता । ग्रामवासी पानी लेने के लिए संघर्षशील थे। सरकारी तंत्र पानी की रक्षा सुरक्षा के लिए। आखिर पानी किसके लिए और क्यों ? पानी पर किस की हकदारी बनती है? किसका पानी ? के सवाल ने क्षेत्र की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और राजस्थान व देश के अन्य भागों में पानी के लिए हुए संघर्ष के कारणों को जानने-समझने का मानस बना। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। आन्दोलन का रूप अलग-अलग है। लेकिन इस सारे आन्दोलनों में एक बात साफ थी कि हमारे देश में किसानों की अनदेखी जरूर की जा रही है । चाहे वह सेज का मुद्दा हो या पानी बंटवारे का या फसलों के समर्थित मूल्यों से संबन्धित हो।

राजस्थान में भी पिछले कुछ वर्षों से अनेक आन्दोलन हुए लेकिन घड़साना एवं सोहेला का किसान आन्दोलन एक दुखद घटना थी। इस आन्दोलन में समाज एवं सरकार दोनों ही दिशाहीन हो गये थे। अमानवीयता की पराकाष्ठा को पार कर चुके थे। आन्दोलन का रूप मानवता को हिला देने वाला था। सभी आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य रोजी-रोटी की समस्या थी। चाहे उसमें किसानों की जमीन छीनी जा रही हो या पानी, लड़ाई जीवन के आधार की है । इसलिए आंदोलन को समझने, परखने और सोचने का महत्व बढ़ जाता है।

देश में बढ़ते जल विवादों के अध्ययन के लिए राजस्थान के गंगानगर जिले में इन्दिरा गांधी नहर और बीसलपुर बाँध तथा उड़ीसा के हीराकुंड बांध के जल विवादों का अध्ययन करने के लिए विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर को नियुक्त किया। इन अध्ययनों के लिए जल विशेषज्ञ प्रोफेसर एम. एस. राठौड़ के मार्गदर्शन में होने का तय किया गया था। तीनों जगह के जल विवाद क्षेत्र में तरुण भारत संघ के प्रतिनिधि भी साथ रहे थे। जल विवादों को लेकर किए गए अध्ययनों की विस्तृत जानकारी का अलग से दस्तावेजीकरण किया गया है। ❑

पुनर्जीवित अरवरी नदी को देखने पधारी तत्कालीन जल संसाधन राज्य मंत्री (भारत सरकार) बिजोय चक्रवर्ती एवं सहयोगी

तत्कालीन कृषि मंत्री भारत सरकार, सोमपाल शास्त्री, अधिकारीगण ग्राम भचंवता-कोल्याला में ग्रामीणों के साथ जमीनी संवाद करते हुए

गांव नांगल दास में जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन करते हुए प्रो. सैफुद्दीन सोज़, जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार

डा. हेमन्त राव देशमुख,
श्रम मंत्री (महाराष्ट्र) का
अरवरी सांसदों द्वारा
अभिनन्दन

श्री देवी सिंह मिश्रा, पर्यटन
एवं आबकारी मंत्री (उड़ीसा)
का सम्मान करते हुए
अरवरी संसद के सदस्य

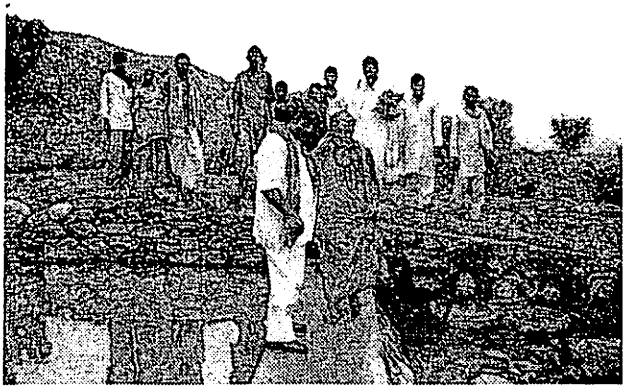

अरवरी जल ग्रहण क्षेत्र के
ग्रामीणों के साथ जिला दुर्ग के
स्वामी शिव मूर्ति शिवाचार्य तथा
तत्कालीन जल संसाधन मंत्री
(कर्नाटक) एच.के. पाटिल

भांवता-कोल्याला, हमीरपुर और हरिपुरा ग्राम सभाओं को सम्मानित करने साथ ही जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन हेतु आए फोर्ड फाउण्डेशन ट्रस्टी मण्डल के सदस्य

स्वीडन सरकार की अन्तरराष्ट्रीय विकास मंत्री करिना जामलीन तथा प्रतिनिधिमण्डल ग्राम लील्या में ग्रामीणों के साथ

मोहम्मद आसिफ
डी.ए.सी.ए.ए.आर.
अफगानिस्तान के साथ
बाचतीत करते हुए राजेन्द्र सिंह

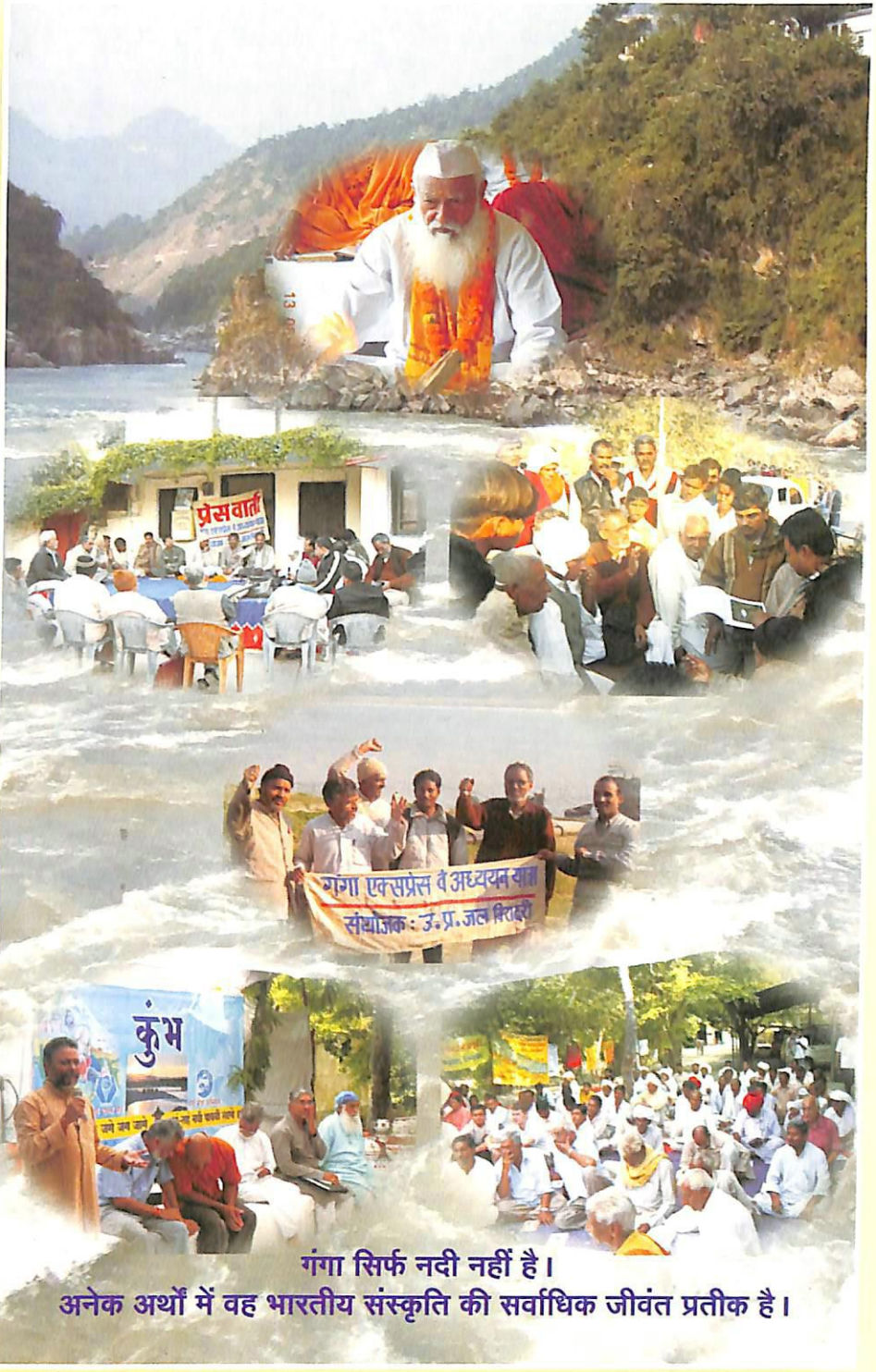

गंगा सिर्फ नदी नहीं है।
अनेक अर्थों में वह भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक जीवंत प्रतीक है।

जोहड़ बनाओ, पानी बचाओ

तरुण भारत संघ
भीकमपुरा, किशोरी, वाया थानागाजी
जिला : अलवर-301022, राजस्थान
दूरभाष : 01465-225043, 0141-2393178